राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र का ५७वां दिवस [संख्या ३१

सोमवार, ७ अप्रैल, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.१ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

महिला शिक्षण संस्थायें

११२९. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षामंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान की कितनी और कौन कौन सी महिला शिक्षण संस्थाओं में एन० सी० सी० की ट्रेनिंग चालू है ?

(२) क्या सभी स्थानों पर ट्रेन्ड महिला प्रशिक्षक हैं। प्रत्येक संस्था में ऐसी अध्यापिकाओं की संख्या कितनी कितनी है ?

(३) महारानी कॉलेज जयपुर में कितनी ट्रेन्ड महिला प्रशिक्षक हैं।

(४) क्या यह सच है कि ट्रेन्ड महिला प्रशिक्षक के अभाव में यहां पर ट्रुप नहीं बन सका ?

मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) सदस्य महोदया की जानकारी के लिए इसकी तालिका सदन की पर रख दी गई है।

(२) किसी भी जगह नहीं।

(३) २ हैं।

(४) यह सही नहीं है। ट्रुप पहले बनाया जाता है फिर एन० सी० ऑफिसर्स का चुनाव किया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

डॉ० चन्द्रकला : महारानी कॉलेज की एन० सी० सी० की संख्या को देखते हुए दो प्रशिक्षिकायें कम नहीं हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके लिए मिलिटरी ऑफिसर्स होते हैं जो समय समय पर सजेस्ट करते रहते हैं और आवश्यकतानुसार बढ़ाने की आवश्यकता है कि नहीं, ऐसी बात मेरी जानकारी में नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : इस प्रश्न के भाग ४ का उत्तर देते हुए आपने कहा, 'सही नहीं है; जब वहां पर्याप्त लड़कियों की संख्या है तो वैसी हालत में अब तक ट्रुप क्यों नहीं बन सका ?

Page No.2

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ट्रूप किसी और कारण से न बन सका होगा उसमें प्रशिक्षिकाओं की कमी का कारण नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : ट्रूप पहले बना दिए जाते हैं उसके बाद प्रशिक्षिका आ सकती हैं तो फिर अब क्या सरकार ट्रूप बनाने की ओर ध्यान देगी और एन० सी० सी० की प्रशिक्षिकाओं की व्यवस्था करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ट्रूप कहां और कितने होने चाहिए, यह निश्चित है, फिर भी उसी तादाद के अन्दर बनाने की आवश्यकता होगी तो बनाया जायगा।

प्रश्न संख्या ११३०

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह !

जागीरदारों से जागीरों के सेटलमेंट के खर्च की वसूली

११३१. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि जागीरदारान से उनके जागीर के सैटलमेंट का खर्चा वसूल किया जा रहा है ?

(ख) अगर हां, तो किस तरह से और अब तक डिस्ट्रिक्ट और तहसीलवाइज़ कितना कितना वसूल हो चुका है और कितना कितना किन किन में बाकी है ?

(ग) क्या सरकार ने इसको वसूल करने या नहीं करने के लिए कोई आदेश निकाला है ?

(घ) अगर हां, तो किस तारीख को ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां, वसूल नहीं करने हेतु आदेश निकाले गए हैं।

(घ) २ अप्रैल, १९५५ को।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने आदेश निकाले, उसके बाद में वसूल हुआ, जागीरी रिज़म्प्शन के बाद में जो सैटलमेन्ट का खर्चा जागीरदारों से लिया गया क्या वह उनको वापिस कर दिया जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका सवाल यह है, "जागीरदारों से सेटलमेन्ट का खर्चा वसूल न करने का आदेश निकाला है क्या ?" और मैंने जबाव में बता दिया, 'जी, हां' और तारीख भी बता दी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने जो आदेश निकाले, वे बकाया वसूली न करने के बारे में हैं या जो बकाया वसूल कर ली उनको लौटाने के बारे में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वसूली न करने के बारे में आदेश थे।

रावराजा श्री सरदारसिंह : पहले जो वसूल हो चुके उनको लौटाने के बारे में क्या आदेश हैं ?

Page No.3

श्री दामोदरलाल व्यास : यह अलग से सवाल है ।

प्रश्न संख्या ११३२

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

तकावी की बकाया रकम

११३३. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजगढ़ तहसील के गांव हमीरवास बड़ा के नाम कितनी कितनी तकावी बकाया है ?

(२) क्या यह सही है कि इस गांव में बहुत से लोगों के नाम तकावी फर्जी लिखी हुई होने के कारण आज तक इतनी तकावी बकाया है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :
(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी नहीं ।

(३) प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री मोहरसिंह : भाग (२) का जवाब आपने क्या दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं ।

श्री मोहरसिंह : २००६ की साल में कुल कितनी तकावी दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने पूछा था, "तकावी कितनी बकाया है," उसका उत्तर मैंने दे दिया है । आपने खास किसी संवत् का पूछा नहीं था ।

श्री मोहरसिंह : मैंने तो सिर्फ एक गांव का सवाल पूछा था और उसमें चार साल की तकावी ८, ६, १० और ११ का पूछा था, उसमें से आप संवत् २००६ की बता दीजिए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने किसी साल का नहीं, बल्कि बकाया कितनी है यह पूछा था, इसका जवाब दे दिया । अगर आप किसी साल की बकाया की जानकारी चाहते हैं तो अलग से सवाल पूछिये ।

श्री मोहरसिंह : सूची, आपने कहा, सदन की मेज पर रख दी है । मैंने मेज पर रखने के लिये नहीं कहा था वह तो सदस्य को दी जानी चाहिये ।

श्री दामोदर लाल व्यास : आप नोटिस आफिस से ले सकते थे ।

श्री मोहरसिंह : मैं कुल एमाउन्ट चाहता हूं, कितनी तकावी दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका प्रश्न यह था, "गांव हमीरवास बड़ा के लोगों के नाम कितनी कितनी तकावी बाकी है"; उसमें आपने अमाउन्ट नहीं पूछा ।

श्री मोहरसिंह : आपने जो सूची मेज पर रखी है उसमें से क्या आप सवंत् २००६ का बता सकते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिये अलग से सवाल पूछिये।

श्री श्रीभानसिंह : बकाया रहने के क्या कारण हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वक्त पर वसूली न हो पायी हो।

श्री भानसिंह : क्या यह भी हो सकता है कि वक्त पर तकावी की रकम उनके पास पहुंची न हो ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बिल्कुल गलत है।

रिटायर्ड कर्मचारियों की नियुक्ति

११३४. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

१—११-५६ से अब तक कितने रिटायर्ड कर्मचारियों को वापिस सर्विस में किन २ पोस्टों और तनख्वाह पर व किन २ आधारों पर रखा गया ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर पहले भी दिया जा चुका है फिर भी मैं पढ़कर सुना देता हूँ।

ऐसे रिटायर्ड कर्मचारियों की सूची, जो कि १।११।५६ से अबतक पुनः नियुक्त किये गये हैं, सदन की मेज पर रख दी गई है। इसमें पद जिन पर उन्हें पुनः नियुक्त किया गया है प्रत्येक कर्मचारी के नाम के सामने अंकित है। वेतन प्रायः राजस्थान सर्विस रूल्स के अधिनियम ३३९ के अनुसार दिया जाता है, जिसके अनुसार रिटायर्ड होने के पूर्व जो वेतन मिलता था उससे अधिक पुनः नियुक्ति पर नहीं मिलता। पुनः नियुक्ति की अवधि में पेन्शन आदि रोक दी जाती है। विशेष परिस्थितियों में तथा प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्तियों के अभाव में ये नियुक्तियां जनहित में की गई हैं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : रिटायर होने के बाद जिन व्यक्तियों को रखा जाता है, उनकी एज क्या होती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आम तौर से पचपन साल से ज्यादा ही होती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : ५५ साल के बाद जो रिटायर होते हैं उनका दिमाग साबित रहता भी है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दिमाग साबित ही रहता है, ऐसा ख्याल करके ही रखा जाता है।

रावराजा श्री सरदार सिंह : इनके बजाय जो बेकार आदमी हैं उनको रखा जाना चाहिए। इससे अनएम्पलोयमेन्ट की जो कमी है वह भी पूरी हो सकती है और काम सबको मिल सकता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आम तौर पर यह नीति है। दूसरा यदि कोई काबिल आदमी मिल जाता है तो उस स्थान पर ले सकते हैं, उस जगह पर किसी की पुनर्नियुक्ति नहीं की जानी चाहिये।

प्रश्न संख्या ११३५

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

श्री तनसिंह

प्रशासन सेवा अधिकारियों के स्थानान्तरण

११३६. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १९५०-५१ से अब तक प्रतिवर्ष ऐसे आर० ए० एस० और आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० अफसर के नाम व पद बतावें जिनके वर्ष में ३ या उससे अधिक बार तबादले हुए हैं ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): उन आई० पी० एस० और आर० ए० एस० अफसरों के नामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है, जिनके सन् १९५०-५१ से अब तक प्रति वर्ष में तीन या उससे अधिक बार तबादले हुए हैं। आई० ए० एस० में ऐसा कोई अफसर नहीं है।

(•कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री हिम्मतसिंहजी सरूपरिया, आ० ए० एस० का ....

श्री तनसिंह : इन हिम्मतसिंहज सरूपरिया का कितनी बार ट्रान्सफर हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कुल मिलाकर ६ बार ।

श्री तनसिंह : वर्ष में ६ बार तबादले होने के क्या कारण हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वर्ष में ६ बार नहीं, कुल वर्षों में कितनी बार हुए, यह बताया है ।

प्रश्न संख्या ११३७

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

औद्योगिक योजनायें

११३८. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सीकर व झुंझुनु जिले में कौन २ सी उद्योग योजनायें चालू करने का सरकार का विचार है ?

(ख) क्या अभी तक कोई योजना नहीं बनी है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल): (क) झुंझुनु में एक फूटवियर लेदर ट्रेनिंग सेन्टर है । सीकर में दरी व कारपेट सेंटर है । इसके अतिरिक्त दोनों स्थानों में हाथ कर्घा वस्त्र डिपो भी है, उपरोक्त जो सेन्टर पहले से चल रहे हैं उन्हें ही चालू रखा जावेगा ।

(ख) उक्त प्रश्न (क) के उत्तर में स्पष्ट कर दिया गया है ।

प्रश्न संख्या ११३९

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

Page No.6

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ११४०

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ११४१

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ११४२

श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

(अनुपस्थित)

जोहड़ों के ताल तहसील नोहर, भादरा व सूरतगढ़

११४३. श्री **रामकिशन** (नोहर) : क्या राजस्वमन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या तहसील नोहरा, भादरा व सूरतगढ़ जिला गंगानगर के बहुत से गांवों के कुओं का पानी खारा होने की वजह से जोहड़ का पानी पीते हैं ?

(२) क्या उपरोक्त क्षेत्रों में जोहड़ों के ताल को सरकार काश्त के लिए अलॉट करने का विचार रखती है ?

(३) यदि हां, तो उन लोगों के लिए पीने के पानी का इन्तजाम क्या होगा ?

(४) जब तक भाखरा का पानी बारहों माह तक प्राप्त नहीं होता तब तक क्या सरकार इन तालों को सुरक्षित रखेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां।

(२) जी, अभी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) जी हां।

प्रश्न संख्या ११४४

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ११४५

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

जिला हैडक्वार्टर्स, सवाई माधोपुर

११४६. श्री **पृथ्वीराज** (गंगापुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सवाई माधोपुर जिले का हिस्सा सवाई माधोपुर से १०० मील से भी अधिक दूरी पर है ?

(ख) यदि हां, तो गंगापुर या अन्य उपयुक्त कस्बे को जो सब तरह से ठीक हो जिले का हैडक्वाटर क्यों नहीं बनाया जाता ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) सवाई माधोपुर जिले का हैड क्वार्टर भूतपूर्व जयपुर स्टेट के समय से ही चला आ रहा है। वहां पर जिले के कार्यालय के लिए भवन तथा सरकारी कर्मचारियों के रहने के

Page No.7

(श्री दामोदरलाल व्यास)

लिए मकान भी पहले से ही मौजूद हैं। इसके अलावा यह एक व्यवसायिक नगर हैं जहां बहुत बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री है तथा ब्रॉड गेज रेलवे का स्टेशन है। इसी कारण इसे जिले का हैड क्वार्टर रखा गया है। सवाई माधोपुर से सीधी कोई जगह १०० मील से दूर नहीं है। सवाई माधोपुर से केवल भूतपूर्व करौली स्टेट ही दूर है जहां सब डिविजन कार्यालय हैं और सड़क द्वारा मिला हुआ है। फासला भी अधिक दूर नहीं है। सवाई माधोपुर के अलावा कोई स्थान जिले के हैड क्वार्टर बनाने के योग्य नहीं है। जिससे जनता को अधिक लाभ पहुंच सकता हो।

श्री बहादुरसिंह : क्या करौली भूतपूर्व राज्य होने के कारण जिले का हैड क्वार्टर नहीं रखा जा सकता ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पर जो सुविधाएं सवाई माधोपुर में हैं वे वहां नहीं थीं इसलिए नहीं रक्खा गया।

श्री बहादुरसिंह : क्या अब परिवर्तन करना चाहते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

सचिवालय में दलित वर्ग की नियुक्ति

११४७. **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** (आमेर): क्या मुख्यमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान सचिवालय में इस समय कितने यू० डी० सी० और कितने एल० डी० सी० कार्य कर रहे हैं ?

(ख) इनमें दलित जाति के कितने यू० डी० सी० व कितने एल० डी० सी० हैं।

(ग) क्या अब तक दलित जाति के लोगों की नियुक्ति उनके रिजर्व कोटा के अनुसार हो सकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) राजस्थान सचिवालय में इस समय कुल ११६ यू० डी० सी० और ५०४ एल० डी० सी० कार्य कर रहे हैं।

(ख) इनमें ३ यू० डी० सी० व १५ एल० डी० सी० दलित जाति के हैं।

(ग) जहां तक सम्भव हो सका है रिक्त स्थानों के १२॥ प्रतिशत स्थानों पर दलित जातियों के व्यक्तियों की ही नियुक्ति हुई है। फिर भी कुछ स्थान रिज़र्व कोटा के अभी तक योग्य व्यक्तियों के अभाव के कारण नहीं भरे जा सके।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : छः सालों में भी कोटा के अनुसार स्थान नहीं भरे जा सके, इसका क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि आवश्यक योग्यता के व्यक्तियों के अभाव के कारण नहीं भरे जा सके।

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : क्या यह सत्य है कि कई योग्य व्यक्ति वहां जाते हैं, पर फिर भी नौकरी उनको नहीं मिल पाती ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसी कोई चीज मेरे ध्यान में नहीं है ?

Page No.8

श्री पी० के० चौधरी : कोटा हर साल आप केलकुलेट करते हैं और फिर लैप्स हो जाता है या उसे कन्टीन्यु करते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कोशिश यह करते हैं सप्लीमेंट करके आगे बढ़ाते हैं। वर्ना जनरली जो रिज़र्व कोटा होता है वह देते हैं ।

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : रिजर्व वेकेन्सी पर जो लिए जाते हैं वे टेम्परेरी होते हैं या परमानेन्ट उनकी क्लियर वेकेन्सी रक्खी जाती है या फिर वह लैप्स हो जाती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उतने ही प्रतिशत तक उनकी पूर्ति करने का प्रयत्न किया जाता है। उस प्रतिशत के हिसाब से अभी जो सेक्रेटेरियेट में व्यवस्था है वह १२॥ प्रतिशत है। उसमें २१·८ एक तरह से नियुक्ति होनी चाहिए थी। इसके मुकाबले में इस वक्त १५ ही हैं। अभी ६·८ की कमी है। इनकी पूर्ति के लिए प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : अब भविष्य में इसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आज्ञाएं प्रसारित की जा रही हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या ऐसे भी मामले हैं कि इन पोस्टों पर गैर हरिजनों को भी ले लिया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसा एकाध केस आया था जिसके मामले में मैं समझता हूं कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्ज़ ली जा रही हैं ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह भी सही है कि दलित वर्ग की जगह बैकवर्ड क्लास के लोग भी ले लिए गए हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या जानकारी करेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर तथ्य दिये जावेंगे तो !

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कहा, एक आध केस इस प्रकार का आया था तो क्या आप बता सकेंगे कि वह किसका था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे इस वक्त तो याद नहीं, पर एक बार एक प्रश्न यहां इसी तरह का पूछा गया था उसके उत्तर में नाम और सारी बातें दी गईं थीं।

खुदकाश्त जमीन, टौंक

११४८ श्री लालूराम (टौंक): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जिला टौंक की तहसीलों में १०० बीघा भूमि से ऊपर खुदकाश्त करने वालों की संख्या कितनी है और वे किस प्रकार काश्त करवाते हैं ? तहसीलदार ब्यौरा बताया जावे ?

(ख) क्या भूमिहीन किसानों को निश्चित की हुई भूमि से अधिक भूमि रखने वालों से भूमि लेकर दिलाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कब तक अमल में आ सकेगी ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) लगभग ११५० व्यक्ति खुदकाश्त करने वाले हैं जिनमें बहुत से खुदकाश्त करते हैं, कुछ अपने हल बैल रखकर हालियों द्वारा काश्त करवाते हैं और कुछ दूसरों से भी काश्त करवाते हैं । तहसीलवार सही-सही आंकड़े उपलब्ध करने में अधिक समय लगेगा अतः वे अभी उपलब्ध नहीं हो सके हैं ।

(ख) यह प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

श्री लालूराम : ये आंकड़े कब तक मिल जावेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : १५-२० दिन का टाइम और लगेगा । दुबारा सवाल पूछेंगे तो दे सकूंगा । जितनी इन्फोर्मेशन अवेलेबल थी वह मैंने दे दी । अब अलग अलग तहसीलों के आंकड़े मालूम करने में तो काफी समय लगेगा ।

पाठशाला भवन का निर्माण, जैतारण

११४६. **श्री तेजाराम** (सोजत) : Will the Minister for Education be pleased to state :

(1) Is the Government aware that Government aid for construction of school buildings of Garnia and Devoria of Jaitaram Tehsil has been given and if so, how much money was spent for each school ?

(2) Has the Government enquired as to how much of total construction work of each school has been completed ?

(3) What steps Government is taking to complete the construction work of both the schools ?

मुख्यमन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) (क) इस विभाग की ओर तहसील जैतारण में गारनिया व देवरिया के स्कूलों के भवन निर्माण के लिए कोई सहायता नहीं दी गई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री तेजाराम : अगर इस विभाग से सहायता नहीं दी गई तो डेवलपमेन्ट की ओर से दी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसकी जानकारी इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है ।

प्रश्न संख्या ११५०

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

११५१. **श्री धन्नालाल हरित (छबड़ा)** क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या ग्राम फतहपुर तहसील बारां में हरिजनों को साक्षर बनाने हेतु एक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोला गया है ? यदि हाँ, तो इसका संचालक कौन है तथा कितने हरिजन उक्त केन्द्र से अब तक लाभ प्राप्त करते रहे हैं ?

Page No.10

(श्री धन्नालाल हरित)

(२) उक्त केन्द्र पर अब तक कितना रुपया खर्च हुआ है एवं इसकी जांच किन किन अफसरों द्वारा किस किस समय पर की गई ?

(३) उक्त केन्द्र अब भी चल रहा है या बन्द कर दिया गया है ? यदि बन्द कर दिया गया है, तो कब एवं क्यों ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : जी हां । ग्राम फतहपुर में एक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र दिनांक १।३।५६ को खोला गया था जो लगभग एक वर्ष चलने के पश्चात् उपस्थिति कम होने के कारण बन्द कर दिया गया । अतः संचालन करने का प्रश्न ही नहीं उठता । लगभग ६५ व्यक्तियों ने इससे लाभ उठाया ।

(२) उक्त केन्द्र पर केवल ३१५) रुपया व्यय हुए है । इसके कार्यकाल में इसकी जांच विभागीय निरीक्षक द्वारा की गई ।

(३) इसका उत्तर प्रश्न (१) के उत्तर में दिया जा चुका है ।

हाई स्कूल, कोटपुतली

११५२. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या कोटपुतली के हाई स्कूल में छात्रावास चलता था ?

(ख) यदि हां, तो वहां कौन कौन कर्मचारी थे तथा उनको कितना कितना वेतन दिया जाता था ?

(ग) क्या यह सत्य है कि करीब एक साल से उन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है ?

(घ) यदि हां, तो क्यों ?

(न) इन कर्मचारियों को कब तक वेतन दे दिया जायगा ?

मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री मोहन लाल सुखाड़िया) : जी हां, अब भी चल रहा है ।

(२) छात्रावास में काम करने वाले निम्न कर्मचारियों के नाम इस प्रकार हैं :

१. श्री महेन्द्र शर्मा । २. श्री शिवरतन, हाई स्कूल, कोटपुतली के अध्यापक जो होस्टल वार्डन हैं । ३. श्री ग्यारसीलाल, रसोइया २८) मासिक, ४. श्री कालिया रसोइया, २६) मासिक । ५. श्री रामचन्द्र कहार २५) मासिक । ५. श्रीमती प्रभातीदेवी मेहतरानी ८) मासिक ।

होस्टल वार्डन को नियमानुसार रेन्ट फ्री अकोमोडेशन की सुविधा प्राप्त होने के कारण छात्रावास को कोई अलाउन्स नहीं दिया जाता है ।

(ग) नवम्बर ५६ से पूर्व वेतन समय से दिया जाता रहा है । इस साल के बजट में कुछ पोस्टें कम हो जाने के कारण इसके पश्चात् इनका वेतन ड्रॉ करने में कठिनाई उपस्थित हुई । उन्हें दूसरी पोस्टों पर लगा दिया गया और फरवरी में निम्न वेतन के सिवाय समस्त वेतन दे दिया गया है ।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

१. श्री ग्यारसीलाल नवम्बर १९५६ से जनवरी, ५७ तक। २. श्री कालिया नवम्बर १९५६ से जनवरी ५७ तक। ३. श्री रामचन्द्र नवम्बर ५६ से ४ माह का। उक्त क्लेम साल भर पुराना होने के कारण कुछ समय लेगा जिसके लिये कार्यवाही चल रही है।

(घ) सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्मुले के अनुसार बजट में पोस्टें कम हो जाने के कारण उक्त कर्मचारियों को स्थानान्तर पर बाहर अन्य स्थानों पर जाने में असमर्थता प्रकट करने के कारण वेतन भुगतान में कठि-नाई उपस्थित हुई।

(न) अब सिवाय उक्त वेतन के समस्त वेतन दे दिया गया है और उक्त ३-४ माह का वेतन भी दे दिया जायेगा।

श्री रामकरणसिंह : क्या इस समय सरकार की तरफ से कोई कर्मचारी वहां काम कर रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो मैंने उत्तर में सब कह दिया है।

श्री रामकरणसिंह : जैसे आपने फर-माया कि पहले साल चल रहा था और अब भी चल रहा है, तो मैं पूछ रहा हूं क्या इस साल और गये साल भी इस प्रकार से सर-कारी कर्मचारियों ने होस्टल चलाया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझा नहीं आपका प्रश्न। सरकार के द्वारा चलाया गया ऐसा पूछ रहे हैं क्या ? प्रश्न क्या है आपका ?

श्री रामकरणसिंह : प्रश्न यह है कि जो छात्रावास चलाया जा रहा था, क्या बीच में सरकार ने जो कर्मचारी थे उनको दूसरी जगह पोस्टिंग करके भेज दिया; अब उनकी जगह वहां दूसरे कर्मचारियों को रखने का प्रोवीजन रखा है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि जो स्ट्रैन्थ आम तौर से नियम के अनुसार रखी जाती है वह अब भी रखी गई है।

श्री रामकरणसिंह : मेरा प्रश्न तो साफ है कि इस समय जो स्ट्रन्थ होनी चाहिये उसमें से क्या कोई कर्मचारी सरकार की तरफ से होस्टल में काम कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कितना कम कर रहे हैं, निश्चित तौर से तो मैं यह नहीं कह सकता। पर एक्स्ट्रा स्ट्रैन्थ हटाई गई है। इसका मतलब, बाकी के लोग वहां काम करते होंगे।

श्री रामकरणसिंह : क्या वहां कोई भ कर्मचारी सरकार की ओर से काम कर रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह विस्तार से जानकारी मेरे पास इस समय नहीं है। बाद में रख सकता हूं अगर सदस्य चाहें तो ?

श्री रामकरणसिंह : जैसा आपने फर-माया कि अभी भी चल रहा है। इसी के आधार पर अर्ज कर रहा हूं कि इस समय भी कोई कर्मचारी वहां काम कर रहा है क्या ?

श्री अध्यक्ष : आपने तीन–चार बार यही सवाल पूछ लिया और इसका उत्तर दे दिया गया।

श्री रामकरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने सुना नहीं। मैं तो अभी यह समझ नहीं सका कि वास्तव में काम कर रहे हैं या प्राइवेटली चल रहा है वह होस्टल ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करूं कि पहले ११ चपरासी थे। अब हर स्कूल में जितनी स्ट्रैन्थ चाहिये उतनी सात चपरासियों की स्ट्रैन्थ वहां आज भी है। चार की कमी की गई है।

श्री रामकरणसिंह : मेरा मतलब होस्टल से है, स्कूल से नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : होस्टल और हाई स्कूल दोनों की व्यवस्था वहां कम्बाइन्ड चलती है; इसलिये वहां की इन्टरनल व्यवस्था क्या है, इसकी जानकारी मैं नहीं दे सकता।

श्री रामकरणसिंह : क्या इस प्रकार के आदेश आपकी ओर से दिये गये हैं कि कुछ चपरासी इनमें से छात्रावास में काम कर सकते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह आवश्यक नहीं है इस प्रकार के आदेश देना। पर अलग अलग दोनों में बांटे वे जा सकते हैं।

प्रश्न संख्या ११५३

श्री अध्यक्ष : नेक्सट, श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

अध्यापकों व सहायक उप-निरीक्षकों, शिक्षा विभाग की पद-निवृत्ति हेतु निर्धारित अवस्था

११५४ श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे:

(क) अध्यापकों व सहायक उप–निरीक्षकों की रिटायरमेंट की उम्र क्या रखी गई है ?

(ख) क्या सेन्ट्रल एडवाइज़री बोर्ड आफ एज्यूकेशन ने जो रिटायरमेंट की उम्र सिफारिश की है वह सरकार के विचाराधीन है ?

(ग) अजमेर में रिटायरमेंट की उम्र क्या थी ?

मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) आर० एस० आर० की धारा ५६ ए के अनुसार ५५ वर्ष है।

(ख) सेन्ट्रल एडवाइज़री बोर्ड ऑफ एज्यूकेशन में केवल डिस्प्लेस्ड टीचर्स के रिटायरमेंट की उम्र ६० वर्ष करने की सिफारिश की है। इस प्रकार के मामलों पर अलग अलग विचार किया जाता है और उनकी शारीरिक तथा मानसिक हालत को देखकर प्रतिवर्ष अलग अलग केसों पर एक्सटेन्शन दिया जाता है।

(ग) ५५ वर्ष है। केवल जो स्कूल टेकन ओवर किये गये हैं उनकी उम्र प्राइवेट

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

संस्थाओं में ६० वर्ष की थी । इनका मामला सरकार के विचाराधीन है ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सरकार द्वारा इसी विभाग के बारे में इस प्रकार का विचार किया गया या अन्य विभागों के लिए भी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि जो स्कूल अजमेर के टेक-ओवर किये गये हैं उनके बारे में विचार किया जा रहा है क्योंकि उनकी संस्थाओं के रूल्स अलग थे और उनके सम्बन्ध में क्या करेंगे, पता नहीं । वरना आम नियम ५५ वर्ष के ही हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : अन्य विभागों के लिए भी ऐसा ही है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अन्य विभागों की समस्या खड़ी नहीं होती ।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसे हॉस्पिटल्स हैं, न्यायालय हैं....

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री दलपतसिंह ।

बीगोड़ी की वसूली आबूरोड तहसील

११५५. **श्री दलपतसिंह** (आबू) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सत्य है कि चड़ेला एरिया तहसील आबू रोड के गांवमें काश्तकारों से ड्योढ़ी बीगोड़ी वसूल की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) गैर मुस्तकिल काश्तकार से बन्दोबस्ती लगान का ड्योढ़ा वसूल होता है ।

श्री अनूपसिंह : थोड़ा सुनाई नहीं दिया ।

श्री दामोदरलाल व्यास : गैर मुस्तकिल काश्तकार से बन्दोबस्ती लगान का ड्योढ़ा वसूल होता है ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : क्या टिनेन्सी एक्ट के लागू होने के बाद भी ड्योढ़ा वसूल होता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : टिनेन्सी एक्ट के लागू होने के बाद जो गैर मुस्तकिल काश्तकार रहे थे और जिनकी खातेदारी रह गई थी उनसे आधा वसूल होना चाहिए ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : अब १॥ क्यों वसूल किया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि जो मुस्तकिल काश्तकार होते हैं वे परमानेन्ट हैं और गैर मुस्तकिल टेम्परेरी और दोनों की सेटलमेन्ट रेट्स अलग अलग हैं । अब टिनेन्सी एक्ट के लागू होने के बाद क्या रिज़ल्ट रहा कि जो गैर मुस्तकिल काश्तकार थे वह तो मुस्तकिल हो गए और उनको इसका फायदा मिलना चाहिए ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : और सरकार अब भी १॥ ले रही है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यह कभी नहीं कहा कि मुस्तकिल काश्तकारों से १॥ ले रहे हैं ।

श्री श्रीभानसिंह : Will the Hon. Revenue Minister be pleased to say as to what he means by temporary cultivatator ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That is land taken for cultivation for a year or two.

श्री अनूपसिंह : दूसरी दरें लगाई हुई है परमानेन्ट के लिए वह लगाई गई हैं और टिनेन्सी एक्ट जो दूसरी जगह है वह वहां लागू नहीं होता।

श्री दामोदरलाल व्यास : फॉर्मर सिरोही स्टेट में दो रेटस लागू थीं और खालसा एरिया जितना भी है उसमें वह मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल की रेट्स हैं और यह सेटलमेन्ट की रेट्स हैं।

श्री तनसिंह : अब यह रेट्स समान करने का विचार सरकार क्यों नहीं करती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो अधिकार जिनको प्राप्त हुए हैं उनका फायदा उठाना चाहिए।...

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सच है कि जो टेम्परेरीली जमीन काश्त करते हैं और सेटलमेन्ट १॥ लेते हैं ? क्या ऐसा भी है कि कहीं २ टेम्परेरी जमीन काश्त करने वाले से छः गुना भी लिया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास: जी नहीं, वह ट्रेसपासर से लिया जाता है।

प्रश्न संख्या ११५६

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ११५७

श्री अध्यक्ष : श्री बालमुकन्द।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री पुरुषोत्तमलाल।

राजकीय बालिका विद्यालय, किशनगढ़

११५८. **श्री पुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या राजकीय बालिका विद्यालय, किशनगढ़ को सरकार हाई स्कूल बनाने का विचार रखती है ?

(ख) अगर हां, तो क्या आगामी सत्र से इसे हाई स्कूल बना दिया जावेगा ?

मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री मोहन लाल सुखाड़िया) : (क) अन्य ऐसे स्कूलों के साथ आगामी वर्ष सरकार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इनकी उपयुक्तानुसार विचार किया जावेगा।

(ख) इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : क्या सरकार आर्थिक स्थिति के अलावा जनसंख्या के आधार पर भी विचार करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह भी विचार के अन्दर आयेगा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : तो क्या किशनगढ़ जनसंख्या के आधार पर नहीं आता है ?

श्री अध्यक्ष : सिर्फ एक ही तो आधार नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दूसरी जगह भी ऐसे ऐसे आधारों की आवश्यकता है; उन सब पर विचार करेंगे तब इस पर भी विचार कर लिया जावेगा।

डॉ० चन्द्रकला : यह विचार कब तक किया जायेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मई के खत्म होने के पहले।

प्रश्न संख्या ११५६

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

जनता कॉलेज

११६०. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चार नये जनता कालेज; क्रमशः जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व कोटा में खोलने की योजना है ? यदि हां, तो मूर्तरूप देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

मुख्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : अन्य आवश्यक योजनाओं को मूर्तरूप देने के लिए जनता कालेज की योजना को स्थगित कर दिया गया।

श्री मुरलीधर व्यास : यह फैसला कब लिया गया। इस वर्ष या गत वर्ष या उससे पहले ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पिछली साल से ही सरकार के सामने जितना रुपया बजट में इसके लिए प्रोवाइडेड है, हम यह दिक्कत पा रहे हैं कि उसके अन्दर बहुत सी चीज़ों को शुरु कर पायें। उदाहरण के तौर पर हायर सेकन्डरी स्कूल्स खोलने के बारे में जैसा माननीय सदस्यों को पता है कि केवल १० स्कूल्स ही मौजूदा बजट को देखते हुए खोल सकते हैं। जिनकी आवश्यकता काफी है। इसी प्रकार से मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूलों की आवश्यकता है। इसलिए इन योजनाओं को चालू करने के पहले यह देख रहे हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इनको शुरु कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि इसमें मुश्किल मालूम पड़ती है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि इसके लिए जो निश्चित धनराशि थी वह भी पूरी खर्च नहीं हुई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके आंकड़े मैं समय समय पर यहां सदन में दे चुका हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : जब दे चुके हैं तो हमेशा इस प्रकार से रहा है कि धनराशि खर्च नहीं होती। तो फिर आपने धन का अभाव किस प्रकार से बताया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आंकड़ों को ठीक प्रकार से देखें तो उनसे यह जस्टीफाई होता है कि ६० पर्सेंट के आसपास खर्च हुआ है और आगे जितने भी कम्युटेड एक्सपेन्डीचर होते जा रहे हैं जिससे फाइव इयर प्लान में बहुत आशा नहीं दीखती कि हम ज्यादा कमिटमेन्ट कर पायेंगे।

डा० चन्द्रकला : सरकार जनता कॉलेज की उपयोगिता किस सीमा तक समझती है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पूरी सीमा तक।

श्री श्रीभानसिंह: What is the difference between this Janta College and an ordinary college?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह यहां पर जिस समय बजट के ऊपर डिस्कशन हो रहा था उसके अन्दर हो चुका था। जनता कॉलेज के ऊपर हमारे माननीय सदस्य काफी कह चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सतवन्तकौर।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड, करनपुर

११६१. **डॉ० चन्द्रकला** (श्रीमती सतवंतकौर की अनुपस्थिति में) : क्या योजना व विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड, करनपुर में सरकारी जीप पर पिछले ३ वर्षों में कितना पैट्रोल का खर्च हुआ तथा उसने कितने मील का सफर तय किया?

(ख) क्या यह सच है कि विकास अधिकारी नेजीप का करनपुर से बाहर प्रयोग किया है? यदि हां, तो क्यों और सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की?

योजना व विकासमन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) पैट्रोल पर कुल ७,१६२ रु० ३३ नए पैसे का खर्चा हुआ तथा जीप द्वारा २३,५६३ मील का सफर किया गया।

(ख) जी हां। ऐसा सरकारी कार्य के लिए किया गया दिखाया। इस बारे में आवश्यक जांच कराई जा रही है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सत्य है कि यह जीप ऐसे अन्य स्थानों पर गई जहां कि सरकारी काम नहीं हो सकता था?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसे कौन से स्थान हैं अगर मालूम हो जाये तो कुछ आगे किया जा सके।

डॉ० चन्द्रकला : विकास के कार्य क्षेत्र के बाहर।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : विकास स्थान का नाम बता दें तो मैं उसकी जानकारी भी कर सकूं।

प्रश्न संख्या ११६२

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

पाठशाला-शुल्क

११६३. **श्री पी०के० चौधरी** (फुलेरा)-Will the Education Minister be pleased to state:

Page No.17

(श्री पी० के० चौधरी)

(a) What is the quantum of additional revenue the Government planned to realise from the enhanced rates of school fees as originally proposed and what is the quantum of revenue that will be realised now from the revised rates ?

मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : फीस बढ़ाने से करीब ११ लाख की आमदनी का अनुमान लगाया गया था अब रिवाइज्ड रेट्स से कितनी आमदनी होगी यह वर्ष के बीच में मालूम नहीं है ।

श्री पी० के० चौधरी : What is the revised estimate ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया है कि अन्दाजा लगाया है ।

श्री पी० के० चौधरी : सरकार का एस्टीमेट होता है, बगैर एस्टीमेट के कैसे चलते हैं ?
You must have an estimate.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस तरह से बढ़ाने का लगाया था । इनकम टैक्स के पश्चात् में यह तय किया गया था । अल्टीमेटली उसके फीगर्स महीने दो महीने में ठीक तरह से मालूम हो सकेंगे ।

जिला टोंक में कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के स्थानान्तर

११६४. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) जिला टोंक में ढाई सौ से कम तनख्वाह पाने वालों का अपने होम-डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सन् १६५६-५७ में कितने तबादले हुए ?

(ख) तबादले किन आधारों पर किए जाते हैं ? क्या इसके कोई नियम हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) राजस्व विभाग में एक भी नहीं है ।

(ख) प्रशासनिक सुविधा के आधार पर।

रावराजा श्री सरदारसिंह: प्रशासनिक सुविधा की क्या डेफिनिशन है ?

श्री अध्यक्ष : यह यहां कई दफा बताई जा चुकी है ।

प्रश्न संख्या ११६५

श्री रामेश्वरदयाल ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री पी.के. चौधरी: Questions no 1165 I have got an authority from him, Sir.

श्री अध्यक्ष : I have not received that authority.

(विराम)

श्री पी० के० चौधरी

कोर्ट फीस स्टाम्स का विक्रय

*११६६. **श्री पी० के चौधरी** (फुलेरा) : Will the Finance Minister be pleased to state :—

(a) Is the Government aware that the public is put to much incovenience on account of the present system of selling court fee stamps?

(b) Is the Government prepared to the system of selling court fee stamps through recognised dealers which has been found to be very much convenient and expeditious at other places?

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (ए) जी नहीं।

(बी) यह प्रणाली जयपुर और बीकानेर शहरों के अलावा सारे राज्य में लागू है।

श्री अध्यक्ष : श्री वेनाराम।

विकास खण्ड, खारची

११६७. **श्री वेनाराम** (खराची) : क्या सामुदायिक विकास योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राष्ट्रीय विकास खण्ड, खारची में जीप कौन सी तारीख को आई तथा आज तक कुल कितना पैट्रोल का खर्चा हुआ व जीप कितने मील चली?

(ख) आज तक जीप पाली कितनी बार गई?

(ग) क्या जीप को पाली ले जाने के लिए जिला विकास अधिकारी की इजाजत ली गई? यदि नहीं, तो क्यों नही?

मुख्य एवं योजना मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया)—(क) दिनांक ३१-३-५७ को। पैट्रोल का कुल खर्चा २,०७४) रुपये का हुआ व आज तक जीप कुल ११,७०० मील चली।

(ख) ३४ बार।

(ग) जी हां।

श्री तेजाराम : क्या अपने एरिया से बाहर जाने के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को कलेक्टर से आज्ञा लेना जरूरी नहीं है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पाली डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है। वहां पर काम-काज से आना पड़ता है।

श्री तेजाराम : लेकिन पाली रेलवे स्टेशन भी है। स्पेशल तौर से जीप ले जाने के लिए कलेक्टर से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है क्या?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : काम से आते जाते रहते हैं। मैंने निवेदन किया कि २०९) रु०.तक के प्रैट्रोल के खर्चे की उनको सेंकशन की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर जो मैंने अभी निवेदन किया है उससे कम खर्चा हुआ है।

अग्नि पीड़ितों को दी गई सहायता, शेरगढ़ तहसील

Page No.19

११६८. **श्री सूरजमल** (फलौदी) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या शेरगढ़ तहसील का ग्राम (खिरंजाखास) की कोई पुरोहितों की ढाणियां जल गईं तथा उन लाइनें में उन पुरोहितों का सारा सामान अनाज व सारा घर का घर जल कर खाक हो गया तथा एक आदमी व जानवर भी जल गए ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उपरोक्त लाइनों (आग) की जांच की गई ? यदि हां, तो किस तारीख को लाइना लगा व जांच किस तारीख को की गई ?

(३) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उनके नुकसान होने के मुताबिक सहायता दी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां, खिरजा खास में पुरोहितों की ढाणियां जल गईं और उसमें पुरोहितों का सारा सामान, अनाज आदि व घर के घर सारे जल गए । यह गलत है कि एक आदमी व एक जानवर भी जल गया ।

(२) आग ११-५-५७ को लगी और जांच १२-६-५७ को हुई । हानि २२,२६० रु० की हुई जिसका वर्णन सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दिया गया है ।

(३) जी हां, कायदे के मुताबिक सहायता दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री तनसिंह : कितनी सहायता दी गई गई है, २२ हजार के सामने ।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके मेरे पास फीगर्स एवेलेबल नहीं हैं । माननीय अध्यक्ष, I am really very sorry. वे फीगर्स होने चाहिए । माननीय सदस्य को मैं फीगर्स बाद में दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : उनको मालूम है ।

श्री बेनाराम : जांच किस तारीख को की गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जांच के लिए मैंने अर्ज कर दिया कि १२-६-५७ को ।

श्री बेनाराम : आग कब लगी थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह मैंने बता दिया कि आग ११-५-५७ को लगी थी ।

श्री अनूपसिंह : क्या सरकार को मालूम है कि जिस कर्मचारी ने जांच की थी उन्होंने रिश्वत लेने की कोशिश की थी, मगर उनको रिश्वत नहीं दी गई ।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह जानकारी मेरे पास नहीं है कि किसी ने रिश्वत लेने की कोशिश की थी । आप देंगे तो जांच की जायगी ।

श्री अनूपसिंह : क्या इस प्रकार की शिकायतें आपके पास में हुई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे याद नहीं पड़ती हैं ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार यह महसूस करती है कि जो सहायता दी गई है वह कम नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज नहीं किया कि क्या सहायता दी गई लेकिन जो कुछ भी दी गई है वह नियमानुसार सहायता दी गई है। मेरे पास उसके फीगर्स नहीं हैं।

प्राइमरी सिन्धी स्कूल टीचर्स, कोटा।

११६५. **श्री पी. के. चौधरी** (श्री रामेश्वरदयाल की अनुपस्थिति में) : Will the Chief Minister be pleased to state :—

Is the Government aware that about twelve Sindhi teachers in Kota city in primary schools have not been given any increments due to them ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): जी हां, क्योंकि इन अध्यापकों के फिक्सेशन के मामले में इनका पूरा रेकॉर्ड उपलब्ध न होने के कारण अभी तक नहीं हो पाये हैं। इन अध्यापकों के फिक्सेशन स्टेटमेंट मुकम्मल तौर पर तैयार किये जाकर ए. जी. जोधपुर को फाइनेलाइजेशन के लिये माह दिसम्बर ५७ में भेज दिये गये हैं। फिक्सेशन के मामले तय होते ही इनको तरक्कियां मिल जायेंगी।

श्री पी. के. चौधरी : From whence the record has to be obtained ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : रेकॉर्डस तो इनको सबमिट करना होगा खासतौर से क्योंकि राजस्थान में इतने पुराने रेकॉर्डस होते नहीं हैं। इनके रेकॉर्ड से ही पूर्ति करके भेजे हैं।

डॉ० चन्द्रकला : रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के द्वारा कोई जानकारी दी गई है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुकिम्मल जानकारी होती तो इनका फिक्सेशन कभी का न हो जाता।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सही है कि बहुत सारे टीचर्स का फिक्सेशन बाकी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां। इसमें काफी दिक्कत आ रही है।

डॉ० चन्द्रकला : यह दिक्कतें कब तक दूर हो जायगीं और उनका फिक्सेशन होकर उनको वाजिब इन्क्रीमेंट कब से मिलने लगेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इनके स्टेटमेंट तैयार होकर दिसम्बर ५७ को ए. जी. के पास भेजे गये हैं। ए. जी. की सेन्क्शन आने की देर है कि उनको कर दिया जायगा।

श्री पी.के. चौधरी : Is the Government aware that in such cases where record are not available, the Government of India takes ad-hoc decisions on the basis of declarations given by these people and does their fixation etc. ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसी प्रकार से रियायती तरीके से उनका रेकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। और उनके इस प्रकार के रेकॉर्ड वगैरह दूसरी बातें इकट्ठी कर के ए. जी. के पास भेज दिये गये हैं। वे पेंडिंग गवर्नमेंट के पास में नहीं हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार यह महसूस नहीं करती हैं कि निश्चय की देरी की वजह से उनको, अध्यापकों को कितनी तकलीफ होती है ?

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह ।

आबकारी विभाग की बकाया

११३०. **श्री तनसिंह** (बाडमेर) : क्या मन्त्री, आबकारी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) आबकारी विभाग की कितनी रकम बकाया है ?

(२) उन लोगों में कितना रुपया बकाया है जिनका कोई पता सरकार को मालूम नहीं है तथा उन लोगों में कितना बकाया है जो अब पाकिस्तान चले गये हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) आबकारी विभाग में दिनांक ३१–३–५७ तक १६,४४,२३१ रु० १० आ० ३ पा० बकाया हैं।

(ख) क्रमशः उनमें ४५,२८४) रु० ४ आ० तथा ४७,१७४) रु० ६ आ० हैं।

श्री तनसिंह : जो पाकिस्तान चले गये हैं और जिनका पता मालम नहीं है उनलोगों की क्या सिक्योरिटीज़ ली गई थी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी : जिन लोगों का आपको पता नहीं है उनके रुपयों का पता कैसे लग गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पाकिस्तान चले गये····।

श्री तनसिंह : आपने उत्तर दिया है कि पाकिस्तान चले गये हैं और उन लोगों का कोई पता नहीं है और उन लोगों में रुपया बकाया है तो आपके पास में जो लिस्ट है उसमें आपको मालूम नहीं कि कितने लोगों से वापस वसूली की उम्मीद है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय :जो पाकिस्तान चले गये हैं और जिनका पता नहीं है उनमें १६,४४,०००) रु० हैं जिसमें से ११,६८, ८३५) रु० और कुछ रकम की वसूली के लिए पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी एक्ट के मातहत कार्यवाही हो रही है और बाकी ७,४८,०००) रु० जो हैं उसमें डिपार्टमेंटल कार्यवाही हो रही है। कुछ विभाग में अपील के अन्तर्गत मामले पड़े हैं वे ५४,०००) रु० के हैं और न्यायालयों और रेवेन्यू बोर्ड में कुछ की अपील चल रही है उनके ६,३८८)रु० हैं और कुछ मामले खारची के हैं वे ५७, ३०१) रु० के हैं और कुछ विभाग के कर्मचारियों के पासी वसूली की कार्यवाही के चल रहे हैं वे हैं ६,२८,०००) रु० के।

श्री तनसिंह : आपने जो १६ लाख रुपया बकाया बतलाया है उसमें पी. डी. आर. के तहत ७ लाख के मामले पेंडिंग हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जाने वाले और जिनका पता नहीं उन दोनों की रकमें शामिल हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : दोनों की रकमें शामिल हैं।

श्री तनसिंह : तो इस तरह से वह ११ लाख और ७ लाख, १८ लाख हो जाते हैं फिर कितना बाकी है। जबकि ११ लाख की रकम पी.डी.आर. के तहत में वसूली हो रही

Page No.22

(श्री तनसिंह)

है और बाकी के ७ लाख के लिए बताया कि वे विभिन्न अदालतों में पेंडिंग हैं ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ६,२७,०००) रु० विभाग के पास हैं जिन पर वसूली की कार्यवाही हो रही है जो पेंडिंग हैं अपीलों में या न्यायालयों में जिनकी कार्यवाही चल रही है वे ५४ हजार और ६ हजार क्रमशः हैं और खारची के ५७,०००) रु० के हैं और ६,२७,०००) रु० पर विभाग में वसूली की कार्यवाही चल रही है । यह नहीं मानते हैं उनकी वसूली नहीं होगी ।

श्री पी. के. चौधरी : जिन लोगों का पता नहीं है उनकी प्रोपर्टी वगैरह इस देश में है या नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जानकारी मेरे पास में नहीं है ।

श्री पी. के. चौधरी : जानकारी क्यों नहीं हासिल की गई ? उनकी प्रोपर्टी से रुपया हासिल कर सकते हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कार्यवाही चल रही है और जानकारी ली जा रही होगी ।

श्री पी. के. चौधरी : यह जानकारी नहीं, आदमी का पता नहीं और उसकी प्रोपर्टी है या नहीं उसका पता नहीं । अजीब बात है !

संस्कार केन्द्र

११३२. श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री (आमेर) : क्या समाज कल्याण निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) समाज कल्याण विभाग द्वारा जयपुर जिले की किन किन तहसीलों में कितने कितने संस्कार केन्द्र खोले गये हैं ?

(ख) यह केन्द्र किस आधार पर खोले जाते हैं ? क्या यह केन्द्र शिड्यूड कास्ट्स के लोगों की पॉपुलेशन के आधार पर खोले जाते हैं ?

(ग) यदि हां, तो आमेर तहसील एवं जयपुर तहसील में जहां हरिजनों की काफी संख्या है एक भी संस्कार केन्द्र आज तक भी नहीं खोले जाने का क्या कारण है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) समाज कल्याण विभाग द्वारा जयपुर जिले की निम्न तहसीलों में संस्कार केन्द्र खोले गये हैं :

(१) तहसील जयपुर	२
(२) तहसील दौसा	१

(ख) संस्कार केन्द्र अस्पृश्यता की तीव्रता, अनुसूचित जाति के लोगों की अपेक्षाकृत अधिक संख्या, परम्परागत रूढ़िवादिता की गूढ़ता आदि अनेक कारणों को दृष्टि में रख कर खोले जाते हैं न कि मनमाने तरीके पर ।

(ग) तहसील जयपुर में दो संस्कार केन्द्र खोल दिये गये हैं । अतः यह सही नहीं है कि तहसील जयपुर में संस्कार केन्द्र नहीं खोले गये हैं । अलबत्ता तहसील आमेर में प्रावधान न होने के कारण उक्त केन्द्र नहीं खोला गया ।

(घ) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्त तक खोले जाने का प्रयत्न किया जायगा ।

Page No.23

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : जयपुर तहसील में कहां कहां चल रहे हैं उनके नाम बता दीजिये ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जयपुर में चांदपोल हरिजन बस्ती में और नाहरगढ़ हरिजन बस्ती में है ।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री : क्या मन्त्रीजी को यह पता है कि जयपुर शहर में है, जयपुर तहसील में नहीं है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जयपुर शहर भी जयपुर तहसील में ही है ।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री : ये जयपुर शहर में है, शहर के बाहर नहीं है । जयपुर तहसील और आमेर तहसील में कहां है यह बता दीजिये, फिर मैं बैठ जाऊंगा ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप तो आमेर में इन्टरेस्टेड हैं, वहां खोल दिया जायगा ।

बंजड़ जमीन—कोटपुतली

११३७. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तहसील कोटपुतली में सरकारी बंजड जमीन (जोहड़ा श्मशान भूमि) आदि को बिना इजाजत तोड़ा गया है ?

(ख) यदि हां, तो किस किस ने कहां कहां, कब कब तथा कितनी कितनी भूमि पर नाजायज कब्जा किया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(ग) क्या सरकार सम्बन्धित व्यक्तियों पर कोई कार्यवाही कर रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जोहड़ श्मशान की भूमि नहीं तोड़ी गई, अलबत्ता बंजड भूमि बगैर इजाजत तोड़ी गई है ।

(ख) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(ग) उनके विरुद्ध दफा १८३ टिनेन्सी एक्ट के तहत कार्यवाही जारी है ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री रामकरणसिंह : क्या किसी केस की कार्यवाही कम्प्लीट हो चुकी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जुडीशियल केसेज़ हैं, अलग अलग चल रहे हैं ।

श्री रामकरणसिंह : क्या कोई ऐसा केस भी है जिसकी कार्यवाही कम्प्लीट हो गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह पता नहीं है, कौनसा केस किस स्टेज पर है ? ज्युडिशियल केस है उसमें पता रहता नहीं है ।

अग्नि से क्षतिग्रस्त पुरुषार्थी बाजार, गंगानगर

११३९. **श्री श्योपतसिंह** (गंगानगर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या दिनांक २०–१०–५७ को गंगानगर के शरणार्थियों का एक बाजार आग लगने से जल कर स्वाहा हो गया था ?

(२) यदि हां, तो उस अग्नि कांड से कितना नुकसान हुआ और सरकार ने पीड़ितों को कितनी सहायता दी ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : गंगानगर के गोल बाजार नामक बाजार में शरणार्थियों इत्यादि लोगों की दूकानें दिनांक १६–१०–५७ को जल गईं। इस कारण ५,०१,२५० रु० का नुकसान हुआ। राज्य सरकार ने अग्नि पीड़ितों को नियमानुसार सहायता दी और केन्द्रीय सरकार से सहायता दिलाने की कार्यवाही चल रही है।

श्री श्योपतसिंह : राज्य सरकार ने कितनी सहायता दी है उनको ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तुरन्त २००० रु० की राहत दी।

श्री अनूपसिंह : इस तरह की सहायता किस आधार पर दी जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिये नियम बने हुए हैं।

श्री अनूपसिंह : वे नियम क्या हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गजट में नियम छप चुके हैं।

श्री पी० के० चौधरी : २००० रु० टोटल दिये हैं, या किसी एक व्यक्ति को दिये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कलेक्टर को सहायता देने का अधिकार है, उसके नियम बने हुए हैं, उसके अनुसार सबको सहायता दी।

श्री श्योपतसिंह : किस हिसाब से सहायता दी ?

श्री अध्यक्ष : रूल्स देख लीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : और सहायता दिलाने के लिये कोशिश की जा रही है।

श्री श्योपतसिंह : केन्द्रीय सरकार से सहायता दिलाने की कोशिश की जा रही है या राज्य सरकार से ?

श्री दामोदरलाल व्यास : केन्द्रीय सरकार से लोन दिलाने की कोशिश की जा रही है।

श्री श्योपतसिंह : राज्य सरकार क्यों नहीं दे रही है जब कि ५ लाख रुपये का नुकसान हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नियम के मुताबिक जितनी दी जा सकती थी उतनी दी गई।

श्री मुरलीधर व्यास : इतने दिनों के बाद कैसे दिला सकते हैं जब कि मकान जले इतने दिन हो गये ? इसका क्या मतलब है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : भारत सरकार को पहले ही लिख दिया था लेकिन आम तौर से लोन देना बन्द हो गया इसलिये वे इन्कार हो गये थे, लेकिन कुछ रकम अनलेप्स्ड पड़ी है उसमें से दिलाने की कार्यवाही चल रही है।

श्री श्योपतसिंह : कब तक दे दी जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : भारत सरकार से ऑर्डर आते ही।

प्रश्न संख्या ११४०

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

भूमि आवराटन

११४१. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री मुरलीधर व्यास)

(क) क्या यह सत्य है कि डबोक गांव जिला उदयपुर की सारी जमीन कुछ विशिष्ट लोगों ने ले ली है ?

(ख) कृपया नाम बतावें कि वह जमीन किनके नाम पर है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब अभी नहीं आ सकता है, इसलिये नेक्स्ट टर्न पर इसका उत्तर दे दिया जायगा।

आदिवासियों हेतु नई बस्तियों का निर्माण

११५७. **श्री बालमुकुन्द (डूंगरपुर):** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(क) डूंगरपुर जिले में आदिवासियों की नयी बस्तियाँ कहाँ कहाँ पर बसाई गई हैं, तथा उनमें अब तक क्या क्या प्रगति हुई है ?

(ख) उक्त बस्तियों के बसाने में सरकार की ओर से कितनी धन राशि खर्च की गई है और भविष्य में कितना रुपया खर्च और करने का लक्ष्य है ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : जिला डूंगरपुर में आदिवासियों की बस्तियां निम्न स्थानों पर बसाई गई हैं तथा उनकी निम्न प्रगति है :

क्रमांक	स्थान का नाम	प्रगति का व्यौरा
१.	बिछकुण्डली	(१) ४० मकान बनाने का कार्य प्रगति पर है। पशुगृह बन चुके हैं। (२) पंचायत घर कम स्कूल का काम चालू है। (३) एक पीने के पानी का कुआ तैयार हो चुका है। व दूसरे का कार्य चालू है। (४) काश्त की ६६० बीघा जमीन दी जाकर साफ की जा रही है।
२.	जोरावरपुरा	(१) मकानों का काम पूरा होने ही वाला है। (२) पीने के पानी का कुवा २६ फुट खुद गया है। (३) ४५० बीघा जमीन साफ कराई जा रही है।
३.	रातापानी	(१) ८०० बीघा जमीन साफ कराई जाकर खेती के योग्य बनाई गई। (२) अकाल पड़ने से पानी की कमी हो गई, अत: मकान बनाने का काम शुरू नहीं हो सका।
	मुवासा	(१) मकानों का काम जारी है। सारे मकान करीब करीब छत तक आ गये हैं।

Page No.26

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

(ख) अब तक उक्त बस्तियों पर १,६६,१७५ रु. दिये गये हैं। भविष्य के लिये कोई रकम निश्चित नहीं की गई है। आवश्यकता पड़ने पर विचार किया जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास : वहां पर बस्ती बसने के पूर्व ये लोग कहां पर रहते थे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अपने अपने जङ्गलों में पहाड़ों पर रहते थे।

श्री बालमुकुन्द : क्या यह सही है कि जहां पर बस्तियां बसाई हैं वहां पर वे लोग रहना नहीं चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : ऐसी जानकारी नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने अभी यह कहा कि पहले ये लोग जंगलों में रहते थे, वे पहले जंगलों में रहते थे तो अब उनको इस प्रकार से बसाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: जंगलों में और पहाड़ों पर अलग अलग घर बना कर रहते थे, वहां पर उनको खेती के लिए पानी आदि की तकलीफ रहती थी। अब समतल जमीन पर रहने से उनके लिये पानी आदि की समस्या नहीं रहेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : वहां पर वे क्यों रहना पसन्द करते थे और उनके जीवन निर्वाह के लिये क्या आर्थिक साधन थे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कभी आप डूंगरपुर के भील इलाके में गये होंगे तो मालूम होगा कि वे किस तरह से अपना जीवन निर्वाह करते थे और क्या उनकी आमदनी के साधन थे।

श्री मुरलीधर व्यास : वहां पर वे किसी न किसी तरह से अपना जीवन निर्वाह करते थे, अब आप उनको वहां से हटा कर क्यों अलग अलग जगहों पर बसाना चाहते हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो बसाना चाहते हैं उन्हीं को बसाया जा रहा है; जबर्दस्ती नहीं बसाया जा रहा है। समतल भूमि पर खेती करने को जमीन मिलेगी, पानी मिलेगा और दूसरी सुविधाओं का इन्तजाम होगा। वहां पर अच्छी तरह से खेती नहीं कर सकते थे।

श्री बालमुकुन्द : क्या यह सच है कि जिनको वहां बसाया है उनके पास पहले जमीन काफी थी और नयी बस्ती में काफी सुविधा नहीं होने से वे वहां बसना पसन्द नहीं करते ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उनको हर तरह की सुविधा दी गई है। पहले उनके पास जमीन थी या नहीं इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री बालमुकुन्द : वे लोग नयी बस्ती में रहना पसन्द नहीं करते यह बात कहां तक सत्य है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री बालमुकुन्द : जानकारी नहीं है और वे लोग पहले थे वहीं खुश हैं, तो क्यों दूसरी जगह रखना चाहते हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सरकार चाहती है कि वे आराम से रहें, उनको सब तरह की सहूलियत खेती, पानी आदि के लिए मिले, इसलिए बसाना चाहते हैं, जबर्दस्ती नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया।

छात्र-वृत्ति समाज कल्याण विभाग, नागौर

११५६. **श्रीमती गौरी पूनिया** (डेगाना) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५७-५८ में नागौर जिले में समाज कल्याण विभाग की ओर से कितनी राशि छात्र-वृत्ति के लिये स्वीकृति की गई थी ?

(ख) उक्त छात्र-वृत्ति किस किस को दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(ग) छात्र-वृत्ति किस कक्षा से मिलनी आरम्भ होती है ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : सन् १९५७-५८ में नागौर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा कुल ६,०९६ रु० की राशि छात्र वृत्ति के लिये स्वीकृत की गई है।

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) कक्षा २ से।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा के पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री तनसिंह : प्रश्न संख्या ११५० काफी इम्पोर्टेन्ट है, यदि टाइम हो........

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ११५०।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): पूछने वाले नहीं हैं, There is no authority I think.

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : हम जबाब दे रहे हैं।

(हंसी)

ठिकाना खिंवाड़ा, तहसील देसूरी (जोधपुर)

११५० **श्री तनसिंह** (श्री भैरोंसिंह की अनुपस्थिति में): क्या राजस्व मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) ठिकाना खिंवाड़ा तहसील देसूरी (जोधपुर डिवीज़न) कोर्ट ऑफ वार्ड्स से कब मुक्त किया गया ? ठिकाने का चार्ज किसको दिया गया ? ठाकुर की उस समय उम्र क्या थी ?

(ख) इस ठिकाने को कोर्ट ऑफ वार्ड्स से मुक्त कराने की दरख्वास्त किस व्यक्ति ने कब सरकार के समक्ष पेश की और उस पर अन्तिम निर्णय कब हुआ ?

(ग) कोर्ट ऑफ वार्ड्स से मुक्त होते समय इस ठिकाने की कितनी रकम कोर्ट ऑफ

(श्री तनसिंह)

वार्ड्स में जमा थी और रकम कौन कौन सी तारीख को कितनी किश्तों में उक्त ठाकुर को दी गई ?

(घ) क्या इस रकम के दिये जाने के सम्बन्ध में इसके हकदार (राज्यों तथा ठाकुरों) में कोई झगड़ा हुआ था ? यदि हां, तो इसका निपटारा किस तरह हुआ ?

(ङ) क्या यह सही है कि इस ठिकाने का स्वर्गीय ठाकुर जोरावरसिंहजी के बाद गोदनशीनी का भी झगड़ा था ? यदि हां, तो इसका निर्णय किसके पक्ष में कब और किसके आदेश से हुआ ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

(क) दिनांक २५-३-५२ को चार्ज ठा० प्रतापसिंह खिवाडा को दिया गया। ठाकुर साहब की उम्र उस समय २३ वर्ष की थी।

(ख) दरख्वास्त सर्व श्री अमरदत्त व सुखदेव एडवोकेट की ओर से दिनांक १८-१०-५१ व २३-१०-५१ को पेश हुई। अन्तिम निर्णय २५-३-५२ को हुआ।

(ग) कुल रकम २४६०५७) थी जिसमें से निम्न प्रकार ठाकुर को चुकारा किया गया :

ता०	२-४-५२ को	१००००)
ता०	१३-४-५२ को	२००००)
ता०	२२-७-५२ को	१००००)
	कुल	४००००)

बाकी रकम कोर्ट ऑफ वार्ड्स के डेबिट की कटौती करके १८-१-५८ को १६५५२१) रु० की अदायगी की गई।

(घ) माजी और ठिकाने के ठाकुर के बीच झगड़ा इस प्रकार था कि माजी ५००) रु० माहवार के हिसाब से खानगी चाहती थी।

१० मेड सर्वेंट्स के लिए १५) रु० माहवार के हिसाब से चाहती थीं यानी १५०) रु० महावार, ७५ रु० माहवार नौकरों के लिए इस तरह ७७५) रु० माहवार चाहती थी। इसके अलावा वे अपना एरियर्स भी मांगती थीं। जागीरदार माजी को ३०० रु० महावार देना चाहता था जिसे माजी ने मन्जूर नहीं किया। २६ मई, १९५३ को राजस्व विभाग से माजी को ४०० रु० महावार खानगी मंजूर कर दी गई और पिछले एरियर्स के दिलाने लिये भी आदेश दे दिए गए।

इसके अलावा ५०,००० रु० माजी स्वर्गीय ठाकुर साहब की छतरी बनवाने के लिए चाहती थी व करीब २,००,००० रु० जो माजी द्वारा ठिकाने को कर्ज दिया गया बताया जाता था वह भी वसूल करना चाहती थी। माजी के इन क्लेम्स के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को यह हुक्म दिया गया कि वह इस बारे में तहकीकात करे।

(ङ) जी हां। निर्णय ठा० प्रतापसिंह के हक में ता: १३-६-५० को सरकार द्वारा हुआ।

१२.४ म० प०

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से, उस समय के लिए जो उनके नाम के आगे निर्देशित हैं, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है :

(श्री अध्यक्ष)

१. श्री शंकरलाल (१५३) ४-४-५८ से ५-४-५८ तक

२. श्री मोती बाबा चौधरी ५-४-५८ से ८-४-५८ तक

३. श्री रामेश्वर दयाल ७-४-५८ से १५-४-५८ तक

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

आश्वासन समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष: श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन समिति (१९५७, ५८) का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

१२·५ म० प०

राजस्थान अभ्रक विधेयक, १९५८

(अग्रेतर खण्डशः विचार एवं पारित)

श्री अध्यक्ष : लेजिस्लेटिव बिज़नेस । राजस्थान माइका बिल, १९५८ के क्लाज़ १८ पर विचार हो रहा था ।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था ।

श्री अध्यक्ष : वह लेट आया था इसलिए उस (श्री तनसिंह के संशोधन) पर विचार किया जा रहा है ।

श्री मोहरसिंह : मैंने ११ बजे दे दिया था ।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ १८ पर आपका (श्री तनसिंह जी का) एक संशोधन है ।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो संशोधन का प्रस्ताव था, वह मैंने पिछले दिन मूव कर दिया था और उसके ऊपर जो कहना था, वह काफी कह दिया था । मेरा निवेदन यह था कि जो कम्प्रोमाइज़ करने का, कम्पाउन्ड करने का अधिकार गवर्नमेंट को दे दिया गया है, वह नहीं रखना चाहिए गवर्नमेंट को अपने पास । मैं समझता हूँ कि जो चोर चोरी करता है, उसको चोरी करने के बाद सजा मिलनी चाहिए । लेकिन उसके विपरीत परिस्थिति यह है कि उसको कानून अपने हाथ में लेकर, उसको पकड़ कर, उसे सजा देने की बात होती है, उसके साथ कम्पाउन्ड करके, समझौता करके गवर्नमेंट को उसको छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि जो राज्य सरकार की आय की कानून के विरुद्ध चोरी करता है । इस पक्ष में मैंने दलील दे दी है और उस दिन दे चुका था ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल(उप मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने क्लॉज़ १८ को डिलीट करने के बारे में अभी बतलाया और परसों के रोज भी आपने यह कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को ऐसी ऑथोरिटी नहीं होनी चाहिए । मैं निवेदन करूं कि कुछ कानून ऐसे हैं, जिनमें ऑफेन्सेज़ को कम्पाउण्ड करने

(श्री रिखबचन्द पालीवाल)

के प्रावधान हैं। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूं तो उचित होगा कि राजस्थान के भी बहुत से कानून ऐसे हैं और जहां पर ऑफेन्सेज को कम्पाउन्ड करने के लिए बतलाया गया है; जैसे—राजस्थान एक्साइज़ एक्ट, १६५०की धारा१७, राजस्थान फिशरीज़ एक्ट, १६५३ की धारा ११, राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, १६५३ की धारा ६८ और राजस्थान एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स की धारा ७२ में ऐसे प्रावधान हैं। तो ऐसी दशा के अन्दर यह कहना कि कम्पाउन्ड करने का जो अधिकार है, वह सरकार को नहीं रखना चाहिए, गवर्नमेंट को अपने पास नहीं रखना चाहिए। मैं निवेदन करूं कि यह पहले भी कई कानूनों में आया है और समय समय पर जो कानून होते हैं, उनके अनुसार दिया जाता है। जहां तक किसी कॉमर्शियल ट्रान्जेक्शन का सवाल है या सरकार की किसी प्रोपर्टी को कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर देने का सवाल है, उनसे उत्पन्न होने वाले जितने ऑफेन्सेज़ हैं, उनको कम्पाउन्ड करने का अधिकार अलग अलग एक्ट्स की धाराओं में दिया हुआ है। यह माइक बिल भी इस प्रकार का है कि जिसमें माइका के एक्ट्रेक्शन करने के बाद उसको सेल कहने के, उसको पर्चेज़ करने के बारे में क्या नीति होनी चाहिए, किस तरह उसे रेगुलेट होना चाहिए, वह यह है। उस बिल के अन्दर ऐसी बात नहीं है कि जिससे माना जाय कि इस एक्ट के नीचे दिए हुए जितने भी क्लॉजेज़ हैं, उनके अनुसार किसी प्रकार से अपराध करता है, तो सीरयस ऑफेन्स नहीं करता है ? मान लीजिये थोड़ी देर के लिए कि कोई माइका का गलत तौर पर पजेशन ले लेता है, तो यह मुमकिन हो सकता है कि उससे एक टेक्निकल ऑफेन्स हुआ हो, फिर भी उसको सज़ा दे दी जाय। उसका माल जब्त कर लिया जाय। लेकिन ऐसे कम्पाउन्ड करने के बारे में प्रावधान होना जरूरी है। ऐसा प्रावधान दूसरे कई एक्ट्स में किया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी दशा के अन्दर आपका यह कहना कि सरकार को यह अपने पास अधिकार नहीं रखना चाहिए, यह भी ठीक नहीं है। वह इस मायने में ठीक नहीं है कि दफा १८ में बतलाया गया है :

"Subject to such restrictions and conditions, if any, as may be prescribed, the Controller or any other officer authorised by the State Government in this behalf may compound any offence under this Act..."

सरकार एक कन्ट्रोलर को अधिकार देगी, या किसी को ऑथोरिटी देगी कि इन रेस्ट्रीक्शंस के, इन कन्डीशन्स ताबे वह ऑफेन्स को कम्पडन्ड कर सकता है। उसकी टर्म्स क्या होगी, वे सारी बातें रखी जायंगी। जैसा और कानून में बतलाया है, कम्पेन्सेशन के बारे में विचार करके इनमें कम्पाउन्ड करने का अधिकार दिया जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि यह बिल्कुल उसी तरह का एक प्रावधान है जैसा कि मैंने बतलाया, फिशरीज़ एक्ट, फोरेस्ट एक्ट, एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स एक्ट में है। उसी तरह का यह प्रावधान है। इसलिए इसके अन्दर यह होना जरूरी है और यह प्रावधान बिल्कुल ठीक है।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जवाब दिया गया है मुझे उससे कोई खास एतराज नहीं है। इसलिए एतराज़ नहीं है क्योंकि कम्पाउण्ड करने

(श्री तनसिंह)

पॉर्वस करीब करीब सब एक्ट्स में होते हैं। मैं मन्त्री महोदय से अब निवेदन करना चाहता हूं कि परसों के दिन तो जरा थक गये थे, शाम पड़ गई थी सो वे भी शायद एडेमेन्ट थे संशोधन स्वीकार करने में। अब आज सुबह का वख्त है शायद वे फ्रेश होकर आये हैं। क्लॉज १७ वीं पास हो गई है, उसमें अमेंडमेंट स्वीकार करते हैं तो बहुत अच्छा है, अमेंडमेंट जो बिना वारन्ट रात में तलाशी लेने के प्रोवीजन को हटाने के बारे में था वह स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी उदारता और बडप्पन प्रकट होगा। वरना मैं तो इस संशोधन को विद्ड्रॉ करने में अपना बड़प्पन बता ही सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १८ में जो संशोधन श्री तनसिंह ने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री तनसिंह : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १८ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १८ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ १६, अमेंडमेंट है आपका।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उपमन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं क्लॉज़ १६ में यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

"Insert 'Central Act' before "XLV" and "LIII" within brackets."

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संशोधन स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६ संशोधनानुसार, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६, संशोधनानुसार, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ २०.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २० स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २० विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ २१।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उपमन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २१ में निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

"Substitute 'official Gazette' for 'Rajasthan Gazette'."

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह का एक अमेंडमेंट है :

"Omit the words 'after previous publication' occuring in sub-clause(1)"

Page No.32

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष, मैं इसे मूव नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि उपमंत्री महोदय का संशोधन स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१, संशोधनानुसार स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज २१, संशोधानुसार, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ २२।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २२ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १, इनेक्टिंग फोर्मुला इत्यादि।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उपमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इनेक्टिंग फोर्मुला में मेरा यह संशोधन है :

"1. Substiute 'Be It' for 'It is hereby'.

2. Substitute "Rajasthan State Legislature "for 'State Legislature of Rajasthan'."

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ १ में भी है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उपमन्त्री) :
"In sub-clause (3) substitute:—
1. 'date' for 'day'.
2. 'official Gazette' for 'Rajasthan Gazette'."

श्री अध्यक्ष : Motion moved.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १ में व इनेक्टिंग फोर्मुला में जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं, वे स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, इनेक्टिंग फार्मुला इत्यादि, संशोधनानुसार, स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, इनेक्टिंग फोर्मुला इत्यादि संशोधित रूप में, विधेयक के अंग बने।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें जनरल क्लॉजेज़ एक्ट को एप्लाई

Page No.33

(श्री तनसिंह)

नहीं किया गया है, यह इसमें सबसे पहली खामी रही है, खासतौर पर जब कि इसकी कमेंसमेंट की तारीख नहीं दी हुई है और इन्टरप्रिटेशन के लिये जरूरी है कि जनरल क्लाज़ेज एक्ट को इसमें एप्लाई किया जाय, पर मैंने देखा है कि यह इसमें नहीं है। तो रूल को रिलेक्स करके यह इसमें करना चाहिये। पहले का है वह राजस्थान, फोर्मर राजस्थान स्टेट पर लागू होता था, रिओर्गनाइजेशन के बाद इस क्लॉज़ को अलग ही रूप में लगाते हैं पर इसमें मैंने देखा है कि यह नहीं है, इसलिए इसमें यह संशोधन होना जरूरी है।

दूसरा यह है कि वह भी इसी तरह रूल्स को रिलेक्स करके १७ वीं क्लॉज़ में जो मैंने संशोधन रखा था उसको स्वीकार करें। १७ वीं क्लाज़ में "or night" है, उसको हटा दें।

वे पहले कुछ कह रहे थे....

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं निवेदन करूंगा कि अभी और भी बातें होंगी तब इसको देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष : जब लास्ट स्टेज ही है, आपका प्रस्ताव है कि विधेयक पारित किया जाय।

श्री तनसिंह : हां, ऐसा हुआ है साहब।

श्री अध्यक्ष : हो सकता है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप बहुत प्रेस कर रहे हैं तो आपका जो संशोधन है उसे मैं स्वीकार करता हूँ।

श्री तनसिंह : मुझे तो प्रेस नहीं करना है। जनरल क्लॉजेज़ एक्ट को लागू करना आवश्यक है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जनरल क्लॉज़ेज एक्ट के बारे में मैं निवेदन करूं कि वह ओटोमेटिकली हो जाता है। इसके करने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें जनरल क्लॉजेज़ एक्ट लागू किया जायगा, generally it is construed to be applicable.

यह जरूरी थोड़े हो जाता है कि जनरल क्लाज़ेज एक्ट इसमें लागू किया जाना चाहिए कि provision of General Clauses Act will be applicable.

श्री तनसिंह : यह नहीं हो सकता। मुझे तो कोई एतराज नहीं। पिछली असेम्बली में पास हुआ और पिछले राजस्थान में लागू होता था। इसमें लागू नहीं करें तो भी इतना झगड़ा नहीं होगा।

आपने वह मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया है, इसकी मुझे प्रसन्नता है।

श्री अध्यक्ष : क्या संशोधन मूव किया था, 'or Night' को डिलीट करने का!

Omit the words 'or night' occuring in the fourth line of sub-clause (1) of clause 17.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : क्लॉज़ १७ की टैन्थ लाइन में 'or night' है उसको डिलीट करने का।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि क्लॉज १७ में यह संशोधन स्वीकार किया जाय?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

१२'१० म. प.

राजस्थान अभ्यस्त अपराधी (संशोधन) विधेयक, १६५८

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान हेबिच्युअल ऑफेन्डर्स (संशोधन) विधेयक, १६५८ विचारार्थ लिया जाय।

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : Introductory ? yes.

श्री तनसिंह : यह भी बता दें कि पिछली बार से इस बार तक ऑफेन्सेज़ कितने रजिस्टर हुए।

श्री रामकिशोर व्यास (गृहमन्त्री) : जी हां।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान हेबिच्युअल ऑफेन्डर्ष बिल, १६५३ में पास हुआ था। उसके पश्चात् यह हुआ कि भारत सरकार ने राज्य सरकार से आलोचनात्मक टिप्पणियां मंगाकर उस पर विचार किया और उसके बाद यह तय हुआ कि ऐसा कानून बनाया जाए जो सारे देश में लागू हो। इसलिए सारी जगह एक रूपता लाने की दृष्टि से एक बिल तैयार किया। कानूनी राय यह रही कि जो सेन्टर में है उसके अनुसार इस बिल को मोडर्न बिल बनाया जाए। उसके बेसिस पर यह नया बिल हो रहा है। इसमें और पहले एक्ट में काफी अन्तर है और मैं समझता हूं कि इस बिल को काफी उदार बनाया गया है। पहले के बिल में कई प्रकार की दिक्कतें थीं उनको इसमें से हटाया गया है और कई सुविधाएं दी गई हैं। मतलब एक क्लॉज २ में जो हेबिच्युअल ऑफेन्डर्स की डेफिनिशन है उसमें और इसमें बहुत अन्तर है। पहले उसमें यह था कि १० वर्ष में तीन दफा सजा पाया हुआ हो। अब हमने इसमें १० वर्ष के बजाय ५ वर्ष कर दिए हैं। पांच साल में ३ बार कन्विक्शन हो। इसके बाद कन्विक्शन १८ साल की उम्र के बाद के होंगे, पहले के नहीं। इसके अलावा उनको ट्रेनिंग देने की भी व्यवस्था की जा सकती है। इसके अलावा प्राइवेट इन्स्टीट्यूट हैं उनके कई रूल्स बनाए हुए हैं उनको भी ऐसा अवसर दिया जावे और ट्रेनिंग दी जावे जैसे बॉम्बे में इस प्रकार की स्कूलें हैं जिसमें उनको शिक्षा दी जा सकती है।

इसी प्रकार क्लॉज़ ५ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार दिये हैं कि अगर वे चाहें तो किसी हैबिचुअल ऑफेन्डर्स के एक्शन के नोटिफाइंग क्लॉज को वेव कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोसीजर मैटर है उसमें भी नया सेक्शन किया गया है कि प्रोसीजर इस तरह से होगा। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जावेगा उसकी इन्फोरमेशन करेगा। सबसे बड़ी बात जो उसके मुफीद है वह यह है कि

(श्री रामकिशोर व्यास)

पहले के एक्ट में जब किसी व्यक्ति को हेबिच्युअल ऑफेन्डर्स के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कर लिया जाता था तो वह ओटोमेटिकली उससे मुक्त नहीं होसकता था। चाहे १०-२० वर्ष भी गुजर जाए। जब तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई ऑर्डर पास नहीं करता तब तक यह कन्डीशन वेव नहीं होती थी। लेकिन इसमें यह प्रोवीज़न कर दिया गया है कि ५ साल के बाद ओटोमेटिकली वह हट जाएगी और इसके बाद वह हेबिच्युअल ऑफेन्डर नहीं रहेगा। उसकी अवधि ५ वर्षों में समाप्त हो जावेगी। दुबारा कन्विक्शन हो जाए तो फिर हो सकता है। अगर वह कोई ऑफेन्स नहीं करे तो ओटोमेटिकली वह अवधि ५ साल के बाद समाप्त हो जाती है, जब तक कि उसको री रजिस्टर नहीं करे।

इसी तरह से एक दफा हेबिच्युअल ऑफेन्डर रजिस्टर करने के बाद उनके पास उसको केन्सिल करने के अधिकार नहीं थे। अब यह नया प्रोवीज़न इसमें एड किया गया है। इसी तरह से सबसे बड़ी बात यह है कि रूल १० में जो थी ६ महीने की सजा और २०० रु० का जुर्माना और उसके अलावा सब्सीक्वेन्ट कन्विक्शन में साल भर की सजा इसी तरह सेक्सन ११ में भी क्रिमिनल प्रोसीजर में दिया हुआ था उसके अनुसार सजा दी जाने को थी। वह सब एमेन्ड कर दिया है और १००) तक का ब्रीच ऑफ रूल करे उस पर जुर्माने की सजा रखी है। कहां साल भर और ६ महीने की सजा और कहां १००) तक का जुर्माना ! काफी लिबरेलाइज़ किया है। मैं तो यह कहूंगा कि यह सारा का सारा नया है। मैं तो आशा करता था कि इस बिल में जो उल्लेख किया है वह अवश्य हेबिच्युअल ऑफेन्डर्स का पहला एक्ट था उससे लिबरेलाइज़ किया गया है। श्री तनसिंह हंस रहे हैं। मुझे वे बातें समझायेंगे कि इसमें कहां दिक्कत है ? मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। मैं एक बात आप से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सारे भारतवर्ष के लिए एकसा बिल हो, इस लाइट में रहें तो अच्छा हो।। रूलिंग और जजमेंट के लिए अच्छा रहता है। छोटी-छोटी बातें हो सकती हैं। आपको एमेन्डमेन्ट लाने का पूरा अधिकार है, मैं नहीं कहता। लेकिन मैं माननीय सदस्य की सेन्स के बारे में कहूंगा कि इससे काफी लिबरेलाइज़ किया गया है।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेन्ट है कि इस बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिये १५ अगस्त, १९५८ तक सर्क्युलेट किया जाए।

श्री रामकिशोर व्यास : अमेन्डमेन्ट मुझे नहीं मिला।

श्री तनसिंह : अब सुन लीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे तो नहीं मिला।

श्री तनसिंह : It is not necessary that the amendment be circulated.

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय गृह मन्त्री महोदय ने इस बिल का इतिहास और थोड़ा सा पहले का कानून था उसमें और इस बिल में जो अन्तर बताया और इसको मोडरेट बनाने की बात कही और जिक्र किया। उसके लिए मैं तो यह कहता हूं कि यदि आप पहले क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लागू थे उससे मुकाबला करते तो ज्यादा तथ्य पाते कि पहले

(श्री तनसिंह)

जमाने में लोगों को पुलिस में बुलाया जाता था। दोनों समय उन लोगों की हाजरी होती थी। उन पर यह पाबन्दी एक कौम से पैदा होने के कारण हुआ करती थी चाहे वह जुर्म करे या न करे, उस पर लाज़मी होता था। यदि उसके पहले के समय की तुलना करें तो आपको और ही बातें मिलेंगी। मगर यह प्रश्न तुलना का नहीं है। मैं यह कहूंगा कि आपके पास आज की आपकी स्टेच्यू बुक में इस प्रकार का एक्ट शोभा नहीं देता है या नहीं। आप चाहें कुछ भी कहें लेकिन यह उचित नहीं कहा जा सकता कि हमारे देश के स्वतन्त्र होने के ११ वर्ष बाद में भी हमारे यहां ऐसा कानून हो जिससे कि लोग आंख उठाकर इशारा कर सकें कि स्वतन्त्रता के युग में भी ऐसा कानून है जो आज से ५ वर्ष पहले या १० वर्ष पहले या ११ वर्ष पहले था। जहां तक तुलना का प्रश्न है, वैसे तो आपने जो तथ्य बताये हैं, मैंने जो अमेन्डमेन्ट रखे हैं वे आवेंगे तब निवेदन करूंगा। मगर यह कहूंगा कि यह कानून १९५३ में राइज हुआ। मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया था कि कितने हैबिच्युअल ऑफेन्डर्स रजिस्टर्ड हुए और कितनों को एक्सहेन्सिव पनिसमेंट मिली। उसके बारे में सब जानकारी देते तो कह सकते थे कि वास्तव में राजस्थान में हैबिच्युअल ऑफेन्डर्स एक्ट की जरूरत है या नहीं। माननीय मन्त्री महोदय, मैं उस दिन को आज से अच्छा मानता हूं जब आज से कई वर्ष पहले कांग्रेस, आजादी के लिए प्रयत्न कर रही थी उस समय सभी लोग बिना किसी भेद-भाव के अपने विचार प्रगट करते थे और उनका यही लक्ष्य होता था कि स्वतन्त्रता प्राप्त करना है और अपना भविष्य स्वर्णिम बनाना है। लेकिन जब स्वर्णिम भविष्य आने को हुआ, हमको आज़ादी मिली, संविधान पास किया गया उस समय उस भविष्य के रूप में ऐसे अधिकार दिये गये जो मानव मात्र के गोरवान्वित होने के लिए काफी हैं। लेकिन जब संविधान में प्रदत्त अधिकारों पर थोड़ा इधर उधर से कुठाराघात होता है तो हमें दुख होता है कि क्या जो स्वर्णिम भविष्य दिखाई दे रहा था वह दिखने वाला है या जो अंग्रेजी हुकूमत चल रही थी। जिसको निकाला गया, वही नये सिरे से आज चल रही है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस कानून का इतिहास बता दूं। जब क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट चल रहा था तो हमारी सरकार ने उसको रिपील नहीं किया। एक सांसी है, उसको क्रिमिनल ट्राइब्स के अन्तर्गत सजा मिल गई। उसने रिट पेश की। पंजाब हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि यह संविधान की धारा १३, १४, १५ के विरुद्ध है इसलिए निरस्त माना जावेगा। फिर एक क्रिमिनल ट्राइब्स इन्क्वायरी कमेटी बनाई गई। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जिसको संविधान के विरुद्ध माना गया तो कोई आवश्यकता नहीं थी कि कोई इन्क्वायरी कमेटी बैठाते। सन् ४९ में एक कमेटी बैठी। उसकी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आयी। यदि पिछले अधिवेशन में भी यह रिपोर्ट आई होती तो हमें यह मालूम होता कि किन तथ्यों पर सरकार इसको पास कराना चाहती है। लेकिन वह समय निकल गया। सन् ५२ में गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने आदेश दिये कि हैबिच्युअल ऑफेन्डर्स बिल बनाये। हमारे यहां सन् ५३ में आया। उससे पहले दो आर्डिनेन्स पास किये। दो आर्डिनेन्स पास करने से सहज ही यह विचार हो सकता है कि सरकार किस तरह से इसके लिए लालायित थी। इस तरह से हमारी सरकार ने दो ऑर्डिनेन्स इश्यू करके एक्ट पास किया। उस समय होम-

Page No.37

(श्री तनसिंह)

मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब का स्पष्ट आश्वासन था कि इस कानून को नहीं बनाना चाहते। जो कानून था उसमें रद्दो-बदली होनी चाहिए थी और उसको बदलना चाहिए। लेकिन यह देखते हैं कि एक नया बिल फिर होम मिनिस्टर साहब लाये हैं। कानून में कुछ बातें हैं जिनके विषय में होम मिनिस्टर साहब ने विचार प्रकट किये हैं उनकी ओर अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि हमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट से यह आदेश मिला है कि इस कानून को इस ढंग से पास कर लिया जाय। मेरा निवेदन है कि जनतन्त्र के युग में कोई सरकार क्या चाहती है यह महत्वपूर्ण बात नहीं है बल्कि जनता क्या चाहती है यह महत्व-पूर्ण है। हमारा गणतन्त्र राज्य है, यूनियन मिनिस्टरी है वह क्या चाहती है यह आवश्यक और महत्वपूर्ण चीज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि जनतन्त्र में जनरल बिल प्रिवेल करती है और वास्तविक रूप में डेमोक्रेसी है। इस जनतन्त्र के युग में जब जनता की विल प्रिवेल होती है तो फिर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के द्वारा बनाया हुआ मॉडल बिल है और क्योंकि उसकी मंशा है इसलिए इसको पास किया जाना चाहिए। यह क्यों होना चाहिए? इसलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इसको जनमत के लिए प्रसारित किया जाय। क्योंकि यदि आप अपनी इच्छानुसार कानून बनाते जावेंगे और जनता की इच्छा का ध्यान नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से वह प्रजातन्त्रवाद नहीं है। मैं आपको कौटिल्य के अर्थ शास्त्र से एक उदाहरण दूं :

'प्रजा सुखं, सुखं राज्य।'

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसा ही मान लेंगे।

श्री तनसिंह : यह उदाहरण एक प्रामाणिक चीज़ है। अर्थ शास्त्र के तगड़े से तगड़े विद्वान् की जो भारतवर्ष का एक महान् और श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ था। उनकी सलाह यदि नहीं मानेंगे तो फिर हमारी सलाह कब मानेंगे? इसलिए मैं उदाहरण देना चाहता था।

श्री रामकिशोर व्यास : वैसे ही मान लेंगे।

श्री तनसिंह : हमारी सलाह मानते हैं तो फिर इसको पब्लिक ओपीनियन के लिए सर्कुलेट कर दीजिये।

श्री पुरुषोत्तम लाल : यह अर्थ बिल नहीं है।

श्री तनसिंह (जारी): अर्थ बिल तो नहीं है। अच्छे राज्य के संचालन के लिए नीति दी हुई है। फिर भी मैं उस ओर समय न लेकर इसके समर्थन में निवेदन कर दूं कि यदि राज्य या शासन अपनी इच्छानुसार चलता रहे तो अधिक दिनों तक वह नहीं चलता रह सकता। जनता की इच्छा ज्ञात करनी चाहिए। पहले जब असेम्बली में बिल पेश हुआ था तो ऐसा ही मोशन आया था। उस समय भी हमने कहा था कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित करना चाहिए। लेकिन वह नहीं भेजा गया। हम अब भी कहते हैं कि यदि केन्द्रीय मंत्रालय की इच्छा है तो भी हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके अनुसार ही हम चलें और उसको पूरा करें। हमारे लिए तो यह आवश्यक है कि राजस्थान की जनता की क्या इच्छा है इसको देखें। जिस समय यह जरायम पेशा कानून लागू था, एक जाति विशेष के लोगों को आना पड़ता था चाहे वह अपराधी हो या नहीं। मैं मान लेता

(श्री तर्नासिंह)

हूं कि अब वह समय नहीं रहा है । इस कानून के अनुसार अपराध करने वाले को हाज़री देनी पड़ेगी । उसके मूवमेन्ट्स कोआप-रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि साधारण कानून प्रिवेल होना चाहिए । साधा-रण कानून से पहले ही आप सजा ऐसी दे दीजिए कि उसको दूसरी दफा अपराध करने की आवश्यकता ही न रहे । आज जेलों में जाकर देखिये कि जो साधारण कैदी हैं उनको कोई परवाह ही नहीं है, चिन्ता ही नहीं है । मैं कई कैदियों के साथ रहा हूं । मैंने जब उनमे सम्पर्क बढ़ाया तो मुझे मालूम हुआ कि एक ने कहा कि कुछ दिन हम यहां रहते हैं और कुछ दिन बाहर रहते हैं और फिर चोरी करके यहां आजाते हैं । एक कैदी को छः सात वर्ष हो गये, थोड़े २ दिनों के बाद फिर आ जाता है । इसका क्या कारण है ? कारण यही है कि उस कैदी को कोई डर नहीं है । दो चार साल जेल में रह जायगा । इसलिए पहले ही सजा ऐसी रखनी चाहिए कि चोरी करता है तो उसका हाथ काट दिया जाय । एक दफा ऐसा कर दीजिए, चोरी करने वाले को चौपड़ पर ले जाकर उसको वास्तविक सजा दे दीजिये, दूसरों की फिर कभी चोरी करने की भी हिम्मत नहीं होगी । लेकिन आप कहते हैं कि इतना बुरा काम नहीं करते । जनता भड़क उठेगी । यदि हाथ काट दिया तो वह खायगा क्या ? राज्य चलाते हैं तो ऐसी सजा देनी पड़ेगी । हाथ न काट कर उसको पंगु बना रहे हैं । इस बिल के द्वारा आप कर रहे हैं कि ज्योंही उसने अपराध किया, हैबिच्युअल ऑफेन्डर है तो एक दफा उसको पांच साल के लिए भेज दिया । इन पांच साल में उसको क्या ट्रेनिंग होगी, यह मन्त्री महोदय भी नहीं जानते । या तो उसको अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए या चर्खा कातने के लिए या कांग्रेस की ए. बी. सी. डी. पढ़ाने के लिए रखा जायेगा और जब वह पास होकर आवेगा तो एक सधा-सधाया नेता बना हुआ होगा । एक तरफ तो उसकी वही मनोवृत्ति और ऊपर से चढ़ा हुआ लिबास, वह फिर नये सिरे से अप-राध करेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी के सर पर साइन बोर्ड लगा दीजिये कि अमुक चोर था । जैसे पहले होता था कि गरम सलाखे से सिर पर निशान लगा दिया जाता था कि अमुक ने अमुक अपराध किया है । इसमें दिया है कि हैबिच्युअल को समय समय पर रजिस्टर करना पड़ेगा । उस अपराधी को पांच साल के लिए कलेक्टिव ट्रेनिंग के लिए भेज दिया । कहा यह जाता है कि चोर को सुधारने के ये रास्ते हैं । यह किसी क्रिमिनॉलोजी, साइकोलोजी के अनुसार है, मैं समझता हूं यह अनोलोजी है । स्वतन्त्रता के लिए जो आश्वासन दिये थे उसकी एक मात्र अनेलोजी है । आप चाहते हैं कि वे आकर सम्मानित जीवन बिता सकें और उनको बिताना चाहिए उसको किसी एक इलाके में रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं । मैं नहीं समझता कि पुलिस विभाग पर इतना रुपया खर्च किया जाता है, सी. आई. डी. विभाग पर इतना रुपया खर्च किया जाता है फिर चन्द लोगों पर भी आंख नहीं रख सकते, पता नहीं लगा सकते कि वे क्या कर रहे हैं । यह दोष उनका नहीं है जो चोरी करते हैं बल्कि उनका दोष है जो उनको पकड़ नहीं पाते हैं । आपकी व्यवस्था इस प्रकार की है कि एक बार हैबि-च्युअल ऑफेन्डर के पंजे में फंस गया तो उसका बाहर निकलना मुश्किल है । इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि अगर कोई हैबिच्युअल ऑफेन्डर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जांय तो पीछे का डिस्ट्रिक्ट मजि-

Page No.39

(श्री तनसिंह)

स्ट्रेट उसकी इत्तिला देता है और यह भी ध्यान रखता है कि कार्यवाही करता है या नहीं। अगर उसके सम्बन्ध में कार्यवाही शुरु हो गई तो उसका नाम रजिस्टर में से कट जायगा वरना नाम नहीं कटेगा। वह वहां जाकर नये सिरे से अपराध शुरु कर दे, लेकिन यह बात निश्चित है कि अपराध करने का किसी को शोक नहीं होता, यह तो एक रिपीटिशन मात्र है कि अगर कोई अपराध शुरू कर देता है तो वह हमेशा अपराधी ही रहता है। यह तो मानी हुई बात है कि हर एक आदमी में अपराधी मनोवृत्ति रहती है। यह भी हो सकता है कि हर एक व्यक्ति अपराधी न बने फिर भी कितने ही अपराधी, अपराधी मनोवृति के कारण अपराध करते हैं। कई नैतिक अपराध करते हैं लुक छिप कर करते हैं। क्या उन सब को सजा मिलती है ? नहीं। जीवन में कुछ ऐसी घटनायें घटित हो जाती हैं जिससे अपराधी लोग बन जाते हैं यह किसी भी व्यक्ति के मन में अपराधी बनने की इच्छा नहीं रहती। अगर ऐसी इच्छा है तो उसको निकालना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जहां तक उसका वश पड़े कोई चोर या डाकू का खिताब लेकर चलना पसन्द नहीं करेगा। उसका नाम रजिस्टर कर लेते हैं तो उसके मायने यह हो जाते हैं कि उसको एक निश्चित दायरे के अन्दर रहना पड़ेगा। आज स्वतन्त्रता के युग में कितने ही कानून बने हुए हैं जिनके अन्तर्गत सजायें मिल सकती हैं। आई. पी. सी. की धारा ७५ के अन्तर्गत ऐसी बातों के लिए सजा दे सकते हैं। लेकिन इस कानून के अन्तर्गत हम यह करने जा रहे हैं कि अगर कोई ऐसा अपराधी व्यक्ति बाहर जाकर अपना जीवन किसी व्यवसाय को चलाकर निर्वाह करना चाहता है, अपना समानता का दर्जा बढ़ाना चाहता है तो वैसी हालत में जो अपराध का साइन बोर्ड उसके साथ लगा हुआ है वह उस बेचारे को जीवन निर्वाह नहीं करने देगा।

अध्यक्ष महोदय, हमने इसमें पहले वाले कानून से कुछ सुधार किया है वह यह कि ऐसे अपराधी को कलेक्टिव ट्रेनिंग के लिए भेजा जायगा। कलेक्टिव सेटलमेन्ट का जो विधान किया है उसके लिए रूल्स बनाने का निश्चय किया है, यह स्पष्ट रूप से प्रगट करता है कि हमारी सरकार क्या करना चाहती है निश्चयपूर्वक मैं कह सकता हूं कि इस क्लॉज़ के अनुसार हम कई संस्थाओं को मदद देना चाहते हैं। और कोई काम नहीं होगा तो लोगों को सुधार करने का बोर्ड लगाकर लोग काम करेंगे। जब आप इस प्रकार की संस्थाओं को मदद देना चाहते हैं तो फिर जेलें किस काम की हैं। आज जेलों का इस प्रकार से निर्माण करने जा रहे हैं जिससे वहां जाकर इन्सान सुधर सके। साइकोलोजिकल ढंग पर आज हम जेलों का निर्माण कर रहे हैं तो फिर कलेक्टिव सेटलमेंट के नाम पर जो इन संस्थाओं में लोगों को भेजेंगे उससे होगा क्या कि जनता के पैसे का ? जो कड़ी कमाई का पैसा है उसको लेकर हम उन लोगों का प्रतिपालन करेंगे। इसलिए मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि अगर किसी संस्था को संरक्षण देना है, रिकग्नीशन मिले तो वे संस्थायें ऐसी होंगी जो ऐसे लोगों द्वारा चलायी जाती होंगी जो कांग्रेस के समर्थक होंगे। विरोधी पक्ष के किसी भी व्यक्ति द्वारा संचालित संस्था को यह एड मिल नहीं सकती। विरोध कहने मात्र से ही अगर किसी विरोधी पक्ष द्वारा संचालित संस्था को संरक्षण नहीं देना जिस सरकार का यह ध्येय हो उससे क्या आशा की जा सकती है वह विरोधी पक्ष द्वारा संचालित संस्थाओं

(श्री तनसिंह)

में भी ऐसे व्यक्तियों को सुधार के लिये भेजेगी। इसलिए यह स्पष्ट है कि निजी संस्थाओं को जो कांग्रेस द्वारा संचालित होंगी उनको मदद देगी ताकि अपने कार्य को चला सकें और संगठन मजबूत हो सके।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब इस कानून को लाया गया है उस समय एक बात कही गई थी, जहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास रजिस्ट्रेशन होता है तो उसकी अपील होगी स्टेट गवर्नमेन्ट के पास। आज भी हम देखते हैं कि हमारी सरकार के पास कितने काम रहते हैं। आज भी जो सैंक्शनन्स होती है उसका रुपया ३१ मार्च तक उठाते रहते हैं उसके अलावा हमारे गृह-विभाग के पास तो बहुत काम है, उसको तो फुरसत मिलने का सवाल ही नहीं तो फिर वह किस प्रकार इन सब अपीलों को सुनकर उनका फैसला देगी। सरकार अपने आप को नैतिक दृष्टि से हेय समझ रही है कि किसी भी जुडिशियरी को न्यायपालिका पर विश्वास नहीं करती। इससे मैं तो यही समझता हूं कि वे न्यायपालिका पर विश्वास न करके अपने पास अधिकार रखे हैं। इन सब बातों को देखते हुये मैं यह महसूस करता हूं कि जनता भी इन धाराओं पर विचार करे, जनता का स्पष्ट मन्तव्य इस बारे में हो, इसलिये इसको जनमत के लिये प्रसारित किया जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त सबसे रोचक बात यह है कि आपने इस शिड्यूल में परिवर्तन किया है। जो पिछली बार सिलेक्ट कमेटी ने ३३२ पी, कोड को हटाया था इस बार आपने उसको नये रूप में लाकर रख दिया है। इससे होगा क्या कि अगर किसी विरोधी पक्ष वाले का जुलूस निकलता हो और सरकार यदि उसको भंग करना चाहती हो तो क्या करेगी कि किसी गुर्गे को कह दिया जायगा कि वह पत्थर फेंके। जब वह पत्थर फेंक देता है तो हम पर मुकद्दमा चलेगा और हमको रिंग लीडर समझा जायगा और उसमें यदि जेल हो गई और इस तरह से तीन बार जेल हो गई तो हमें भी हैबीच्युअल ऑफेन्डर में रख दिया जायगा इससे। सरकार का बिल्कुल रास्ता साफ हो जायगा।

एक माननीय सदस्य : यही तो चाहते हैं।

श्री तनसिंह : (जारी) अगर यह चाहते हैं तो निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हम को एक्सट्रीम तक देखना चाहिये। श्री राम-मनोहर लोहिया जैसे व्यक्तियों को ले लिया जाता है तो हमारी क्या बात है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा पुलिस कर्मचारी रिश्वतें लेते हैं फिर भी दफा १६१. ६२ के अन्तर्गत उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। सरकारी नौकर जो इस प्रकार का कार्य करते हैं उनके लिए कोई एक्शन नहीं लेना सबसे ज़्यादा विश्वासघात है। लेकिन जहां दूसरों का सवाल आता है धार ३२४ के लिए तो नहीं कहता, ३२५ वीं धारा तो मामूली बात है यह तो किसी भी समय लागू की जा सकती है और किसी पर भी। मैं अपने लिए भी निवेदन करूं धारा ३२५ तो आसानी से लग सकती है। मान लीजिये किसी से मामूली कहा सुनी हो गई सेल्फ डिफेन्स करना कोर्ट नहीं मानता तो ३२५ के अन्दर मुकदमा बना बनाया साबित है। मोरल टरपीट्यूट का सवाल नहीं इस सेक्सन द्वारा हमारे साथ में बड़ा अन्याय किया जा रहा है। इसलिए हमें इसे स्पष्ट रूप से देखना चाहिये और वास्तव में इसे लागू करें तो हमें यह देखना

(श्री तनसिंह)

चाहिये कि वास्तव में इसकी अपराध की मनोवृत्ति है या नहीं ?

ये ३३४, ३३५ के मुकदमे बिना किसी मनोवृत्ति के भी हो सकते हैं। गाली-गलौच पर भी लाठी चल सकती है और छुरी क्या, चाकू, मामूली चाकू और दांत से काटने से भी कभी-कभी तो यह संगीन अपराध हो जाता है। कभी अंगुली कट गई तो यह अपराध हो सकता है। तो यह ऐसा अपराध है कि जिसमें मनोवृत्ति का सवाल नहीं रहता। इनको तो आपने आज रखा है पर जो डॉक्युमेन्ट फर्जी बना देते हैं, झूठी गवाहियां देते हैं, जो बहुत बड़े अपराध हैं, उनको नहीं लिया गया।

आपको मालूम होना चाहिये अध्यक्ष महोदय, कि हमारी पुलिस का इतना भद्दा और बुरा रवैया है कि वेष बदल कर आप किसी थाने में चले जाइये, जयपुर की क्या, कहीं भी चले जाइये, जयपुर का भी मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। मेरे दो साथी प्रीवेन्टिव डिटेन्शन में थे। जब वे मुझ से मिले तो कहा कि एक रात हम भी कोतवाली में रहे थे और रात भर नींद नहीं आई। चारों ओर से हाय तोबा मची हुई थी। लोगों पर डण्डे बरस रहे थे। तो आपको यही नजारा सारे थानों में दिखेगा। इस मारपीट के लिये हैवी पनिशमेन्ट कानून में है। कोई भी व्यक्ति जो एक्टैक्ट करना चाहे वह अगर मारपीट करे तो सात साल, दस साल तक की सजा उसे हो हो सकती है। सैशन में मुकद्दमा जाता है। यह मैं निश्चित रूप से नहीं कहता पर हैवी पनिशमेन्ट तो है, यह मेरा विश्वास है। इतना बड़ा अपराध करने वालों को इस कानून के अन्तर्गत नहीं रखा जाता यह ताज्जुब की बात है। इसमें ऐसा है कि ऐसी मारपीट में गवाही नहीं मिल पाती। फिर किस व्यक्ति के भाग्य फूटे हैं जो उस वक्त थाने में जाकर देखे कि कैसे मारपीट होती है ? दिन के समय में भी जाने में लोग घबराते हैं। सारे राजस्थान के थानों में इस तरह की मारपीट होती है और लगातार आये दिन, रोज होती रहती है। तो यह अपराध, इसके अन्तर्गत आना चाहिए और ३२४, ३२५, ३३४ को जब लेते हैं तो यह तो निश्चय ही आना चाहिये।

एक्साइज़ एक्ट है। इसके लिये निवेदन करूं कि लोग चुपके चुपके शराब बनाते हैं, सोना चोरी-छिपे पाकिस्तान से यहां लाते हैं, वेट्स और मेज़र्स में बनिये कम तोलते हैं और इनसे बढ़कर और क्या सामाजिक अपराध हो सकते हैं ? इनसे जनता को कितनी तबाही और हैरानी का सामना करना पड़ता है। मिलावट करते हैं खाने पीने की चीजों में तो इनमें मनोवृत्ति अपराध करने की बराबर पाई जाती है। जब उक्त सेक्शन्स को इसमें लिया गया जिनमें मनोवृत्ति प्रत्यक्षतः कुछ नहीं दिखाई देती तो ऐसे अपराधों को जिनमें मनोवृत्ति साफ है, नहीं लिया जाता है तो सरकार की इस कार्य करने की वृत्ति को देखकर हमें ताज्जुब होता है।

आपने इन अपराधों पर तो पहले भी कानून बनाया पर कोई अन्तर अपराधों में आया या नहीं, इसका जिक्र उन्होंने अपने भाषण में नहीं किया और फिर क्या आज हमारे हृदय पर हम हाथ रख कर यह कह सकते हैं कि ऐसे अपराधी वहां पांच साल ट्रेनिंग पाकर निकलेंगे तो क्या वे सत्यवादी हरिश्चन्द्र बनकर निकलेंगे ?

फिर सही तौर से ट्रेनिंग देने के बजाय उनसे नहरों में काम लिया जावेगा या उनसे सड़कों का काम लिया जावेगा या कुछ और

(श्री तनसिंह)

ऐसे धन्धे ढूंढे जांय जो बेगार की पुरानी बीमारी को फिर से जीवित करने जैसे होंगे। सरकार ने उसी बेगार को नया ढंग देने का नया रास्ता सोच लिया है। या आपने उनसे श्रमदान लेने का नया ढंग सोचा हो क्योंकि आज श्रमदान में आकर्षण नहीं रह गया है। तो इस तरह से कलेक्टिव सैट्लमेन्ट में उनको भेजकर आप उनका जीवन सुधार करना चाहते हैं, यह नामुमकिन है।

इसके अन्तर्गत फिर आप कितने ऊंचे स्तर के लोगों को रखेंगे यह भी मैं बताता हूं। आप जेलर्स को रखेंगे जो हमारे यहां बहुत बुरी तरह से बदनाम हैं। क्या इन बदनाम जेलरों को नहीं रखा जावेगा जिनको कानून की ए० बी० सी० डी० भी मालूम नहीं ? अगर इन हृदयहीन प्राणियों का आपने अध्ययन किया हो तो आप सोच नहीं सकते कि आप आज भी उन्हीं पुराने राजाओं के युग में रह रहे हैं या स्वतन्त्रता के युग में। मैंने देखा है वहां लिखा है अभागे बिगड़े इन्सानों को सुधारने की जगह है। इस पर पेन्ट लगाया गया है। पर इसने आज तक एक भी इन्सान की मनोवृत्ति सुधारने का काम नहीं किया है। मैंने ये सब बातें स्पष्ट रूप से देखी हैं और इस विषय पर मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ, जिसकी एक प्रति मैं गृहमन्त्री महोदय को भी भेंट करूंगा कि उनके नीचे होने वाले कार्यों का दर्शन वे भी कर लें। मैं उदाहरण देता हूँ। टोंक जेल का उदाहरण देता हूं। एक दिन हम टहल रहे थे। टहलते-टहलते देखा कि एक कुलडी है जिसमें सफेदा भरा था और एक में डामर भरा था और वह खड्डे में इस तरह छिपाकर रखे थे कि जैसे कहीं से चुराकर लाये गये हों और जिन्हें कोई देख न ले। हमने सोचा हो सकता है डंडा हो या लोहे का फावड़ा हो। जेलर ने इनके बारे में बताया कि यह जो ठेकेदार हैं, उनको दो चार गालियां सुनाते हुए, उनसे लेकर कैदियों से यहां रखवाया है ताकि मोटोज़ वगैरह लिखेंगे और यदि जरूरत हुई तो सफेदी करेंगे। यदि वे खुद भी करें तब भी क्षम्य समझा जा सकता है पर ये नेक आदमी उन आदमियों से यह काम करवाते हैं जो स्वयं समाज में उदाहरण रखते हैं। यह क्या सुधारेगा किसी को जो स्वयं चोरी से लाया गया है। यह है उन लोगों की हालत जिन पर निर्माण की इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल रखी है।

श्री रामकिशोर व्यास : Is it...

श्री तनसिंह : मैं तो हैबिच्युअल ऑफेन्डर्स के सुधारने की बात कर रहा हूं। इसका मतलब तो यह है कि मैं स्पष्ट रूप से निवेदन करूं कि उन्हीं जेलरों को उनकी देखरेख सौंपी जावेगी जो इन्डाइरेक्टली इन कांग्रेस के विचारों का समर्थन करें और इसके सिवाय यह कुछ नहीं है।

यदि, माननीय अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब को कुछ अच्छा नहीं लगे तो मैं करटेल कर देता हूं।

श्री रामकिशोर व्यास : आप जितना फरमाना चाहें फरमाएं।

श्री तनसिंह : अब मैं इन सेक्शन्स में कम्पाउन्डेबल सेक्शन्स का जिक्र करूंगा। अगर इनमें एक बार कन्विक्ट कर दिया तो अपील में वह छूट सकता है। ३२४।२५ में जमानत हो सकती है, यह कम्पाउन्डेबल भी है तो ऐसी सेक्शन्स भी इसमें ली गई हैं।

(श्री तनसिंह)

इस पर पिछली बार बहस हुई थी। कई कुसूर ऐसे होते हैं जो बिना मन्शा के भी हो जाते हैं। कुछ बोल दिया और मामूली मारपीट हो गई अब उसे कहीं रास्ते में पकड़ ले और कहें कि तुमने यह अपराध किया है। तो इस पर बहस हुई थी और पिछली बार होम मिनिस्टर साहब ने एश्योरेन्स भी दिया था कि हम इसमें से ये चीजें हटावेंगे।

१ म० प०

मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं। स्वयं उस समय के जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि मैं अस्वस्थ था और सदन में नहीं आ सका, and that I shall be prepared to amend the schedule. अतः मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि इस बिल को पास किया जाय, this bill may be passed in a friendly way. उस समय तो काइन्डली वे में पास कराया। दूसरा जो आश्वासन मिला था चीफ मिनिस्टर से उस समय हमारे सदस्य थे श्री वेदपालजी त्यागी और उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि यह कानून पांच वर्ष के लिए चालू रहना चाहिए। उस समय स्पष्ट रूप से माननीय मुख्य-मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की तरफ से यह आश्वासन देता हूं कि पांच वर्ष तो क्या हम इसे दो वर्ष भी लागू नहीं रखेंगे, अगर क्राइम्स की स्थिति में सुधार हो जाये और हैबीच्युअल ऑफेन्डर्स इस तरह की कार्यवाही न करें। इसलिए मैं मेरे मित्र से अनुरोध करूंगा कि वह अपना अमेन्डमेंट वापिस ले लें। इस पर माननीय श्री वेदपालजी त्यागी ने अपना अमेन्डमेंट वापिस ले लिया। यह आश्वासन माननीय मुख्यमंत्रीजी के द्वारा दिया गया था और इसके अन्दर तो एक शर्त लगाई हुई है यदि क्राइम्स की स्थिति में सुधार हो और हैबीच्युअल ऑफेन्डर्स ऐसी कार्यवाही नहीं करे तो हम दो वर्ष ही चलायेंगे। तो अध्यक्ष महोदय, पांच वर्ष हो गए इस बात को तो। पहले राजस्थान हैबीच्युअल ऑफेन्डर्स एक्ट, फरवरी सन् १९५३ में पास हुआ था और अब फरवरी ५८ में पूरे पांच साल हो गए। अब जहां तक क्राइम्स की स्थिति का सवाल है हमारे यहां विधान सभा में पांच तो बजट पेश हुए और पांच बार ही राज्यपाल महोदय के अभिभाषण हुए हैं और हर बजट और राज्यपाल महोदय के हर अभिभाषण पर इस ओर से कहा गया कि राज्य के अन्दर कानून और व्यवस्था की स्थिति में निरन्तर सुधार हुआ है और हमारे स्वयं होम मिनिस्टर साहब ने तो बड़ी सी पुस्तक लेकर कहा था कि राजस्थान में ऑफेन्सेज़ होने में काफी फर्क पड़ गया है और इतना फर्क पड़ गया है और उन्होंने आंकड़ों से बताया कि ऑफेन्सेज़ इतने कम रह गए थे। इसके लिए हमने उनसे कहा था कि आपके यहां वह दर्ज ही नहीं होते हैं और इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि नहीं बराबर दर्ज होते हैं तो अगर इसलिए उन्होंने यह कहा कि हमारा मुंह बन्द किया जाय और यदि उनका यही मकसद है कि उन्होंने यह बात इसलिए कही थी कि हम आगे नहीं बोल सकें तो ठीक है। यदि उनका कहना है कि क्राइम्स की स्थिति में सुधार हुआ है तो फिर मुख्य मंत्रीजी के आश्वासन का क्या मोल है जो आश्वासन कि उन्होंने उस समय दिया था ?

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार यह चाहती है कि हमारी सरकार इन कानूनों के आधार पर चलती है और इस विषय में, मैं पहले के होम मिनिस्टर ने कहा

श्री तनसिंह)

उसको बताऊं । उन्होंने यह बताया था अत्यन्त आवश्यक जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैज़र्स हैं, कानून हैं, जिनके बिना गवर्नमेंट नहीं चल सकती, उसका इस प्रकार से विरोध करना अथवा उनके पास होने में देरी लगाने का प्रयत्न करना मेरी समझ में नहीं आता। यह होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। मैं खेद के साथ कहूंगा कि आपको भी यदि होम मिनिस्टर से यह गलतफहमी है कि हमारा राज्य इन कानूनों के आधार पर चलता है तो मैं कहूंगा कि यह बड़े खेद की बात होगी। उन्होंने देश को आजादी देकर मानवता को महान अधिकार देने की बात कही थी। आश्चर्य की बात यह है कि हमारे यहां होते हुए भी यह कानून पास होते हैं। फिर इसके अलावा हम सब लोगों का सदन के प्रति उत्तरदायित्व है और वह यही है कि इस प्रकार के कानूनों को हमें हमारी स्टेट्यूट बुक से निकाल देने चाहिए, चाहे सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ही इसके विषय में क्यों न कहे।

इसके अलावा जो इसमें कुछ क्लॉजेज़ हैं उनके बारे में कुछ निवेदन करना है। मैं आपको अब अन्तर की बात बताता हूं। आपने यह बताया कि यहां पर यह अन्तर किया है कि पहले दस साल में जिसको तीन बार सजा हुई हो उसको हैबीचुअल ऑफेण्डर माना जाता था और उस दस साल को हटाकर आपने अब यह कर दिया है कि पांच साल के दौरान में अगर किसी को तीन बार सजा हुई हो तो वह हैबिचुअल ऑफेण्डर माना जायेगा। इसके अलावा १८ साल या पहले किसी का कनविक्शन हुआ हो तो वह नहीं माना जायेगा। लेकिन हमारे होम मिनिस्टर साहब बहुत चतुर हैं। उन्होंने सारे सेक्शन को स्पष्ट नहीं किया। मैं उनकी जानकारी के लिए कहूं कि आपने इतना छुपाने की क्या आवश्यकता समझी ? क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि पहले तो सन् १६५२ से १६६२ तक किसी का तीन बार कनविक्शन हो गया तो उसको हैबिचुअल ऑफेन्डर करार दिया गया था और अब आपने सन् ५२ से पांच साल कर दिया है। फिर पांच साल में सजा का पीरियड भी काउन्ट नहीं किया गया। आपने दस साल से पांच साल का करके समय छोटा कर दिया है। यह तो आपने गलतफहमी बढ़ाने के लिए किया है। दरअसल बात यह है कि हमने इतना एक्सटेण्ड कर दिया है कि कहीं कहीं तो १५, २० साल में भी तीन कनविक्शन्स हो जायेंगे तो उसमें आ जायेगा।

हमें इसका अगर वास्तविक रूप देखना है और इसमें संशोधन उचित ढंग के करने हैं और इसका गंभीरतापूर्वक मनन करना है तो हमें जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार यहां के मुख्य मन्त्री ने कहा था कि कुछ भी हो यदि राजस्थान का इतिहास लिखा जायेगा तो यह सुनहरी शब्दों में लिखा जायेगा कि मेरे कार्यकाल में भूमि सुधार का का कानून पास हुआ। मगर उन्होंने दूसरे पक्ष को नहीं देखा। होम मिनिस्टर साहब भी स्पष्ट रहे कि उनके कार्यकाल इस प्रकार का काला कानून पास हुआ जो पहले से चला आ रहा था। यह भी स्पष्ट होगा। इतिहास अगर एक आंख वाला ही लिखेगा तो उसमें भूमि सुधार की बात आयेगी और यदि इतिहास दोनों आंखों वाला लिखेगा तो वह यह भी लिखेगा कि यहां पर हैबिचुअल ऑफेन्डर्स बिल भी दुबारा पास हुआ और पुलिस बिल भी इन्हीं होम मिनिस्टर साहब के जमाने में पास हुआ। तो मैं निवेदन करूँगा कि हमें ऐसे काले कानून पास नहीं करने चाहिए चाहे उनके लिए सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की तरफ से लिखा हुआ आया हो। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट

(श्री तनसिंह)

ने कहा है, इसलिए यह पास करना है, यह कहना काफी नहीं है। इस पर हमें जनता की राय लेनी चाहिए और यदि आप तथ्य की बात कहते हैं तो आप बतायें कि आपने कितने हैबिचुअल ऑफिण्डर्स को रजिस्टर किया और क्या उन्होंने अपराध करना बन्द कर दिया। इन सब बातों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि यह ऐसा कानून है जिसके लिए हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए और इसको जनमत के लिए प्रसारित करना चाहिए और १५ अगस्त तक के लिए क्यों, वह आजादी का दिन है, इसलिए १५ अगस्त तक के लिए इसको जनमत के लिए भेजा जाना चाहिए।

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय,.......

श्री अध्यक्ष : एक संशोधन और हो।

डॉ० चन्द्रकला : वह तो सिलेक्ट कमेटी में देने का है।

श्री रामकिशोर व्यास (गृहमन्त्री) : I have not received that.

श्री अध्यक्ष : That can be given at any time. It is not necessary that these amendments should be circulated.

श्री तनसिंह: It is not in practice.

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान हैबिचुअल ऑफेन्डर्स (संशोधन) विधेयक, १९५८, सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है। अभ्यस्त अपराधियों की व्यवस्था के विषय में कोई बिल आता है तो उसका स्वागत और समर्थन हो तो उचित ही है। लेकिन मैं इसके सम्बन्ध में यह प्रस्ताव रखना चाहती हूँ कि इस संशोधन विधेयक को अभी पास करने की जल्दी न करके प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, विशेषकर उस स्थिति में जबकि इसके उद्देश्यों और कारणों को देखते हुए हम ऐसा महसूस करते हैं कि यह विधेयक एक तो भारत सरकार के बनाये हुए नमूने के आधार पर सारे देश में एकरूपता लाने के लिए रखा गया है और उसके साथ ही वहीं यह भी बताया गया है कि तीन साल से इस तरह का एक कानून हमारे प्रान्त में लगातार चला आ रहा है, उन दोनों कानूनों को ध्यान में रखकर यह संशोधन विधेयक हमारे सामने है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि स्वयं भारत सरकार का बनाया हुआ जो नमूना है और जो अब तक चला आ रहा है उसके आधार पर यह संशोधन विधेयक है इसमें कानूनी दृष्टिकोण अधिक रहा। इसमें कानूनी बातों को अधिक देखा गया है, लेकिन उसके फलितार्थ स्वरूप जनता के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी ओर कम ध्यान दिया गया है। प्रवर समिति को सुपुर्द करने का उद्देश्य यही होगा कि वह समिति इस बात पर विचार करेगी कि अब तक जो अनुभव हमारा इस कानून के सम्बन्ध में रहा है, उस कानून का फलितार्थ क्या रहा है, उसको देखते हुए वह उस पर विचार करेगी।

यह अभ्यस्त अपराधी दो कारणों से होते हैं। इसके पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं। इसलिए हम कानून से किसी चीज को सुधारने या रोकने की कोशिश करें उसके पहले उसके कारणों को, उसके मूल को जानना पड़ेगा और उस मूल को भी दूर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए हमको अपने कायदे कानून, अपने नियम-उपनियम, अपनी व्यवस्था बनाने के पहले यह देखना पड़ेगा कि आया हम इस तरह से

(डॉ० चन्द्रकला)

अभ्यस्त अपराधियों के संशोधन के उद्देश्य को भी प्राप्त कर सकेंगे या नहीं, या इसमें और क्या २ बातें शामिल कर देनी पड़ेंगी और क्या क्या इसमें और सुधार कर देने पड़ेंगे ?

दूसरी बात जो किसी को अपराध की ओर प्रेरित करती है वह अभाव की स्थिति होती है । जब हम किसी अभाव की स्थिति में होते हैं तो उस अभाव को भरने के लिए हम ऐसे नाजायज प्रयत्न भी कर लिया करते हैं । जहां तक अभाव की स्थिति को भरने की बात है उसको कानून के द्वारा कहां तक रोक सकते हैं, यह देखने की बात है । उसके लिए हमको सारे आर्थिक स्तर को, हमारी समाज व्यवस्था को तथा सारी बातों को इस तरह से बदलना और परिवर्तित करना पड़ेगा कि जिससे अपराध ही कम हों । तो जहां तक मैं इस विधेयक को देखती हूं इसमें कोशिश की गई है, इसमें अपराधियों को एक ओर दण्ड की बातें हैं तो दूसरी ओर ऐसे प्रावधान भी हैं कि जिसके द्वारा उनके सुधार की कोशिश की जायगी । लेकिन इतना ही काफी नहीं है । हमको सोचना पड़ेगा, हमको रोग से पहले रोग के कारणों को देखना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि यह रोग धीरे धीरे इतना व्यापक न हो जाय और उसके बढ़ने से पहले शुरू में ही खत्म कर दें । हम महसूस करते हैं अपराधियों की स्थिति बढ़ी है, भले ही राज्यपाल महोदय के भाषण में या दूसरी जगह सदन में दिए हुए वक्तव्यों में कहा जाय कि अपराधियों की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन जनता ऐसा महसूस नहीं करती है । कम से कम जयपुर शहर की जनता के विषय में तो मुझे मालूम है कि यहां की जनता आज अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं करती है । जहां तक जनता का सवाल है वहां तक यह बात है ही, लेकिन जिनको हम अभ्यस्त अपराधी कहते हैं उनके बारे में कोई निर्णय बहुत सही होता हो, सो बात नहीं है । इस विधेयक में दिए हुए कारणों के अन्त में बताया गया है और इसके पहले सदन में बताया गया है कि अपने यहां कुछ जातियां ऐसी थीं, कुछ अनुसूचित जातियां ऐसी थीं जिनको अभ्यस्त अपराधी की तरह माना जाता था और उनको उस तरह के कानून कायदे का पालन करना पड़ता था जिस तरह एक अभ्यस्त अपराधी को करना पड़ता था । आज उनकी स्थिति वह नहीं है । उस स्थिति में परिवर्तन हुआ है । उसको भी हमको देखना पड़ेगा ।

इन सब बातों को सोचते हुए अभ्यस्त अपराधियों को जड़मूल से खत्म करने के लिए जो अपराधी हो चुका है उसके संशोधन और सुधार के लिए है । सुधार न केवल कानून से, न केवल नियम-उपनियम से होता है, बल्कि उनके मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के द्वारा और दूसरी मनोवैज्ञानिक खोज के आधार पर उनमें सुधार करने की आवश्यकता है । तो मैं ऐसा महसूस करती हूं कि इसके लिए यहां बैठकर एक कानून बना देते हैं और वह कानून लागू हो जाता है, वह कानून चलता है अपने अपने ढंग से, लेकिन उससे जनता को कुछ अंश तक राहत पहुंचती है और कुछ अंश तक कानून की लपेट में आकर जनता दुखी हो जाती है । फिर उसका परिणाम यह होता है कि इसमें संशोधन लाना पड़ता है । बारबार एक बात में संशोधन नहीं लाना पड़े, इसलिए मेरा यह सुझाव है कि इस बिल को प्रवर समिति को सौंप दिया जाय जो सब

(डॉ० चन्द्रकला)

दृष्टिकोणों से विचार करें और विचार करके सुझाव दें और फिर इस कानून पर आगे हम इस सदन में विचार करें ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष, अभ्यस्त अपराधी संशोधन विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है । उसे प्रवर समिति के सामने सुपुर्द करने का प्रश्न है । माननीय अध्यक्ष, अभ्यस्त अपराधी क्यों होते हैं, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है । इस बात की आवश्यकता नहीं है कि उसको किस प्रकार से सुधारा जाय । एक व्यक्ति किसी कारण चाहे अज्ञानतावश या अपनी आवश्यकताओं के कारण, कोई अपराध कर लेता है, उसके बाद उसको सजा हो जाय और सजा हो जाने के बाद फिर अपना नागरिक जीवन व्यतीत करने आता है तो उसको एक अभाव सा प्रतीत होता है और वह अभाव इस प्रकार का होता है कि उसके कारण मजबूरी से उसको दुबारा क्राइम करने की आवश्यकता पड़ती है । समाज के अन्दर उसको बहुत नीचा देखना पड़ता है । उसकी समाज के अन्दर बेइज्जती होती है, इससे वह सोचता है कि अच्छा हो कि मैं दुबारा जेल में चला जाऊं । इसके अलावा इस विधेयक में इस बात की कमी है कि इस प्रकार के कार्य, इस प्रकार के तरीके, इस प्रकार की पद्धति हो कि जो अभ्यस्त अपराधी हैं वह अपराध करने के लिए प्रेरित न हों । इस प्रकार की व्यवस्था यदि इसमें होती तो ज्यादा अच्छा होता ।....

श्री रामकिशोर व्यास : उसमें इस प्रकार का करेक्टिव सेटलमेंट का है ।

डॉ० बहादुरसिंह : उसकी मनौवैज्ञानिक इस प्रकार की कोई भी पद्धति होती है तो वह भेजे जा सकते हैं सुधारने के लिए, लेकिन सुधारने के लिए भेजना ही पर्याप्त नहीं है । आपको मालूम होगा कि आचार्य विनोवा भावे ने कहा है, "मैं यह कहूंगा कि चोरी करने वाले को सजा देने के बजाय ६ बीघा जमीन दे दी जाय तो ज्यादा उत्तम रहेगा ।" इस प्रकार की नीति हो । इसमें आवश्यकता थी कुछ इस प्रकार का प्रोवीज़न करते । आज मान लिया कोई अपराधी है और उसके पास रोज़गार नहीं है और बेरोज़गारी के कारण उसने अपराध किया है तो इस प्रकार से उसके लिए रोजगार की व्यवस्था करें । मुझे अपने क्षेत्र की बात याद आती है कि महाराजा के टाइम में, कंजर एक जाति होती है उसको जरायमपेशा डिक्लेयर कर कर दिया गया था जिसके परिणाम स्वरूप वह जाति परेशान थी । उनकी हाजरी थाने में दिन में दो बार होती थी । जिस वक्त वह राज्य मत्स्य में विलीन हुआ तो उस जाति के ऊपर से वह प्रतिबन्ध हटाया गया । यह बात जरूर हुई कि उनको जमीन मिली और वे आबाद भी हुए और उनमें कुछ सुधार भी हुआ, लेकिन कुछ क्राइम भी बढ़े । इसलिये जहां तक इस कानून को बनाने का सवाल है उसको मैं मानता हूं, क्योंकि यह देखा गया है कि इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए कुछ इस प्रकार से लोगों को आतंकित बनाना भी जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि उनमें मनोवैज्ञानिक तरीके से सुधार किया जाय । उनको एनेलाइज़ करना चाहिए कि ये व्यक्ति किस प्रकार का जुर्म करने वाले हैं और उस जुर्म को रोकने के लिए किस प्रकार के सुधार हो सकते हैं । इस बात का महत्व रखने की आवश्यकता है तो मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी जो सुधार करने की बात करें तो उसमें एक बात जरूर

(डॉ० बहादुरसिंह)

देखें कि जुर्म किस प्रकार से एक व्यक्ति करता है, उसको किस बात की जरूरत है, उसमें किस तरह से सुधार किया जाय ? इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें थोड़ा बहुत संशोधन करने के लिए अगर इसको हम प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें तो ज्यादा उत्तम हो।

एक निवेदन और है मेरा। वह यह है कि जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उसमें जो नये सदस्य हैं उनको बड़ी परेशानी होती है। उसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि कम से कम मूल धारा इसके साथ में दे दी जाय। कम से कम ये मूल धारा हमको दे दी जाया करे तो उत्तम रहे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जब भी संशोधन उपस्थित हो, उनकी मूल धाराएं हम को साथ में दे दी जांय तो ज्यादा उचित होगा, खास कर नये सदस्यों के लिये।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं डाक्टर चन्द्रकलाजी ने जो प्रवर समिति को इस बिल को देने का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस बिल के ओब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में बताया गया है, मैं नहीं मानता हूं कि सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए ऐसा कानून पास करना चाहिये, इसमें बताया गया है कि इण्डियन गवर्नमेंट ने हैबिचुअल ऑफेन्डर्स के लिये कुछ मोडेल रूल्स बनाये हैं, उनमें कई बातें ऐसी हैं जो उनके परव्यू में नहीं आती हैं, इसलिए यह जरूरी है कि हम यहां भी ऐसा कानून बनादें। इसलिये यह अमेंडमेंट लाया गया है। मैं समझता हूं ऐसे इम्पॉरटेन्ट बिल को लाने से पहले उसके ओब्जेक्ट्स एंड रीज़न्स हैं उनको दूसरे ढंग से देखना चाहिये। सिर्फ एक पार्लियामेंट ने एक मोडल आपके सामने रख दिया है या किसी अन्य व्यक्ति ने आपको बता दिया है तो उसके साथ फॉल इन लाइन करने के लिये आप यहां बिल पेश करें, यह अच्छा नहीं होगा। इसके साथ में सोशियोलोजी और सोशियल इकोनोमि का सवाल भी इन्क्ल्यूडेड है। आज के वेलफेयर स्टेट में आप कल्पना नहीं कर सकते कि कोई हैबिचुअल ऑफेन्डर रह सकता है और यह जो बिल है वह बताता है कि हमारा जो दृष्टि बिन्दु है वह हैबिचुअल ऑफेन्डर्स की तरफ किस तरह का है और आज की सोशियल प्रोब्लम्स की तरफ नहीं दौड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और आपके द्वारा सदन के सदस्यों को एक बात याद दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि ये जो सोशियल ईविल्स हैं, जिनको हम क्राइम्स कहते हैं, उनकी तरफ हमारा जो एप्रोच है, एटिट्यूड है वह क्या होना चाहिये। वह एटिट्यूड वेन्जेन्स का नहीं होना चाहिये, आदमी को जलील करने का नहीं होना चाहिये, बल्कि उसके सुधार का होना चाहिये। इस सिलसिले में, अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज से १०० वर्ष पहले एक फ्रैन्च मिशिनरी ने जिनका नाम श्री विक्टर ह्यूगो था एक किताब लिखी थी 'लॉ मिज़रेबल'। वह किताब एक क्लासिकल बुक है। उसमें एक नया दृष्टि बिन्दु था कि किस ढंग से हम सोशियल एप्रोच करें। इसमें हमारे जो ऑफेन्सेज़, क्राइम्स हैं और उनके लिये जो पनिशमेंट है उसकी तरफ उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया था। जिस ढंग से हम इसका सोल्युशन लाना चाहते हैं वह गलत है। उस किताब में

(श्री पी० के० चौधरी)

उन्होंने एक छोटा सा सेन्टर एक व्यक्ति के आसपास बनाया था, लेकिन उन्होंने जो किताब लिखी थी वह एक व्यक्ति का इन्सटान्स नहीं था बल्कि उन्होंने उस जमाने के सामाजिक दृष्टि बिन्दु निष्कर्ष सामने रखा था और मैं देखता हूं कि आज से १०० वर्ष पहले जो बात बताई थी उसको आज का हमारा समाज किस दृष्टि बिन्दु से देखता है। मैं समझता हूं उसके १०० वर्ष बाद भी सरकार के दृष्टि बिन्दु में परिवर्तन नहीं हुआ है। उसमें बताया था कि आदमी या छोटा इन्सान जो क्राइम करता है वह जन्म से ऑफेन्डर या क्रिमिनल नहीं है और यह बात सभी मानते हैं कि सोशियल सर्कम्सटान्सेज हैं वे आदमी को क्राइम करने के लिये कम्पेल करते हैं। वह खुद जन्म से ऑफेन्डर नहीं है बल्कि उसके लिये सोशियल सर्कम्सटान्सेज ऐसे बन जाते हैं जो उसको बाध्य करते हैं।

हमारे यहां भी इसमें रखा गया है कि जितने ऑफेन्डर्स होंगे उनका रजिस्टर में नाम दर्ज होगा और उनका जो मूवमेंट है यह रेस्ट्रिक्टेड होगा और उसको एक पीला सर्टिफिकेट मिलेगा। 'लॉ मिजरेबल' में भी सर्टिफिकेट या पीला पासपोर्ट का हवाला है और उससे आपको मालूम होगा कि यह पीला पासपोर्ट एक अच्छे आदमी को भी कितना बुरा बना सकता है। मैं आपको २ मिनिट में संक्षेप में इसकी कहानी सुना देना चाहता हूं।

एक नवजवान लड़का था, उसके पिता की मृत्यु के बाद वह अपनी फेमिली का भरण-पोषण करता था। एक बार विन्टर में फ्रोस्ट की वजह से फसल नहीं हो सकी। उसका छोटा भाई और छोटी बहिन रोटी के लिये रोती थी लेकिन उसके पास रोटी नहीं थी इसलिये उसने नौकरी की तलाश की। लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल पा रही थी। तीन चार दिन तक उसकी यही हालत रही। घर आने पर उसकी छोटी बहिन रोटी के लिये रोती थी। एक दिन जब वह नौकरी की तलाश में घूमता हुआ निराश होकर घर आ रहा था तो उसने बेकर की दूकान से रोटी चुरा ली, अपने खाने के लिये नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन के लिये। उसको पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया और वहां उसको तीन साल की सजा हो गई जेल में प्युनिटिव मेजर्स काम में लिये जाते थे। कैदियों के साथ बड़ी सख्ती का बर्ताव होता था। इनह्यूमन बर्ताव उनके साथ होता था, इसको वह सह नहीं सका इसलिये जेल में उसने वार्डन की पिटाई करदी। इसलिये उसकी सजा ५ साल की और बढ़ा दी गई। जेल में उसने बारबार जेलर का मुकाबिला किया, क्योंकि कैदियों के साथ इनहयूमन बर्ताव करता था और बुरा ट्रीटमेन्ट करता था, उनके साथ में मारपीट करता था इसलिए उसने उसका मुकाबला किया दूसरे कैदियों के लिये। अन्त में उसको १५ साल की सजा हुई। इस सजा को भुगतने के बाद वह जेल से निकलता है तो उसको एक पीला पासपोर्ट दिया जाता है। इसका नतीजा यह हुआ कि वह सुधरा हुआ जेल से नहीं निकला बल्कि समाज के खिलाफ उसके दिल में वेन्ज़ियेन्स की स्प्रिट शुरू हुई। इसलिये उसने जेल से बाहर आकर वेन्ज़ियेन्स लेना शुरू किया। समाज के कानून इन्सानियत के साथ पेश नहीं आते थे इसलिये वह भी लोगों के साथ मारपीट करता रहा। लेकिन एक दफा वह एक बिशप के घर रहने के लिये गया। वहां पर वह बिशप अपने मकान का दरवाजा कभी किसी के लिये

(श्री पी० के० चौधरी)

बन्द नहीं करता था और जो भी उसके यहां जाता था उसको खाने पीने को देता था इसलिये उसका भी उस बिशप के घर में सत्कार हुआ । रात को जब बिशप सो गया तो उसने उसकी केन्डिल स्टिक जो सिलवर की थी वह चुराली । लेकिन पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया क्योंकि वे सब जानते थे कि यह बिशप की केन्डिल स्टिक है, इसलिए पुलिस वालों ने उस बिशप से पूछा कि क्या इसने आपके यहां से केन्डिल स्टिक चुराई है तब बिशप ने कहा कि नहीं यह चुराकर नहीं ले गया बल्कि मैंने इसको दी है । इस पर पुलिस से उसका बचाव हो गया । जब वह पुलिसवालों के हाथ से छूट कर आया तो उसने समझा कि बहुत बुरा हुआ और वह उस बिशप के पांवों पर गिर गया । बाद में बिशप ने उसको कहा कि "Try to live well" वहां से वह दूसरे शहर में गया और वहां पर धीरे धीरे तरक्की करता हुआ वह उस शहर का मेयर बन गया । लेकिन मेयर बनने से ही क्या हुआ, उसके नाम पर पीला पासपोर्ट था और उसका नाम ब्लैक लिस्ट में था । उसकी जो बहिन थी, वह उस शहर में रहती थी । उसको मालूम हुआ कि उसकी बहिन बीमार है । वह उससे रात में मिलने गया । वह गुप्त रूप से बहिन को मदद करता था । इसलिए गुप्त तरीके से मदद करता था क्योंकि वह जानता था कि उसके दिन में जाने से जाहिर हो जायगा कि आज से ५, १० साल पहले वह एक कन्विक्ट था और यलो पास होल्डर था । इसलिए उस देश के कानून के अनुसार वह मेयर नहीं बन सकता है और उसको जो सोशल डिसटिंक्शन मिला है, वह सब उसको नहीं मिलेगा क्योंकि पब्लिक ओपिनियन उसके लिये खिलाफ हो जायगी । तो वह चोरी छिपे वह बहिन से मिलता है । लेकिन जो गवर्नमेन्ट की सी. आई. डी. होती है, पुलिस होती है उसने उसे आइडेन्टीफाइड किया कि जो आज मेयर है, वह वाकई में कन्विक्ट था और यलो पास होल्डर था । इसका नतीजा यह हुआ कि जहां वह मेयर बन गया था, उसको वहां से भागना पड़ा । मेरा मतलब यह है कि यह किताब एक क्लासिक बुक है और उसमें विविडली in a very touching manner मैंने आपको बताया है कि जो क्राइम करता है, जो क्रिमिनल होता है, वह शौक से क्रिमिनल नहीं होता है, न शौक से जुर्म करता है, उसकी नीड्स और सोशल कन्डीशन्स ही उसे क्रिमिनल बना देती है । इस प्रकार वह क्रिमिनल हो जाता है और बाद में जब छूट कर आता है, तो उसके लिये ऐसी कन्डीशन्स क्रियेट कर देते हैं कि वह अच्छी तरह जिन्दगी बसर नहीं कर पाता है । अगर किसी को मालूम होता है कि इस० यक्ति को एक दफा सजा हो गई है, इसका नाम हेबीचुअल ऑफेन्डर्स के रजिस्टर में दर्ज है, तो उसे अच्छी नौकरी नहीं देगा, उसे अच्छी जगह काम की नहीं मिलेगी । हेबीच्युयल ऑफेन्डर्स के रजिस्टर में नाम दर्ज होने का मतलब यह है कि यह हेबीचुअल आफेन्डर है, इनकारनीजेबल है, इसलिये इसको नौकरी नहीं दे सकते । इस प्रकार उसके फ्यूचर प्रॉसपेक्ट्स के लिए, करेक्टर, जो हिमसेल्फ का है, को सुधारने के लिए हम रास्ता बन्द कर देते हैं उसका नाम हेबीच्युयल ऑफेन्डर्स के रजिस्टर में दर्ज करके । यह बात आज से नहीं, आज से १०० साल पहले से होती है । अध्यक्ष महोदय, जो थिंकर्स है, उनका जो विज़िन है ह्यूमन प्रॉबलम्स के लिए, उसको उन्होंने इस क्लासिकल बुक में लिखा है, यह

(श्री पी० के० चौधरी)

एक इम्मॉर्टल बुक है। उन्होंने जो कन्कलूज़न ड्राइव किया है, मेरा कहने का मतलब यह है कि आदमी जो क्राइम करता है, वह कोई शौक से क्राइम नहीं करता है। उसको सोशल सकंम्सटान्सेज़ कम्पेल करती हैं। जो प्रॉसटीट्यूशन इन्स्टीट्यूशन्स हैं, उनमें कोई भी स्त्री अपने को शौक से प्रॉसटीट्यूट नहीं बनाती है। अगर आप प्रोसट्रीट्यूट की लाइफ हिस्ट्री कोट्रेस करेंगे तो it is the social condition which drive them to adopt the life of prostitution; उसे सोशल कन्डीशन्स ने फोर्स किया है, कम्पेल किया है। They are products of our social conditions. या इकोनामिक कन्डीशन्स ने कम्पेल किया है। They are compelled to do this. और जब वह प्रोसटीट्यूट हो जाती है तो उसके लिये कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। क्योंकि हमारा जो समाज है उसको इसका ख्याल नहीं होता है, उसको सुधारने का कोई तरीका नहीं होता है। जो स्त्री प्रॉसटीट्यूट बन जाती है, उसमें औरत की भावना, ह्युमन इन्सटिंक्ट होती है अफेक्शन, लव या जो दूसरी बातें होती हैं, ये सब बातें उसमें नहीं होती हैं, ऐसी धारणा समाज बना कर बैठ जाता है। इसी प्रकार जिन आफेन्डर्स का नाम रजिस्टर करते हैं, हेबीच्युयल आफेन्डर्स के रजिस्टर में जिनका नाम रजिस्टर कर लेते हैं, उनके बारे में समाज ने मान लिया है कि वाकई वे हेबीच्युयल ऑफेन्डर्स हैं। उनके ऊपर किसी किस्म का विचार नहीं करके, किसी किस्म का अच्छा काम नहीं देके, उसके लिये जिन्दगी को सुधारने का ज्यों ज्यों मौका आता है, जो चेनल आता है इम्प्रूव करने का, उसको रोक लेते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि ऐसा कानून बना कर, किसी आदमी के जीवन को सुधारने का जो रास्ता है उसको हमेशा के लिए रोक देते हैं। दूसरी बात यह है कि हमको सवाल जरूर पूछना है, सरकार को पूछना चाहिए, हमें खुद को पूछना चाहिए कि क्या हम सोशल पेटर्न ऑफ सोसाइटी को बनाने का दावा करते हैं, उसकी तरफ बढ़ने का दावा करते हैं, उसका क्या यही इन्डेक्स रहेगा ? जिस सोशल पैटर्न ऑफ सोसाइटी की ओर कदम बढ़ाया है, उसका क्या यही इन्डेक्स रहेगा ? मैं मानता हूँ कि सोशल पैटर्न आफ सोसाइटी की बात सोचते हैं, उनके दिमाग में हेबीच्युयल आफेन्डर्स की की बात नहीं आ सकती है। जो भी आदमी······

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं और ज्यादा आपका समय न लेकर यह बात कहना चाहता हूं कि ये जो क्राइम्स हैं, जो क्राइम्स करते हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, क्या वे जन्म से क्रिमिनल्स हैं या वे किसी शौक से, मजाक में क्राइम करते हैं ? अगर आप इस बात को मानते हैं कि जो क्रिमिनल हैं they are the products of the conditions. उसके लिए वे रेस्पोन्सिबिल नहीं हैं, बल्कि हम खुद हैं, they are products of the conditions! which we have created for them. Our Government and we ourselves are responsible for them. जो इस बात को मानते हैं तो ऐसा कानून पास नहीं करना चाहिए। बस इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री तनसिंहजी ने इस हैबीच्युयल ऑफेन्डर्स

(श्री अनूपसिंह)

बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिए सर्क्यु-लेट करने के लिए भेजने का जो सुझाव दिया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ वह इसलिए कि हैबीच्युयल ऑफेन्डर होता कौन है और हैबीच्युयल ऑफेन्डर की आज तक परिभाषा बदली क्यों नहीं है ? आजकल जब जब ऐसी सोसाइटी है, प्रजातन्त्र पद्धति की सोसाइटी है, यहां तक दावा करने वालों की सोसाइटी है कि हमें सोश्यल पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनानी है, इस वक्त भी हमारे यहां हैबीच्युयल ऑफेन्डर नामका एक कानून रहेगा, तो क्या अब भी उसको सहन करेंगे, मेरा अर्ज करने का यह मतलब है कि आदमी कोई अपने इन्सटिक्ट से, जन्म जात सरकार से ही हैबी-च्युयल ऑफेन्डर नहीं होता है। वह सोसाइटी के वातावरण से, परिस्थितियों से, चाहे वे आर्थिक हों, सामाजिक हों, किसी तरह की हों, किसी न किसी ऐसी वजह से ऐसा बन जाता है, जिससे वह सोसाइटी में रहने लायक नहीं रहता। उसको हम ऑफेन्डर कहते हैं, उसको ऑफेन्डर मानकर सजा देने की कोशिश करते हैं। मैं अर्ज करूंगा कि या तो उसको हमने सजा नहीं दी है या उसको सुधारने की कोशिश नहीं की है, जिसकी वजह से एक भला और गुड सिटीजन बन कर रह सके। अगर कोई वाकई में गुनाह करता है तो उसे गुनाह की सजा जिस तरह से मिलनी चाहिए, वह मिलनी चाहिए थी और अगर गुनाह नहीं किया है तो उसको ऐसे काम में लगा कर सुधारा जाना चाहिए था कि आगे हैबी-च्युयल ऑफेन्डर की परिस्थिति में न रहे। जरूरत यह है कि उसके दिमाग को बदला जाय जिससे दिमाग को बदले जाने के बाद वह गुड सिटीजन की तरह सोसाइटी में रह सके। मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि आज तक बहुत सी थ्योरीज निकली हैं, रिफार्मिंग थ्योरी और दूसरी थ्योरी, जिसके अनुसार अपराधियों को वापिस अपने अपराध के इन्सटिक्ट, अपराध के संस्कार से निकाल कर भले आदमी बनाने की कोशिश की जा रही है। रिफार्मिंग थ्योरी के लिए बेसिस पर जेलों में ट्रीटमेंट किया जा रहा है। मैं उसकी ताईद करता हूं। मैं मानता हूं कि रिफार्मेटिव ट्रीटमेन्ट का तरीका जरूरी है लेकिन वह तब ही तक जरूरी होता है जब तक कि अपराधी के दिमाग को बदलने का माद्दा हो। अगर बदलने का माद्दा नहीं है तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि उसके साथ रिफार्मेटिव थ्योरी से वर्ताव न करके उसको डेटरेन्ट पनिशमेन्ट दें, जिसकी वजह से वह आगे ऑफेन्स न करे और उसको हैबीच्युयल ऑफे-न्डर बनने का मौका नहीं मिले। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हैबीच्युयल ऑफेण्डर नाम की कोई चीज हो, तो इन्सान के लिए सबसे बड़ी तौहीन की चीज होती है। अगर किसी हैबीच्युयल ऑफेन्डर की अपराध करने की हैबिट हो जाय, उसकी आदत पड़ गई हो, उसकी आदत को सुधारा न जा सके, परि-स्थिति को सुधारा न जा सके, तो मैं अर्ज करूंगा कि हमारे सबके लिए एक तौहीन की

१·३६ म० प०

(श्री रामचन्द्र, सभापति, पदासीन)

बात है और हमारे लिए विचार करने की बात होगी कि प्रजातन्त्र पद्धति में भी इस तरह का कोई कानून मौजूद है और उस कानून को मौजूद रखने की कोशिश की जा रही है। इसके आगे मैं और अर्ज करना चाहूँगा कि हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं जो कि वाकई सुधर कर भले आदमी बन सकते थे, लेकिन उनको

(श्री अनूपसिंह)

बनने नहीं दिया गया। उनके हाथ से कोई जुर्म हो गया, तो उनको इस तरह की सजा दी जाती है कि वे आगे न करते, तभी वे ठीक हो जाते। लेकिन आज इस तरह का वर्ताव किया जाता है, कानून की नजर से, पुलिस की नजर से, जिनके हाथ में कानून रखा गया है, कानून का एग्जीक्यूशन रखा गया है, वह पुलिस और सरकार द्वारा ऐसा वर्ताव किया जाता है और सरकार ने यहां तक कि कई कातिलों को छोड़कर इस बात का सुबूत दिया है कि हम आपके साथ रियायत करना चाहते हैं, रियायत नहीं करके हैबिच्युयल ऑफेन्डर्स बनने के लिए प्रेरित किया। कई ऐसे कातिल हैं जिन्होंने दिन दहाड़े डबल मर्डर किए हैं, उनकी एफ० आई० आर० बिगाड़ दी गई, उसमें पुलिस का हाथ हो सकता है, सरकार के राजनैतिक दांव पेच हो सकते हैं। इस तरह कातिलों को छोड़ दिया जाता है वे लोग बाहर निकल कर, जेल से छूटकर, बरी होकर ऐसे हो जाते हैं कि मुझे कौन पकड़ सकता है, मेरा कौन कुछ बिगाड़ सकता है! ऐसे हैबीच्युयल ऑफेन्डर्स हमारी पुलिस के द्वारा, हमारी शासन व्यवस्था के द्वारा बनाए हुए हैं, अगर उन्होंने जुर्म कर लिया है तो वे सजा पाने के योग्य हैं, उन्हें सजा दीजिए पर सजा नहीं दी जाती और सजा नहीं देने में पुलिस का हाथ रहता है। कह दिया जाता है कि एफ० आई० आर० बिगड़ गई है, ऐसे हैबिच्युयल ऑफेन्डर्स बैठे हुए हैं। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि हैबिच्युयल ऑफेन्डर्स बिल ऐसी परिपक्व दशा में नहीं है कि इसे इस सदन में पास किया जाय। मैं इस बात पर जोर देकर कहूंगा कि इसे सर्क्युलेशन के लिए रखा जाय ताकि पब्लिक अपनी राय इस बारे से दे सके। मेरे ख्याल से हैबिच्युयल ऑफेन्डर्स बिल को सदन में रखना जरूरी नहीं है, और कई ऐसे कानून मौजूद हैं जो इस प्रकार की सजाएँ दे सकते हैं। प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट है और कई कानून हैं जिनके रूल अमल करके हैबिच्युयल ऑफेन्स को रोका जा सकता है। हैबिच्युयल ऑफेन्स करना हमने खुद ने ही सिखाया है। अगर हम सही माने में चाहते हैं कि कोई आदमी हैबिच्युयल ऑफेन्डर्स में से निकल जाय तो यह तभी हो सकता है जबकि हमारा आर्थिक ढांचा सुधरा हुआ हो। जब तक हम अपना आर्थिक ढांचा, सामाजिक ढांचा नहीं सुधारते हैं तब तक हैबिच्युयल ऑफेन्डर्स का कानून पास करना, हैबिच्युयल ऑफेन्डर्स को सोसाइटी में नहीं रहने देना, यह बहुत मुश्किल चीज हो जायेगी। क्योंकि जो कोई भी अपराध करता है वह आनन्द के लिए, मौज के लिए अपराध करता हो यह नहीं कहा जा सकता। क्योंकि गलत काम करने में किसी को आनन्द नहीं आता, मजा नहीं आता। अगर एक दफा कोई अपराध कर लेता है और उस पर स्टेम्प, छाप लगा दी जाती है कि एक बार का अपराधी है इसलिए हर बार के लिए अपराधी मान लिया जाता है और उसे हर तरह से दबाया जाता है, जलील किया जाता है और इस जलालत के कारण वह सोसाइटी से रिट्रीब्युशन चाहता है, उसमें बदले की भावना वेंजियेन्स की भावना आ जाती है। अगर आपके कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं कि वेन्जियेंस को रोक सकें तो आप हैबिच्युयल ऑफेन्डर्स बिल लाकर हैबिच्युयल ऑफेन्स को नहीं रोक सकेंगे।

इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं यह अर्ज करने जा रहा था कि कोई भी आदमी अभ्यस्त अपराधी बन जाय, उससे पहले हमको देखना है कि हमारी आर्थिक, सामाजिक

(श्री अनूपसिंह)

व्यवस्था ऐसी हो कि उस आर्थिक दशा से ये ऑफेन्स रुक सकते है कि नहीं। आज रिफॉर्मेटिव वे ऑफ ट्रीटमेंट कई जगह रखा गया है और हमारे यहां रखा जा रहा है, दुर्गापुरा आदि सोहाइटीज़ हमारे यहां हैं जहां भले आदमी बनाने के लिए अपराधियों को शिक्षा दी जाती है। पर इससे साथ साथ यह नहीं हो सकता कि हर आदमी को बार बार हैबिच्युयल ऑफेन्डर मानते जांय और उससे यह उम्मीद करें कि वह भला आदमी बने, यह नहीं हो सकता। अगर आप उसे भला आदमी बनाना चाहते हैं तो आर्थिक ढांचे को सुधारिये, हमारी सामाजिक परिस्थितियां हैं उनको बदलें ताकि इस प्रकार के आदमी हैबिच्युयल ऑफेन्स की भावना को अच्छी भावना में बदल सकें। मानवता के अच्छे इन्सटिक्ट हर आदमी में रहते हैं। वही उसमें भी है और इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा की जांय तो वह भी हैबिच्युयल ऑफेन्स की भावनाओं को अपने दिल से मिटाकर एक भला आदमी बन सकता है।

हैबिच्युयल ऑफेन्डर्स बनाने में सबसे ज्यादा हाथ किसका है, इसमें सबसे बड़ा हाथ पुलिस का है। क्योंकि पुलिस ने किसी जुर्म की सजा के लिए पैरवी नहीं की। पैरवी की तो अच्छी तरह से नहीं की, इस तरह बिगाड़ कर की कि जो सजा पाने लायक है उसे जेल से निकाल दिया गया, बरी कर दिया गया और जो सजा पाने लायक नहीं है। उसे सजा दे दी गई। माननीय गृहमन्त्री इसे शायद बुरा समझें, पर मैं यह अवश्य कहूँगा कि पुलिस ने ऐसे केसेज़ लिए हैं और गलत तरीके से पैरवी की है कि जो सजा पाने लायक थे वे सजा नहीं पा सके, जो कातिल थे वे कत्ल की सजा नहीं पा सके और वह हैबिच्युयल ऑफेन्स के बारे में शेर बन कर बैठ जाता है और कहता फिरता है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, मुझे कौन पकड़ सकता है ? जो आदमी कत्ल करके भी छूट जाता है तो उसके लिए नये छोटे-मोटे ऑफेन्स करना कोई बड़ी बात नहीं होती। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पुलिस को, जिसके हाथ में एग्ज़ीक्युशन है उसको ठीक कीजिए। आज हमारे सोशयालिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी उसमें हैबिच्युयल ऑफेन्डर्स ऐसी चीज फिट नहीं होती है।

ऐसा कानून पास करने के बजाय मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे समाज से यह निवेदन करूंगा कि हमारे समाज में ऐसी परिस्थितियां पैदा की जायं कि हैबिच्युयल ऑफेन्डर कोई बने ही नहीं।

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा बोलने के लिए खड़े होने पर।)

श्री सभापति : श्री श्रीमानसिंह !

श्री श्री मानसिंह (बयाना) : Mr. Chairman, I rise to support the motion to refer this bill to the Select Committe. After having gone through the Bill, I have come to the conclusion that the remedy proposed by the Government is worse than the disease. I ask an outright question to the Hon. Minister let me know as to what is crime ? We have a legal system legal procedure and thousands and myriads of books dealing with crime, but eventually we decide or we define crime as an anti-social behaviour, that is crime is linked

(श्री श्रीमानसिंह)

with the working, with the organisation and functions of the society and the human approach to it. Therefore, crime is not any matter of legal opinin legal procedure or legal justification. With this thesis, Sir,with this point I want to start.

What is now needed today is a change in our criminal law. But why our lawyers and our courts and, if I may so, our Law Minister have become so conserative that our lawyers and our judiciar have in this century our Ministers, our lawyers and our judiciary have not contributed or have not thought whether the same law that was framed 150 years ago serves the purpose of our society today. Today we know that 150 years ago, the organisation of society was something different. The then Rulers brought about law to safeguard the rights of onwership and private property i. e. they supported, they brought into force or they backed the haves in the society against the inroads, against the demands of the have-nots. That law framed in a certain year in a certain cenury is still being perpetuated, when in this dynamic world and since the advent of democracy in India, we have changed our approach. Today it is socialistic approch, i. e. every step will be guided not in order to safeguard the owners of property against the have-nots, but our approoch is different. Taday we want to restore equality in society, we want to re-distribute property, we want that the poor people should share equally in the leisure, that is our appoach today, while the approach of the previous law was to safeguard those institutions which today have outlived their usefulness and today that very same law is being perpetuated. Therefore, I wish to ask the question if that same law does not serve our purpose ?

The criminals are created not by inheritance, but by the social conditions, by the economic conditions and by the law it self. Therefore, when law, social conditions and economic conditions create criminals, then it is not the criminal to be blamed, but it is the law to be blamed, it is State, it is the Government which is to be blamed. We have not changed. What is needed today is the change in the legal system and when we should have adapted the legal system to the needs of the society, a society which has challenged the old values, old values are in a melting pot today and new values are shaping themselves, the same old mechanical, stereotyped and out-moded law remains and that law is unable to define as to what is crime. It takes for its definition that it is anti-social behaviour.

If we want to improve the

(श्री श्रीमानसिंह)

criminal, then we will have to improve the conditions of society. Improvement of the criminal is a condition that comes afterwards. The condition precedent is the improvement of society and today in society there are haves and have-nots. After all, the crimes are psychological, social and economic. I take for instance, theft. The basis of theft is not that the thief has inherited the instinct to steal things, but it is by virtue of being a poor man, by virtue of being coudemned to poverty in the society. He wants to became rich, he wants those fruits which the State Government gives through its legal system to those rich people, he wants these fruits. How can he have them ? He must beg, he must borrow and if he does not get by these two means he must steal. He has bee compelled by the orgainisation of society, by the acquisitive instinct of human nature that is the fundamental law that governs property by that acquisitive instinct he has been guided to steal and then we punish him for stealing. Is it not the duty of the State Government, I ask to provide him with bread, butter, shelter and clothing ? Today in this Bill we observe that a 'habitual criminal' has to inform the State Government about his occupation. But the burden of providing occupation and labour, the burden of providing him with bread, butter and shelter is the responsibility of the society and not of the socialistic Government. Is the responsibility of the society and not of the individul. We are shifting, through our financial limitations and resources, what is our responsibility on to an individal. How far is juitified is this our socialistic approach ? How far is this approach justified in modern times ? The Habitual Offenders Bill reminds me of a Government which wants to condemn certain people. I would have welcomed if it had certain reformatory name. The object of the Bill, as the Hon. Minister says, is to reform the individual, then why not name it as the reformatory Bill. And at which stage the Governerment wants to reform him ? After he has been suceossively condemned for five or 10 years, for certain crimes. Without trying to know as to what are the reasons for the individvl successively committing these crimes for five to 10 years we label him as an anti-social element in society; he must work with that label that he is a habitual offender. We must keep away form him or rather, if I say, he is a man with a contagous disease and he must be segregate. This quarantine system, or segregating the criminal from society is dangerous, is fatal to a democcratic society. Therefore, as I strated, our remedy is worse than the disease.

The question or reforming the criminal should be introduced not after he has been consecutively condemned but in the prison itself when he is first condemned for an offence. There he lives in the

Page No.57

श्री मान सिंह

(श्री ~~तनसिंह~~)

dark dungeons and un-healthy cells. Forced to do hard labour, he works, he lives in conditions which are unfit for human beings. There he lives and associates with other criminals. It is at this place where the Government should try to reform the criminal. It is either in the society or at the conviction stage where the reformation should be introduced, but the Government wants to reform after the criminal has been condemened for five to ten years, after he has becoms hardened, after his mind has beoome closed to the fresh ideas, then the Government wants to come as the big teacher to reform. Very late. Probably the Hon. Minister believes in the maxim that 'Better late than never.' So it is at this stage, the prison stage where they should be reformed. What is wanted is a reform in our prisons. Send to these prisons the men with reformatory mission, the men who can contribute to the reformation of the criminals at the conviction stage in the prison.

All said and done, there comes again that if any official takes any action or does anything in good faith he can lebel me, condemn me, segregate me and declear me unfit for citizenship in democracy, he is protected and I am not allowed to go to the judiciary to safeguard and justify my rights. Is it justice? These are rights which have been guranteed by the Constitution as fundamental. These are the very rights which I have a right to safeguard is not the executive but an inde- and may only safguard pendent judiciary. What is wanted today is that if my rights have been harmed by any individual officer or any body, I should be permitted to go and establish them in a court of law, but here the courts of law have been prohibited. They should not take cognizance of it. This is detrimental to our democracy. Where man cannot safeguard his rights-and democracy is based on rights, then it would be fatal to the democracy. It is also a mis-trust in the judiciary which the executive shows. Therefore, these things need change and reform. Only then, after all these changes in society, change in legal system, change in our approach and in our prisons are effected, only when we have introduced these changes fully and well, then only crime in our society can stop. When we have established that our institutions, our laws are ment not for the few individuals, they do not give affluance for the few but they give to the majority, to the masses their economic and social security, then only crime can stop in our society. The approach should be to improve our legal system. The people who are in charge of handling our criminals those persons they need reform themselves. A Bill like Ha-

श्री मानसिंह

(श्री तनसिंह)

bitual Offenders Bill deserved to be in the British times or in the times of the monarchs where they could condemn our struggle for freedom as an offence, where they could condemn our wants, our demands to feed ourselves as illegal. As a monarch in France would say when people go to him for bread, that they could eat cakes. This bill is ment for those times and not for democracy. Democracy guarantees socialism, and socialism guarntees equality of wealth, equality of rights and specially my right to go to the courts. Therefore, when we are living in a progressive society, living in a dynamic society where values are changing, in such society it is a retrogade step and not a progressive step.

२ म० प०

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, जो ये दोनों प्रस्ताव आये हैं कि बिल पब्लिक ओपिनियन के लिए और सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने के लिए, मैं उनका विरोध करता हूं। उसका कारण है। क्योंकि बताया जा रहा है कि राजस्थान हेबिच्युयल ऑफेन्डर्स अमेन्डमेन्ट विधेयक अभी पास नहीं होना चाहिए। एक कारण इसका यह बताया गया कि इसको पब्लिक सर्कुलेशन के लिये भेजा जाना चाहिए और दूसरा यह प्रस्ताव आया कि सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिए ! और कारण भी बताया गया कि इससे तो समाज सुधार नहीं हो सकता है। समाज बिगड़ रहा है और खराबियां हो रही हैं। एक महोदय ने तो ऐसा भी कहा कि इस बिल को लाने की क्या आवश्यकता है, चोरी करने वाले के हाथ पैर काट डाले जांय, सजा बढ़ा दी जाय। तो एक ओर यह कहा जा रहा है कि हाथ पैर काट डाले जांय और दूसरी ओर यह कहा जा रहा है कि समाज-सुधार नहीं होगा। ये दोनों ही विपरीत बातें हैं। सन् ५१ में इस तरह के एक्ट को पास किया गया था और जो अब भी राज्य में लागू है और जिसमें इससे भी अधिक सख्ती है। जिस एक्ट से आज हमारे लोगों को जो कि अभ्यस्त अपराधी हैं उनको कितनी सख्ती से गुजरना पड़ रहा है और उनके लिए यदि नरमी का बिल लाया जाय तो फिर उसके लिए यह कहा जाय कि उसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और पब्लिक ओपिनियन के लिए सर्कुलेट किया जाय, यह उपयुक्त नहीं समझा जा सकता। यदि कोई सदन में नया बिल आता तो समझा जा सकता था कि जनता पर ऐसा बिल लादा जा रहा है जो जनता के लिए दुखदायी होगा। लेकिन पहले से ही ऐसा एक्ट मौजूद है, जो इससे भी ज्यादा सख्त है और जनता के लिए कष्टदायक है और उसमें सहूलियतें देने के लिए ही सरकार यह बिल लायी है। उसके लिए कहा जाय कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, या पब्लिक ओपिनियन के लिये भेजा जाय, ये दोनों ही बातें उपयुक्त नहीं हो सकती हैं। जब यह कहा जाय कि इसको पब्लिक ओपिनियन के लिये भेजा जाय और सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय तो इसके लिये दो साल लगेंगे। एक उदाहरण दिया गया कि अभ्यस्त अपराधी को पीला पास दे देते हैं और उसी में उनकी जिन्दगी खत्म हो जाती है। जो सुविधा मौजूदा एक्ट में नहीं हैं उसमें इस बिल के संशोधनों द्वारा सुविधा दी गई हैं। एक संशोधन इस बिल द्वारा इस बाबत भी यह

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

किया गया है कि इसलिये पास की पांच साल की अवधि रखी है और पांच साल समाप्त हो गये तो वह पीला पास खत्म हो गया तो यह बिल तो पीले पास वालों को सुविधा पहुँचाने का है। यह बिल सिलेक्ट कमेटी में जाय और पब्लिक सर्कुलेशन के लिए भेजा जाय तो इसमें जो समय लगेगा उससे पहले ही यदि पीला पास हटा दिया जाय तो अच्छा है, उसके लिए आपको कोई चिन्ता नहीं है। समाज की स्थिति यह है कि चोरी करते हैं, डाका डालते हैं तो कुछ कारणों से। उनके काज को अवश्य ढूंढना चाहिए। लेकिन आज हमारी सरकार इतनी ताकतवर नहीं है कि समाज के जितने अंग हैं, तत्व हैं, उनको रोटी कपड़ा दे सके। इस वक्त हमारी समाज व्यवस्था इस प्रकार की है उसके लिए इस कानून की आवश्यकता है। जब तक एक ऐसा बिल पास नहीं हो जाता है कि जिससे समाज व्यवस्था मौजूदा समाज व्यवस्था बदली जा सके, जैसा कि जो समाजवादी समाज के लिए आवश्यक है, जब तक वैसा न हो वहां तक यह बिल आवश्यक है। जब हमने देखा कि स्वतन्त्रता के पहले राज्यों में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट था, वह इस प्रकार का था कि जिससे कई जाति के लिए, उनकी सारी की सारी जाति के लिए बन्दिश हो गई थी कि जिससे उनको हजारी देनी पड़ती थी, जाने की इजाजत लेनी पड़ती थी। उसके बाद हम उससे आगे बढ़े, पीछे नहीं गये। सन् ५३ में बिल पास किया, नीति में संशोधन किया और यह सन् ५३ का एक्ट सारी की सारी जाति पर नहीं, जो व्यक्ति अभ्यस्त अपराधी हैं उन पर ही लागू है। सन् ५३ से फिर सन् ५८ में आगे बढ़े। पिछला जो एक्ट है उससे आगे बढ़े हैं अथवा पीछे हटे हैं यह देखना आवश्यक है। यह साफ है कि हम आगे बढ़े है। पहले उनके सुधार के लिए कोई इन्तजाम, व्यवस्था नहीं थी अब इसमें उनको पांच साल के लिए सुधार संस्थाओं में भेजने की व्यवस्था है। सुधार संस्थाओं के लिए यह कहा गया कि जो प्राइवेट होंगी, वे कांग्रेस की विचार-धारा की होंगी। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाय कि वहां पर कांग्रेस की विचार-धारा होगी तो मैं कहूंगा कि क्या कांग्रेस की विचार-धारा खराब है कि जिस विचार-धारा ने देश की स्वतन्त्रता प्राप्त की। वहां उनको कई काम सिखाये जावेंगे, उनकी बुद्धि में परिवर्तन करने की कोशिश की जावेगी। ऐसी अवस्था में यह बिल है, वह ऐसा बिल है कि जो हमें आगे ले जा रहा है, पीछे नहीं। यदि कोई ऐसा बिल लाते कि नहीं साहब यह जो हैबिच्युयल ऑफेन्डर्स एक्ट है उसको ही हटा दिया जाय तो यह बात दूसरी होती। हैबिच्युयल ऑफेन्डर्स एक्ट मौजूद है, उसमें संशोधन कर रहे हैं, जो पहले में सख्तियां हैं उनको कम कर रहे हैं। उसके बारे में बताया गया कि ३२४, ३२५ धारायें भी शामिल की हैं जो इसमें लेने के उपयुक्त नहीं ऐसी हैं। मैं इनके खिलाफ हूँ। यह वाजिब बात है कि कोई लड़ाई लड़ ले, जैसा आपस में कभी कभी हो जाता है जो स्वाभाविक है, और ऐसे मामूली भी जुर्म सजा पा जावे तो क्या उसको हैबिच्युयल ऑफेन्डर मान लिया जाना उपयुक्त है ! इसमें सुधार होना चाहिये और हो सकता है। लेकिन इसी के लिए इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय या पब्लिक सर्कुलेशन के लिये भेज दिया जाय मैं उचित नहीं समझता हूँ। इसमें संशोधन आये हैं, उन पर विचार हो सकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को जल्दी से जल्दी पास करना चाहिये।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : चेयरमैन महोदय, आज हमारे सामने अभ्यस्त अपराधी कानून में संशोधन करने के लिए विधेयक प्रस्तुत है। मैंने इस पर पहले विचार नहीं किया था और पूरी तरह से इसको नहीं पढ़ा था, लेकिन यहां पर जो विचार विनिमय चला और अलग अलग राय मैंने सुनी और अन्ततः जो मैंने माननीय पुरुषोत्तमजी की बातें सुनी तो उससे मुझे भी कुछ कहने का साहस हुआ। माननीय पुरुषोत्तमजी ने कहा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह बिल एक प्रकार से जो पुराना बिल था उसके ऊपर एक सुधार रूप में आया है एवं जो केन्द्रीय सरकार की विचारधारा है वह पूर्णतया इससे लागू होगी। मैं मानता हूं कि जो पुराना कानून था उसमें सुधार लाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आज हम इस परिस्थिति में हैं कि यह विचार करें कि स्वाभाविक अपराधी कौन है ? इसका एक मुख्य विचार सारे संसार के सामने है, सारे मानव समाज के सामने मौजूद है जब कि मनोविज्ञान ने काफी प्रगति की है, मनोविज्ञान के विशेषज्ञों ने हमारे मानस के अन्तराल में काफी गहरे गोते लगाये हैं कि हमारा मानस किन किन प्रवृत्तियों में बहता है और किस कारण से बहता है। ऐसी स्थिति में यदि किसी पर कभी स्वाभाविक अपराधी की छाप लगा दें यह जल्दबाजी और गलत हो सकता है। इसलिए, मैं समझता हूँ, इस पर और अधिक विचार करें ताकि इन तत्वों को सोचकर और भी व्यापक रूप से संशोधित कर सकें और नये कोटि का बिल सिलेक्ट कमेटी की मार्फत प्रादुर्भूत कर सकें तो अच्छा है। जैसा कि अभी एक माननीम सदस्य ने कहा था स्वाभाविक अपराधी जो होते हैं वे एक विशेष सामाजिक वातावरण के कारण होते हैं और वह एक विशेष प्रकार की राज्य व्यवस्था के प्रतिफल स्वरूप भी होते हैं। इन दोनों प्रकार के कारणों एक स्वाभाविक अपराधी का स्वरूप बन जाता है। आज जबकि हम प्रगति के विशेष पहलू पर हैं, केवल मात्र पुराने प्रकारों को ला एण्ड ऑर्डर की प्रवृत्ति को मेन्टेन करना नहीं चाहते। आज जब कि हम कल्याणकारी राज्य का स्वरूप बनाने जारहे हैं तो वैसी हालत में हमें पुराने प्रकारों की ओर ध्यान नहीं देना होगा और अगर हम पुरानी व्यवस्था और पुरानी प्रवृत्तियों की ओर ही ध्यान देते रह जाते हैं तो निश्चय समय के अनुसार हम नहीं चल रहे हैं। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि स्वाभाविक अपराधी अथवा साधारण ही अपराधी जो होते हैं उनके मुख्यतः चार कारण होते हैं। एक तो है अभाव की स्थिति, दूसरी है मानसिक स्थिति। विशेष मानसिक स्थिति बचपन के रहन सहन या विशेष घटना क्रम के कारण हो जाती है या सामाजिक परिस्थिति के कारण हो जाती है जिसमें मेरा संकेत सामाजिक कमियों और खराबियों की ओर है।। चौथा कुल का संस्कार यानि हेरीडिटी (Heridity)। ये चार परिस्थितियां हैं जिससे व्यक्तित्व का निर्माण होता है और इसी से कभी कभी व्यक्तित्व अपराधी का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। लेकिन आज के मनोविज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि इन चारों परिस्थितियों का उपचार हो सकता है। आज हमारे सामने डेलिन्क्वेन्टस (Deliquents) को ले लीजिये उनके व्यक्तित्व में इन चीजों का काफी हिस्सा मौजूद है। इस बारे में एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया कि एक छोटा बच्चा था जिसने बचपन में किसी प्रकार अपने भाई को कहीं ऊपर से धक्के से मार दिया। वह गिर कर मर गया। इससे क्या हुआ कि उस बच्चे के हृदय में यह बात घर कर गई कि मैं अपने भाई का घातक हूं। जब यह भावना उसके हृदय में बैठ गई तो वह अपने आपको क्रूर समझने लगा, घातक प्रवृत्ति वाला समझने

(श्री नारायणसिंह)

लगा। इससे आगे चलकर वह दुनियां में बहुत बड़ा अपराधी बन गया। जब उसे रिफॉर्मेटरी में भेजा गया तो उस मनुष्य की सारी हाल-चाल जानने की कोशिश की गई तो समझ में आ गया कि किस प्रकार इस प्रकार की प्रवृत्ति उसके अन्दर जागृत हुई। ऐसी चीजें आज कई जगह मौजूद हैं। सामाजिक परिस्थिति या अभाव की परिस्थित ये एक विशेष प्रकार की परिस्थितियां होती हैं जिनके कारण लोग अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। उनके पास और कोई दूसरा चारा नहीं रहता। इस बारे में क्रिमीनोलिजस्ट्स ने पता लगाया है कि एक तो मनुष्य चाहता है आदर भाव और वह भी समाज में आदर भाव चाहता है। अगर वह किसी दुष्कृत के अन्दर प्रवृत हो जाता है और उससे समाज में वह आदर खोता है और अनादर मिलता है और वह भी जब सरकार द्वारा जिसको "माई बाप" समझा जाता है जो कल्याणकारी व्यवस्था का ठेका लिए हुए बैठी है--उस सरकार द्वारा अगर अनादर का भाव मिलता है तो वैसी हालत में मानसिक परिस्थिति उसकी बड़ी विचित्र हो जाती है। वह यह सोचने लग जाता है कि मैं गुनहगार तो हूँ ही फिर जितनी भी खराब स्थिति रख सकूं रखूं। इस तरह से वह अपने गेंग में या विशेष प्रकार के गुट में विशेष प्रकार का आदर भाव या प्रतिष्ठा कायम करने की कोशिश करता है और इस तरह से वह बड़ा भारी क्रिमिनल बन जाता है। इसी प्रकार अभाव की स्थिति में भी मनुष्य अपराध करने को बाध्य हो जाता है और इससे भी सजा पा जाता है। जब सजा पा लेता है तो उसकी आदर प्रतिष्ठा एक प्रकार से खत्म हो जाती है तो वैसी हालत में वह इसी चीज का धक्का लेकर आगे बढ़ता है। अभी माननीय पी० के० चौधरी ने कहा था कि एक व्यक्ति विशेष को कई दिनों तक जेल में रखा गया, जेल की उसकी टर्म बढ़ती गई लेकिन जब इस बारे में छानबीन की गई तो पता चला कि उस कैदी ने बलात्कार के विरोध में आवाज उठाई उसके खिलाफ उसने आन्दोलन पैदा किया। अगर हम उसके भाव की समीक्षा करते हैं तो सारे समाज के आन्दोलन भाव पर ठोकर लगती है। कोई बलात्कार के विरुद्ध आन्दोलन करना चाहता है वह किसी प्रकार भी अपराधी नहीं माना जा सकता। उसने भी जो आन्दोलन किया वह बड़ी भारी भावना से अभिभूत होकर किया। लेकिन ज्यों ज्यों प्रिज़न की टर्म बढ़ती गई उसने यह समझ लिया कि यही मेरा जीवन है और इसीमें मेरा सब कुछ रह गया है और इस तरह से वह वास्तव में अपराधी बन गया। जेल से छूटकर कैदी आता है तो देखा गया कि है वह "फ्री स्टेट गेस्ट हाउस" कहने लगता है और वहीं जाने को वह प्रवृत रहता है। जिन व्यक्तियों के बारे में ऐसी बातें सुनते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसे आदमियों का मानसिक सुधार हम नहीं कर पाये।

तीसरी चीज होती है प्रतिष्ठा की भावना की जो किसी अभाव के कारण या सामाजिक अन्याय के कारण पैदा हो जाती है। जब कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा की फिराक में रहता है और प्रतिष्ठा नहीं पाता तो ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो और प्रकार की प्रतिष्ठा पाने के लिए अपराधी बन जाते हैं। इस वस्तु स्थिति के निराकरण की आवश्यकता है जो आदमी थोड़े समय के लिए अपराधी बन जाता है अगर उसको दण्डित

(श्री नारायणसिंह)

किया जाता है तो वह घोर अपराधी भी बन जाता है। आज इस प्रगति के युग में हम जब यह तक करने जा रहे हैं जो आजन्म कैदी हैं उनको भी बिना हथकड़ी-बेड़ी के, बिना नियन्त्रण के उनको अपने बागों को, अपने घरों को बनाने का अवसर देते हैं, यह स्थिति हम निर्माण करते जा रहे हैं और हम इस प्रकार की संयत मनस्थिति का भी प्रादुर्भाव करने जा रहे हैं जिससे वह घर पर जाकर अपने परिवार से मिल सके। आज जब हम क्रिमीनल्स की सोसाइटीज़ का कई जगह निर्माण कर रहे हैं और सामाजिक वातावरण ऐसा निर्मित करते जा रहे हैं कि कल्याणकारी व्यवस्था का प्रादुर्भाव क्रिमीनल के क्षेत्र में करना चाहते हैं तो हमें इस प्रकार के प्रतिक्रियावादी कानून की तरफ क्यों प्रवृत्त होना चाहिए? इन सब बातों पर ध्यान देने के लिए मैं समझता हूँ इन सब बातों का आमूल-चूल परिवर्तन यदि कहीं हो सकता है तो वह सिलेक्ट कमेटी द्वारा ही हो सकता। इस विधेयक में हेबीच्युयल आॅफेन्डर की जो डेफीनिशन दी गई है उसमें लिखा है कि अगर पांच साल में तीन दफा कोई अपराध कर लेता है और कानूनी कार्य कर लेता है तो उसके हेबीच्युयल आॅफेन्डर मान लिया जाय। डिटेन्शन के बारे में भी कहा गया है कि अगर पांच साल में ऐसी परिस्थितियां रहती हैं कि वह सामान्य मन: स्थिति पर आ सके तो वह हट जाय। तो इन बातों पर पूर्ण विचार करने की आवश्यकता है। तीन बार अगर किसी ने गैर कानूनी कार्य कर लिया तो क्या उस पर आजन्म के लिए यह छाप लगा देना कि यह हेबीच्युयल आॅफेन्डर ठीक होगा? मेरा ख्याल है वह आजन्म के लिए बना रहेगा। इन सब बातों पर हमें विचार करना होगा।

अभी जिस तरह से एक माननीय सदस्य ने उदाहरण दिया कि एक आदमी था जो जेल में बलात्कार के खिलाफ आन्दोलन करता करता खत्म हो गया तो वह भी जेल यातनाओं और प्रताड़नाओं का अभ्यस्त हो गया था। आज भी आप देखिये कि छोटी छोटी कमियों के प्रति आदमी ऐसा आदी बन जाता है कि उसको छोड़ नहीं पाता, जैसे अफीम खाने की जिसको आदत है या शराबी को शराब की वह उस आदत से छुटकारा पाने में शरीर की क्षति कर बैठता है, फिर भी आदत से सहज ही छुटकारा नहीं पाता, इसी प्रकार जो भी आदत पड़ जाती है उससे सहज में छुटकारा मिल पाना कठिन है।

करेक्टिव सैटलमेन्ट किस प्रकार का होगा यह भी सोचने की बात है। करेक्टिव सैटलमेन्ट में पुलिस अगर तनसिंहजी के कहने के अनुसार हो जाती है तो मैं मानता हूं कि वे उस तरह से हो जावेंगे जैसे लोग पहले स्लेव की तरह डण्डे के नीचे काम करते थे। उनका मानसिक उपचार नहीं हो सकेगा। इसलिए इस पर गम्भीर विचार करना है।

अभी माननीय श्री मानसिंहजी साहब ने भी कहा था कि हम पांच साल तक इनको वहां ले जावें और एक तरह की छाप उन पर लगा दें कि तुम हेबिच्युयल आॅफेन्डर हो, पांच साल यहीं रहो तो यह भी कोई सही बात नहीं है।

पहला क्राइम करने पर ही हम लोगों के लिए सोचें कि यह किस नीयत से किया गया है, किस मानसिक बलात्कार के कारण किया, किस ऐसी प्रवृत्ति या फोर्स से अभिभूत होकर किया जिससे वह अपनी साधारण मनोवृत्ति

(श्री नारायणसिंह)

की तरंग को छोड़कर विशेष परिस्थिति में चला गया। यदि पहले ही अवसर पर उसकी परिचर्या कर सकते हैं तो शायद वह आगे दूसरा क्राइम न करे। तो इस जगह पर यह भी हमें विचारने की आवश्यकता है। तो मेरा अर्ज करने का मकसद यह है कि आज जो हमारे सामने बिल है वह तो ठीक है, वह पुराने एक्ट में संशोधन करता है, इसलिए प्रगतिशील भी कहा जा सकता है। सेन्टर ने भी नमूना दिया है। पर उस नमूने को यहां किस तरह से फिट करें यह सोचना है। इसलिए अगर कोई ऐसा सुझाव आता है कि सिलेक्ट कमेटी में भेजकर इसे पूरी तरह सोचा जावे तो मैं समझता हूँ कि यह आपत्तिजनक नहीं है।

अगर इसमें थोड़ी देर भी हो जावे तो आज ऐसा कोई छप्पर नहीं फट रहा है कि इसके न पास होने से बड़ा भारी अनर्थ हो जावेगा। आज हम इस पर ६ महीने तक विचार कर सकते हैं, दो तीन सत्र के बाद तक पास कर सकते हैं। जल्दबाजी में ऐसे जनः कल्याण के कार्य को करना विपरीत परिणाम ला सकता है।

पब्लिकेशन में तो ऐसा है कि देर हो सकती है। न मालूम कौन कौन राय देगा और कई अनुभवी लोग हमारे समाज में हैं भी पर आज इतनी बात नहीं है। सिलेक्ट कमेटी स्वयं उनकी इविडेन्स ले सकती है और सही निर्णय पर पहुंच सकती है। तो मैं समझता हूँ कि सिलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव अगर आता है और जो इसमें आमूलचूल परिवर्तन करके कुछ ऐसा स्वरूप इसका बनाया जा सकता है जो सुन्दर हो और अच्छा हो तो कोई हर्ज नहीं है।

इस बीच हमारे पास प्रीवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट है। उससे हम काम ले सकते हैं। पर इस कानून में जल्दबाजी करना उचित नहीं है।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : माननीय सभापति, यह देखने में बहुत छोटा है पर है बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक। आज से करीब पांच छः साल पहले जो कानून पास किया था उसमें यह संशोधन है। जिस वजह को लेकर हम यह संशोधन करने जा रहे हैं उसकी असलियत को हमने नहीं पहचाना। बीमारी की चिकित्सा करने हम चले हैं पर निदान हम नही कर पाये हैं। जिन कारणों से ये अपराध होते हैं उनके कारणों की तह तक हमें पहुंचना है और फिर इलाज करना है। जहां तक मैं समझ पाया हूं इस पर विचार करने से पहले या करते वक्त भारत के संविधान की धारायें याद आती हैं, स्वतन्त्रता के दस वर्ष याद आते हैं और साथ साथ कांग्रेस की हकूमत के द्वारा जो समाजवाद का नारा लगाया जाता है वह भी याद आता है। अगर इन तीन चीजों को सामने रख कर इस संशोधन पर विचार करें तो यह निहायत उम्दा बात होगी।

माननीय सभापति महोदय, भारत के संविधान में ऐसी चीज है जिसको देखने से हमें मालूम होता है कि वास्तव में समाज का एक हिस्सा जो इस प्रकार के काम करता है उसके लिए हमारे पास में कुछ सही इलाज होना चाहिए और फिर हम यह भी देखें कि क्या वजह है उनके अपराध करने की ? मैं निवेदन करूं कि यह कारण भूख का है जिससे मजबूर होकर आदमी ये काम करता है। तो जब तक यह जड़भूत (मूल)कारण नहीं मिटाया

(श्री मोहरसिंह)

जावेगा तब तक यह ऊपरी इलाज काम नहीं देगा। इससे अपराध कम नहीं होंगे।

मुझे असलियत याद है। दस वर्ष पहले, बल्कि आज भी शेखावाटी में एक कौम है मीणा और बीकानेर में है सांसी। जातिगत रूप से आज से चार-पांच वर्ष पहले तक ये जरायमपेशा गिनी जाती थीं। पर आज ये जरायमपेशा नहीं गिनी जातीं। पर फिर भी अगर कहीं ऐसे अपराध होते हैं तो गिरफ्तार ये ज्यादा होते हैं। उन्हें ऐसे मामलों में आज भी उलझाया जाता है, चाहे वे कसूरवार हों या न हों। पर अगर ये अपराध करते भी हैं तो किस वजह से? वह वजह है भूख की। सरकार आज उनकी भूख मिटाने को कुछ नहीं करती। ऊपर से लीपापोती करने के लिये कानून जरूर ले आती है। उसके जरिये इस कानून को मिटाने की हिमाकत करती है पर मिटा नहीं पाती। जब तक असलियत को नहीं देखेंगे तब तक यह रोग मिटने का नहीं। जब तक ये लोग जमीनों पर बसा नहीं दिये जावेंगे और इनकी रोजी का इन्तजाम न कर दिया जावेगा तब तक ये अपराध करते रहेंगे। आज दस वर्ष हमारी आजादी को हो गये पर आज तक भी हम इनको आजाद नहीं कर सके इस भूख की दासता से। तो यह हम लोगों के लिए एक कलंक की बात है। हम आज भी उन्हीं कानूनों से काम ले रहे हैं जिनसे पहले लेते थे। आपके संविधान में गारन्टी है कि जनता को रोटी दे सरकार। रोटी की व्यवस्था न करके उल्टे आप जो रोटी मांग रहे हैं उनको यह कानून रूपी पत्थर दे रहे हैं उनका मुंह ही तोड़ देने के लिए। आप याद रक्खें, बुभुक्षितः किं न करोति पापम्! वे भूखे हैं और पेट के लिए कसूर करते हैं। पर आप तो उनके मुंह पर कानून का पत्थर मारते हैं और कहते हैं कि बच्चू चुप रहो, ऐसा करोगे तो यह सजा है। आप असलियत नहीं पहचान कर ऐसी ऐसी बातें करके इस सदन का समय ज़ाया करते हैं। मैं तो इसे ऐसा ही समझता हूं। जहां गारन्टी दी हुई है संविधान में कि सब की रोटी का इन्तजाम सरकार करेगी तो सरकार इन्तजाम करे, उनकी भूख मिटाए। जो बिना जमीन के पड़ा है उनको जमीन दे। रोजी का उनका इन्तजाम करे। हमारा नारा है समाजवादी प्रजातन्त्र का। एक तरफ हम गारन्टी देते हैं कि हम तुम्हारे लिए यह करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह के कानून बना कर उसे छीन लेना चाहते हैं। एक तरफ अमेन्डमेन्ट लाकर उनको करेक्टिव सैटिलमेन्ट का डर बताते हैं दूसरा और आप समाजवादी समाज रचना का नारा लगाते हैं। मैं समझता हूं यह एक निरा ढोंग है। दस वर्ष में हम इन भूखों की बीमारी को दूर नहीं कर सके। यह हमारी कमी है। हमारी नाकाबलियत है। अपनी इस नाकाबलियत को छिपाने के लिए आज हम कहते हैं हम तो पुराने कानून में नरमी ला रहे हैं। आप नरमी नहीं ला रहे हैं अपनी नाकाबलियत पर लीपापोती कर रहे हैं। परदा डालना चाहते हैं आप अपनी नाकाबलियत पर। आज तक तो दस वर्षों में आपको इसको हल कर देना चाहिए था अगर वास्तव में आप समाजवाद का नारा लगाते हैं तो। अगर नहीं कर पाये तो वह नारा गलत था आपका। 'सत्यमेव जयते नानृतम्' का आप मोटो रखते हैं। पर आप ऊपर से कुछ कहते हैं और करते कुछ और हैं। उधर गारन्टी देते हैं संविधान में कि तुम्हारी भूख का इन्तजाम सरकार करेगी और इधर इलाज नहीं कुछ इन विचारों के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। उनकी असलियत को

Page No.65

(श्री मोहरसिंह)

भूल गए। हमारे सामने यह जो कुछ अमेन्ड-मेन्ट्स लाये गये हैं उनके बारे में मैं बोलूं...

डॉ० बहादुरसिंह : आप यह किस पर बोल रहे हैं ?

श्री मोहरसिंह : (जारी) यह पब्लिक ओपीनियन के लिए भेजा जाये, इसके लिए बोल रहा हूं। जो अमेन्डमेन्ट्स आये हैं उनमें कई तरह की खामियां रह गई हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं कि आज के इस प्रजातन्त्र के युग में, स्वतन्त्रता के युग में, जहां पब्लिक को बहुत कुछ दिया जाना चाहिए वहां उल्टे उनको फंसाने के लिए तरह तरह के कानूनों की आड़ लेकर जाल रचाये जाते हैं। हमारा जो अभी कानून है वह राजस्थान हैबी-चुअल ऑफेन्डर्स (संशोधन) विधेयक के नाम से है। जिसमें एक जगह लिखा है कि माह-वारी उन आदमियों को, जो रजिस्टर हो चुके हैं, हाज़री देनी होगी। यह वैसा ही कानून है कि जैसा हम पहले राजाओं के ज़माने में देखते थे और मीने लोग जाकर के थानों पर हाज़िरी देते थे। आज हमें आज़ादी मिले दस वर्ष हो गये हैं और सुधार यह हुआ है कि जेलों के ऊपर लिखा हुआ है बिगड़े हुए इन्सानों को सुधारने के लिए। वह वास्तव में कुसूरवार हैं तो वहां उनको नहीं सुधारा जाता और इधर पाबन्दी लगा देते हैं कि माहवारी हाजरी दो। मान लो वह आदमी अपनी रोज़ी कमाने के लिए दूर जाता है तो वहां से चलकर उसको हाजरी के लिए आना पड़ेगा। चलकर आने में उसका कितना टाइम जाया होगा, कितना किराया लगेगा। तो मैं आपको बताऊं कि यह प्रेक्टिकेबल नहीं है। यह उस आदमी के लिए बिल्कुल विपरीत पड़ता है। इस तरह माहवारी हाजिरी देने की बात इसमें कही गई है जो इसके साथ ही साथ एक चीज़ और रखी गई है कि इसको मजिस्ट्रेट पाबन्द कर सकता है दूसरी जगह जाने से। आजकल प्रजा-तन्त्र का ज़माना है। अगर कोई कुसूर करता है तो उसके लिए कानून है। पुलिस उसको पकड़े और दावा करे और जेल में भेजे। लेकिन इत्तिला देना जो कि पुलिस का काम है वह भी उसी से कराया जाता है, फिर पुलिस किस मर्ज की दवा है जिसका काम है कि अगर कोई कुसूर करता है तो मुकदमा चला कर उसको जेल भेजे। मैं तो आपको बताऊँ कि इस तरह के जो आदमी हैं जिनको कि हैबी-चुअल ऑफेन्डर्स करार दिया जाता है उनसे पुलिस मिल मिल कर के ऑफेन्स करवाती है। इसलिए मैं यह उचित समझता हूँ कि इस संशोधन को जनता के विचारों के लिए भेजा जाये।

इसके साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और आई है और वह है करेक्टिव सैटलमेन्ट उनके दिमाग दुरुस्त करने के लिए, उनके चरित्रों को सुधारने के लिए कुछ इस प्रकार के संस्थान कायम किये हुए हैं जिनके अन्दर उनको भेजा जाए। एक तरफ जेलों के आगे लिखा है बिगड़े हुए इन्सानों के दिमाग को ठीक करने लिए। मैं तो कहता हूँ कि यह इनडाइरेक्ट रूप में कांग्रेस अपने प्रचार के लिए अडंगा कर रही है। इस बिल को अमेन्डमेन्ट करने का विचार आया तो महज इसलिए कि यह जो ऑपोजीशन वाले हैं वह कहीं अपने प्रचार में ज्यादा तेज़ी नहीं कर दें याने उनको दबाने के लिए इस प्रकार के सेक्शन्स ढूंढे गये हैं.......

डॉ० बहादुरसिंह : आपको भी भेज देंगे ?

श्री मोहरसिंह : मैं तो सदा से ही जेल में रहा हूं। यह ऑपोजीशन वालों को दबाने के लिए ही हाउस में लाया गया है। वह सत्याग्रह करें तो उन्हें सत्याग्रह नहीं करने दिया जाता। जिस चीज के लिए महात्मा गांधी ने अपना सारा जीवन लगा दिया और सत्याग्रह करना अपने जन्मसिद्ध अधिकार से जायज़ ठहराया आज वही सत्याग्रह करने का अधिकार हमसे छुड़वाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आबयाना वृद्धि का आन्दोलन गंगानगर में चला तो उसमें लोगों ने क्या किया था? क्या किसी को मारा था? गोली चलाई थी या क्या किया था? लेकिन उसको हिंसात्मक आन्दोलन माना गया। क्या इससे प्रजातन्त्र फल सकता है? इसी तरह से राजगढ़ के अन्दर किसान आन्दोलन चला और वहां के लोगों को जेलों में ठूंसा गया और जब इसके लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑफिसरों के रास्ते को रोका। अगर गरीब आदमी किसी को रोक कर अपना दुख सुनाता है तो उसके लिए यह कार्यवाही कहां तक उचित है? क्या आज के प्रजातन्त्र में इतना भी कहने का हक नहीं है अगर इतना भी हक नहीं है तो हम सोचें कि क्या हम संविधान के विरुद्ध नहीं चल रहे हैं और यह समाजवाद का नारा हमारा नकली नारा नहीं है? इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि वास्तव में उन आदमियों के लिए जो कि हैबीचुअल ऑफेन्डर्स हैं यह सही इलाज नहीं है। इसके अन्दर जो चीजें रखी हैं और जो ऑपोजीशन वालों के लिए रखा है उस पर विचार करते हुए यही आपके सामने विचार प्रगट करना चाहता हूं कि यह पब्लिक ओपीनियन के लिए भेज देना चाहिए ताकि मालूम हो कि वास्तव में आज हिन्दुस्तान की जनता किस प्रकार से इन काले और गन्दे कानूनों से घृणा करती है। सदन के सामने जो यह रखा गया है कि इसे जनमत के लिए भेजा जाये उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा): माननीय सभापति महोदय, आज हमारे सदन में हैबीचुअल ऑफेन्डर्स बिल के संशोधन के बारे में जो बहस हो रही है इसमें दो मांगें की गई हैं। एक तो यह कि इसको पब्लिक की जानकारी जानने के लिए भेजा जाये और दूसरी मांग सिलेक्ट कमेटी को दे दिया जाय। अब मैं हाउस का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि इस कानून के बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी और यह किन अपराधियों के ऊपर लागू किया जायेगा। इस बिल का असर असल में उन लोगों के ऊपर पड़ेगा जो नंगे और भूखे रहते हैं। मैं यह समझता हूँ कि इसका असर उन लोगों के ऊपर नहीं होगा जिनको खाते खाते खट्टी डकारें आ रही हैं और जो आदमी डाके डाल रहे हैं, उन पर इसका असर नहीं पड़ेगा। इसका असर तो उन लोगों के ऊपर पड़ेगा जिनको एक टाइम भी खाने को नहीं मिलता। मैं आपको बताऊं कि इस बिल के पहले जरायमपेशा नाम का काला कानून यहां पर था और उस जरायम पेशा कानून में यह था कि जन्म लेने मात्र से ही जरायम पेशा करार दे दिया जाता था। इस काले कानून से छुटकारा पाने के लिए हम लोगों ने जगह २ घूम कर के एक आन्दोलन किया और उस कानून को सरकार द्वारा खत्म करवाया था। लेकिन उसके स्थान पर यह दूसरा कानून हमारी गई असेम्बली मे लाये थे। तो इस बिल का असर मैं आपको बताऊं कि उसी तरह का पड़ेगा जैसा कि जरायम पेशे कानून का पड़ता था। कानून इसलिए बनाये जाते हैं कि जनता में शांति रहे। यदि शांति इस बिल के लगाने से रहती है तो इस तरह के

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

बिल विधान सभा में लाने चाहिए। जिस समय जरायम पेशा कानून बना था, उस समय अपराधियों की संख्या बहुत कम थी। लेकिन उस कानून को ज्यों ज्यों लागू किया गया त्यों त्यों अपराधियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि जन्म लेने मात्र से अपराधी बन जाता था। मैं नीम के थाने में रहा था वहां मैंने देखा कि ८० वर्ष के बुड्ढे को भी खाट पर ले जाया जाता था। एक स्कूल में बच्चा पढ़ता है वह स्कूल में हाज़िरी देता था और पुलिस की भी हाजिरी देता था। पुलिस उनसे क्या करवाती कि खाट बनवाती, पानी भरवाती, उनकी औरतों के कपड़े धुलवाती थी और उनके बाल बच्चे भूखे मरते थे। पुलिस-वालों के काम से छुटकारा पाते ही वह क्या करता कि चार सेर अनाज कहीं से चुरा लाया तो जरायम पेशा कानून में उसको फांस दिया जाता था। यही हालत इस कानून से होने वाली है। यह कानून तो भूखे मरने वाले लोगों पर लागू होगा। जो कहीं से दो सेर दाने की चोरी करते हैं, जो किसी कपड़े की दूकान से थोड़ा सा कपड़ा उठा लाते हैं उनके ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो एक तरफ मैं आपको बताऊं कि अपराधी कौन बन जाता है, इसका एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि नीम के थाने में चीच-रोली नाम का एक गांव है जिसमें रामदेवा और महादेवा बड़े डबल डाकू हुए हैं जिन डाकुओं ने ११ बजे से ५ बजे तक २,४०० कारतूसों का फायर किया था। वह मुझे खूब याद है कि ये दोनों डाकू क्यों हुए थे। देवी-सिंह डिप्टी था नीम के थाने में, जिसने उनके ऊपर हाजरी की पाबन्दी करी। देवीसिंहजी जिस समय चीनरोली में जाते हैं, मैं जरायम-पेशा कानून का उदाहरण दे रहा हूं कि उसका क्या असर होगा, तो वहां पर जरायम पेशा कानून लागू कर देते हैं। वे दोनों साहूकार थे, खेती का काम करने वाले थे। वे देवीसिंह जी जाते हैं और उनकी औरतों से बोले कि तुम्हारे खसम कहां हैं ? उन्होंने कहा कि खेत पर काम करने गए। उन्होंने उन औरतों की बड़ी बेइज्जती की यहां तक कि उनके गुप्तांगों में मिर्ची तक भर दी गई बताई। रामदेवा और महादेवा जब घर आये तो गांव के लोगों ने कहा कि तुम्हारा जीना धिक्कार है। डिप्टी ने इन लोगों की इतनी बेइज्ज़ती की है अगर तुम इन्सान हो तो तुमको मर जाना चाहिए। उन्होंने अपनी बन्दूकें निकाली और थाने पर जाकर देवीसिंह को जान से मार दिया। जिसके बाद में वे डाकू हुए और डाकू होने के बाद बरसों तक डाकूपना करते रहे। आखिर क्यों होते हैं अपराधी ? इस प्रकार के अत्याचार पुलिस की ओर से होते हैं तो हमको सोचना पड़ता है और एक व्यक्ति को अपराध करने के लिए मजबूर होना पड़ता है इसी तरह से एक कालू नाम के डाकू के एवज़ में उस नाम के ३० कालू मारे गये। कोई भैंस चराता हुआ मारा गया, कोई हल चलाता हुआ मारा गया, कोई जोहड़े में नहाता हुआ मारा गया। नीम के थाने के आस पास जब यह ३० मर चुके और डाकू एक हुआ था तो २६ के भाई, बेटे और उनके परिवार के लोग दुखी हुए होंगे कि निरपराध मेरा बाप मारा गया। इसलिए वे डाकू हुए होंगे और डाकू होने के लिए मजबूर होना पड़ा होगा। तो इस तरह से ये अपराधी चोरी करके या किसी भी तरह की बदले की भावना से हुए होंगे। इस प्रकार के अत्याचार यदि पुलिस की ओर से होते हैं, यदि सरकार की ओर से होते हैं तो मैं समझता हूँ कि जरायम होना स्वाभाविक है।

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

आज के जमाने में आगे दूसरे कामों का किसी का पेशा रजिस्टर्ड नहीं होता था। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से पर्मिशन व्यापार करने के लिए नहीं मिलती है। एक जाट को व्यापार करने के लिए, एक जाट को खेती करने के लिए, एक महाजन को खेती करने के सरकार में पेशा रजिस्टर्ड नहीं है तो हमारे यहां से गवर्नमेंट की ओर से उनका स्थाई पेशा रजिस्टर्ड कर दिया गया है। वे रजिस्टर्ड बना दिये गये हैं कि ये लोग जरायम पेशा हैं। उनके पेशे को रजिस्टर्ड कर दिया गया है सरकार के द्वारा। मैं बड़े दुःख के साथ यह बात प्रकट करूंगा कि जिसको रजिस्टर्ड कर दिया गया है फिर क्यों उसको वह पेशा करने से रोकते हैं? मैं तो समझता हूं कि अपराध करने का किसी का पेशा नहीं है। अगर सरकार उसको रजिस्टर्ड करती है कि वह अपराधी है और फिर उसको अपराध करने से रोकती है तो यह कोई न्याय-संगत बात नहीं है।

मैं आपको बताऊं कि इस प्रकार से, माननीय चेयरमैन, आज होता क्या है कि जरायम पेशा कानून पुलिस की ओर से निरपराधी को अपराधी बना देने का साधन है। हम अपराधी क्यों होते हैं, मैं नीम के थाने के पास नयाबास में रहता था। नयाबास ऐसा गांव था जिसके लिए श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने कहा था कि वहां ऐसे लोग रहते हैं कि हिन्दुस्तान में और कहीं न देखा होगा। मुझे मालूम है कि वहां पर कितने अपराधी, कितने जुर्म करने वाले थे। जब से यह कानून बन्द हुआ उसके बाद से उन लोगों के मकान हो गये हैं, उन लोगों के घर बस गये हैं और वे लोग व्यापार करते हैं। आपको मालूम होगा कि यह कानून जब समाप्त किया गया तो रामदेव का लड़का डाबला से कोटपुतली या सिंघाना तक बस चलाता है। एक समय था जब कि महादेवा की लड़की को हाजरी देनी होती थी। सारे घर की औरतों को हाजरी देनी पड़ती थी, जिस समय यह कानून था। तो मैं समझता हूँ कि इस कानून को बनाया, उससे अगर समाज में शान्ति व्यवस्था कायम रहती है तो कानून में संशोधन आने की ज़रूरत ही क्या है? परन्तु मैं समझता हूं कि इस कानून के बनाने से पहले अपराधियों की संख्या निर्धारित करली जाय कि कितने आज अपराधी हैं और कानून बनने के साल भर बाद देखा जाय कि अपराधियों की संख्या कम हुई है या अधिक है। यदि अधिक हुए तो मैं समझता हूं कि यह कानून निराधार है और यदि कम हुए तो समझिये कि जनता में शान्ति और व्यवस्था कायम हुई है। मगर यदि कानून से कोई सुधार नहीं होता है बल्कि उससे उल्टी जनता परेशान होती है जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यहां पहले एक विशेष भोज–नुकते का कानून बनाया था और उस वक्त में पुलिस के हाथ यह अधिकार दिया गया था कि कोई नुकता न करे अपने बाप के मरने पर, माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिए कि उस वक्त उस गरीब आदमी को दो नुकते करने पड़ते थे। एक तो बाप का नुकता करना पड़ता था और दूसरा थानेदार का करना पड़ता था। तो मेरा सुझाव है कि कानून और व्यवस्था में सुधार करना है तो स्कूल खोलें जायं, उनकी बेकारी को दूर किया जाय, उसको रोजी दी जाय। आज जरायम पेशा कानून को खत्म कर दिया है लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। उनके पास जमीन नहीं है, कोई धन्धा नहीं है और सरकार कहती है कि अपराध न हो। आखिर भूखों मरता क्या नहीं करता है।

(श्री भैरवलाल कालाबादल)
आज यदि किसी मिनिस्टर को भूखों मारा जाय तो वह भी कुछ करेगा, किसी सेठ को भूखों मारा जाय तो वह भी कुछ करेगा। भूखा आदमी यदि अपराध करता है तो इस कानून का असर उन भूखे लोगों पर पड़ेगा। वे जंगल के रहने वाले लोग जिनके पास रोजी नहीं है और धन्धा नहीं है वे करें क्या? मोगिया, बावरी और सांसी ये लोग जिनके पास धन्धा नहीं है और हम कहते हैं कि सुधार करते हैं वे क्या करते हैं कि किसीके खेत में चार सेर गेहूं हुए तो ले जायेंगे तो वे अपराधी माने जायेंगे। जुर्म एक व्यवस्था थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि नयाबास में मैं रहता था। वहां होता क्या था कि रोजनामचे में खाना खाली छोड़ दिया जाता था और उनको कह दिया जाता था कि तुम कहीं गिरफ्तार हो जाओगे तो खाने में गैरहाजरी दर्ज करदी जायगी और वापिस आजाओगे तो खानापूरी कर देंगे। इस प्रकार के मामले के लिए श्री भंवरसिंह एस. पी. और श्री राजपाल कबूलसिंह डिप्टी नीम के थाने में थे। उस समय मैं नीम के थाने में रहता था। मैंने उनको वह रोजनामचा पकड़वाया था। इस तरह से पुलिस अपराधी है और कोई मीणा अपराधी नहीं है। वे उनको चोरी करने भेजते थे और उनका भी हिस्सा बंटता था। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस कानून के बनिस्पत अपराधियों के पुलिस पर लागू किया जाय। ईमानदारी से काम करें तो मैं समझता हूं कि कोई अपराधी नहीं होगा।

मोटरों की व्यवस्था को देखते हैं तो पुलिस वालों के घर वाले तक फ्री चलते हैं।

श्री सभापति (श्री रामचन्द्र) : मैं वक्ता महोदय से निवेदन करना उचित समझता हूं कि आज जो एमेंडमेंट बिल पेश हुआ है उसके स्कोप को ध्यान रखते हुए अपने वादविवाद को रखें और बिला वजह अननेसेसरी बात रख कर अपने वक्तव्य को लम्बा चौड़ा न करें। इससे समय का पूरा उपयोग नहीं होता है और अभी इस विधेयक पर काफी बोलना है। इसलिए एमेंडमेंट बिल के स्कोप को ध्यान में रखें और उसके अनुसार पूरे विचार प्रकट करें लेकिन स्कोप के अन्दर रहें अपना वक्तव्य आरम्भ रखें।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : (जारी) चेयरमैन महोदय, मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा। यह तो कुछ आ गया था क्योंकि इस कानून का मैं भी भुक्त भोगी हूँ। मैं वहां पर स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था। नये बास में सारे गांव का सुधार कर दिया गया था। वहां केवल ३ चोर रह गये थे इतना सुधार कर दिया था। ऐसे समय वहां की चौकीदारी के लिये ५ सिपाही भेजे। पहले वहां पर कोई चौकी नहीं थी। आखिर में यह हुआ कि गांव वालों के और मेरे बीच पुलिस ने यह कह कर ऐसी दुश्मनी डालदी थी कि मास्टर तुम्हारी रिपोर्ट और डायरी भेजता है इसलिये इसको गांव से निकाल दिया जाय। आखिर मैंने ८ दिन तक अनशन किया और आई. जी. पी. वगैरा के पास आया। अब वहां पर चोरी वगैरा नहीं हो रही है लेकिन एक ही महीने में पुलिस चौकी होते ही ३ से १३ चोर वहां पर हो गये थे। आज वहां पर कोई चोर नहीं है और वहां के रहने वालों के लड़के कोई तो एम. ए. में पढ़ता है और कोई आगे वकालत करेगा या कोई और काम। लेकिन एक आदर्श गांव वह नया बास बन गया है। जिस समय यह कानून वहां पर लागू था उस समय वहां पर चोर थे इसलिये मैं यह नहीं कहता कि ऐसा बिल नहीं आना चाहिये लेकिन मैं यह कहता हूँ कि

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

जनता में शान्ति स्थापित हो, ऐसा बिल आना चाहिये। कुछ सदस्यों ने कहा कि ऐसा बिल न तो पब्लिक ओपीनियन के लिये दिया जाय और न सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये। क्योंकि वकालत करने वालों के लिये मुकदमें बने और पैसा कमा सकें इसलिये यह पब्लिक की जानकारी में नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि पब्लिक की जानकारी के लिये नहीं भेजा जावे तो भी सिलेक्ट कमेटी में जरूर भेजा जाना चाहिये। इसलिये कि हमें सुविधा देनी है, अपराधियों को सुविधा देनी है और उस पर विचार करना है तो गंभीरता से सिलेक्ट कमेटी में विचार करें जिससे जनता में शान्ति स्थापित हो, ऐसा करें। मैं बिल का विरोध नहीं कर रहा हूँ लेकिन हमें उनको सुविधा देनी है, अपराधियों की संख्या में कमी करनी है इसलिये इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, मैं यहीं निवेदन करूंगा।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : आज यह बिल पास हुआ है इसके बारे में मैं समझता था कि यह बिल पास होने पर हमारे प्रान्त की हर तरह से रक्षा होगी पर यह बिल जो देखने में आता है उससे यह मालूम होता है कि जितनी कम हालत का और कमजोर हालत का आदमी होगा उस पर यह लागू होगा क्योंकि इसका कारण यह है कि पैसे वालों को सजा होगी नहीं। पैसे वाले हर मुकदमें को जीत जायेंगे और उनको सजा नहीं पड़ी है और न पड़ने वाली है कारण कि ऐसी व्यवस्था से लाभ उनको पहुंच जावे तो ऐसी व्यवस्था हमें करनी थी कि जिससे नाथद्वारा जैसी चोरियां होती हैं उनको रोका जाता लेकिन ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े माल उठाने वाले लोग हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। यह तो सिर्फ भूखे मरने वाले आदमी हैं वे किसी के घर में जाकर मुठ्ठी भर अनाज ले आवेंगे और अपना पेट पालेंगे उन पर लागू होगा। चोरी तो १०,००० रुपयों की होगी वह भी चोरी कहलायेगी और एक पैसे की होगी वह भी चोरी कहलायेगी। इसके अन्दर तीन बार सज़ा होने के बाद उस पर बुरा नतीजा आता है। तो पहले यह व्यवस्था करनी थी कि पहले १० साल तक यह बिल लाना नहीं चाहिये था। पहले तमाम ग्रामीण जनता के लिये अच्छी तरह से रोटी कपड़ा देने का इन्तजाम हो जाता तो बाद में ऐसा कानून ला सकते थे। फिर ग्रामीण लोगों में से डाके डालने वालों पर, चोरियां करने वालों पर यह लागू हो सकता था। लेकिन आज एक तरफ तो दुनियां भूखों मर रही है और दूसरी तरफ आप उनको पकड़ने को तैयार हो रहे हैं। भूख से मरते हुये लोग नाम या हाज़िरी लिखाने के लिये पुलिस में जायेंगे या मध्य भारत में जाकर मजदूरी करेंगे? आज लोग हजारों की संख्या में रोटी कमाने के लिये दूसरे प्रान्तों में गये हैं। भूख की हालत में वे लोग मजदूरी करने के लिये वहां पहुंच जाते हैं। जब वे कुछ कमा कर वापिस आते हैं तब पुलिस वाले आकर उनसे पूछते हैं कि तुम कहां गये थे और किसके कहने से गये, इत्तला क्यों नहीं दी? पांच पच्चीस रुपये वे वहां से पैदा करके लायेंगे, उन्हें पुलिस वालों को दे देंगे तब उनकी जान छूटेगी। भूख के लिये जो लोग घर पर बैठते हैं उन पर बंधन है। अमीरों के लिये कुछ नहीं है। अमीर को कभी सजा नहीं पड़ेगी इसलिये पहले भूखे लोगों के लिये रोटी कपड़े का इन्तज़ाम करना अनिवार्य है। बाद में मस्ती करें उनके लिये यह कानून

(श्री हीराभाई)

लागू करें तो कोई विरोध नहीं है। लेकिन आज के जमाने में भूखों के लिये यह बिल काम का नहीं है। भूखों के लिये यह अमल में आता है, अमीरों के लिये नहीं आता है और चोरी करने वाले जो लोग हैं उन में पुलिस वाले ज्यादा चोरी करने वाले हैं। चोरी कराने वाले होते हैं पुलिस वाले और सजा भुगतने वाले होते हैं ऐसे गरीब आदमी। एक आदमी को मार डाला कलातरा में, बनिये ने मारा और पुलिस वालों को अब तक पता नहीं लगा। इस हालत में बदमाशी और भ्रष्टाचार जो होता है वह पुलिस वालों से होता है। फिर उनका बचाव करने के लिये उनका वहां से तबादला हो जाता है। दूसरा इन्सपेक्टर आता है, फिर गरीबों को गिरफ्तार किया जाता है। पहले रिश्वत मांगी जाती है फिर रिश्वत नहीं मिलती है तो उनको गिरफ्तार करते हैं, फिर सजा का अपराधी करार दिया जाता है और फिर सजा में वह बन्ध जाता है।

श्री सभापति : इस अमेन्डमेन्ट पर काफी वाद-विवाद हो चुका है। अब माननीय सदस्य वाद-विवाद के लिये अधिक समय न लें और मैं चाहता हूँ कि मंत्रीजी का उत्तर सुन लें क्योंकि अभी इस बिल पर दो स्टेजेज़ पर और वाद-विवाद करना है इसलिये यहीं पर समाप्त कर दें।

श्री श्रीमानसिंह : on a Point of information Sir, क्या यह क्लोज़र चेयर की तरफ से मूव किया जा रहा है ?

श्री हीराभाई : यह जो बिल है........

श्री चेयरमैन : यह तो निवेदन है, क्लोज़र मोशन नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि इस अमेन्डमेन्ट पर काफी वाद विवाद हो चुका है। अभी और विचार करना है इसलिये अगली स्टेजेज़ के लिये रिजर्व रखें। बहतर यह है कि मंत्रीजी का उत्तर सुनलें इसलिए कृपा करके वाद विवाद यहीं समाप्त करें ऐसी आशा रखता हूं।

श्री हीराभाई : (जारी) मुझे यह विश्वास हो जाय..........

श्री सभापति : आप एक मिनट तक और वाद-विवाद कर लीजिये।

३ म० प०

श्री हीरा भाई : चेयरमैन महोदय, मुझे माननीय मंत्री जी की तरफ से विश्वास दिलाया जाय कि यह बिल आगे बढ़ेगा और अभी विचारार्थ नहीं रखा जायगा। अगर इस बिल को आगे बढ़ाने का विश्वास मिल जाय, तो हमें बोलने की, वादविवाद करने की जरूरत नहीं होगी। यह बिल इतना छोटा बिल है, लेकिन इतना कठिन बिल है उससे गरीबों की हालत अच्छी बनने वाली नहीं है उनकी हालत खराब करने वाली है और अमीरों की हालत अच्छी बनाने वाला बिल है, क्योंकि वे रिश्वत खायेंगे और यह बिल गरीबों को मिट्टी में मिलाने वाला है। इसलिए जहां तक मैं समझता हूं इस बिल को सदन को देखना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा। इससे पहले आप हम पर रोक डालें, तो हम रोक में कैसे आ सकते हैं?

(घंटी)

श्री हीराभाई : इसलिए........

श्री सभापति : मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि आपका काफी समय हो चुका है। आप कृपा कर वाद-विवाद

(श्री सभापति)

को समाप्त कर दें। मै मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा।........

एक माननीय सदस्य : अगर कोई बोलना चाहे, तो नहीं बोल सकता है ? (विराम) मैं बोलना चाहता हूँ।

श्री सभापति : आप पांच मिनट और बोल लें। (थपथपाहट) ताकि आपका विचार अच्छी तरह साफ हो जाय।

श्री हीरा भाई : इस स्थिति में गरीबों की हालत बहुत बुरी बन रही है। इस हालत को दूर करने के वास्ते हमें सोचना पड़ेगा। चाहे आप इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजें, चाहे तहसील में, ग्राम पंचायत के पास भेज कर उनके विचार जानने की कोशिश करें क्योंकि उनके द्वारा आप जनता के विचार ले सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप कहेंगे कि १०, ४० हज़ार जनता के चुने हुए सदस्य आये हैं, वे इस पर विचार करके जनता की तरफ से बोल रहे हैं, अब उसमें और क्या सोचना है। मैं आपको साफ कहदूं कि इस सदन के १७० सदस्यों में से २५ सदस्यों को ही इस बिल का अनुभव है कि बिल किस तरह का है, क्यों बना ? अनुभव इतनों को ही हुआ है बाकी को नहीं हुआ है, इतने अन-जान लोग हैं। मैं यह भी कहदूं कि अंग्रेजी में यह बिल बन कर आया है, कई सदस्यों को अंग्रेजी मालूम नहीं है कि किस किस पर यह कानून लागू होगा, किस पर नहीं होगा। ऐसी हालत में कम से कम दो कॉपी, हिन्दी अंग्रेजी, की पेश करनी थी, जिससे माननीय सदस्य जानकारी कर सकते। आप उस अंग्रेजी बिल पर सारे एम० एल० एज० की राय लेना चाहते हैं, अंग्रेजी की पहाड़ जैसी दीवार उनके सामने बना कर। तो गरीबों का गला घोटने यह विधान सभा जा रही है, मैं विधान सभा का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं स्थिति पर प्रकाश डाल रहा हूं। इसलिए हमें इस बिल को देखना हैं, इस पर विचार भी करना है कि यह बिल प्रवर समिति को दिया जाय या आने वाले सेशन के लिए, १० महीने आने वाले सेशन के लिए रख दिया जाय, आज इस पर विचार नहीं किया जाय। मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि आपने जो कुछ कर लिया, वह हमें नहीं मालूम, क्या बनाया कैसे बनाया, यह हमें आज मालूम नहीं है। अगर आप ८० हजार वोट प्राप्त करके आये हैं तो हम भी इतने वोट प्राप्त करके आये हैं। कम से कम हमको यह जानना चाहिए। तुम, तुम्हारे कुछ भी बना लो, लेकिन गरीबों के लिए कोई इन्तज़ाम नहीं है। हम भी ४०, ५० हजार वोट लेकर आये हैं, हम जनता के चुने हुए एम० एल० एज० हैं.......

३.५ म० प०

(श्री सज्जनसिंह, सभापति पदासीन)

एम० एल० एज० के आगे कोई बात रखते हैं, मंत्री महोदय कोई बिल रखते हैं लेकिन एम० एल० एज० अंग्रेजी जानते नहीं हैं, वे नहीं जानते कि बिल में क्या कठिनाई है। इसलिए इस बिल को आगे बढ़ाने की कृपा करें ताकि हम पूरी जानकारी कर लें और बाद में मंजूर करें।

दूसरी बात यह है कि भूखों की हालत के बारे में हम बार बार कहते हैं। पहले इन भूखों की रोटी का इन्तज़ाम करो, फिर अगर

(श्री हीराभाई)

चोरी करें तो उसके लिए बिल लागू किया जाय, फिर इस बिल को मंजूर कर लो। एक तरफ तो उन्हें भूखों मार रहे हैं और दूसरी तरफ कहें कि भूखे मरो, लेकिन चोरी मत करो। आज यह हालत है कि लोगों को मजदूरी नहीं मिलती, १०, १५ मील दूर जाना पड़ता है, लेकिन मजदूरी नहीं मिलती है, फिर वे चोरी नहीं करें तो क्या करें ? उनके पास अनाज नहीं है खाने को, फिर भूखे मरें या क्या करें ? आपके पास कोट पतलून है, उन गरीबों के पास कपड़ा नहीं है, उनके खाने के लिए नाज की, पहनने के लिए कपड़े की व्यवस्था हमारी सरकार कम से कम करे। अगर सरकार यह व्यवस्था करे और फिर भी वे चोरी करें तो यह बुरी बात है। परन्तु अमीर आदमी चोरी करे, उनके लिए कानून लागू नहीं होता, गरीबों के लिए कानून लागू होता है। उन्हें अगर आप रोटी देनी शुरू नहीं करेंगे और पकड़ कर जेल में लायेंगे तो कितनों को आप जेल में लायेंगे ? सरकार जेल में लाते लाते थक जायेगी, लेकिन भूखे थकने वाले नहीं हैं। इसलिए उनके खाने का इन्तजाम करें, फिर बाद में बिल को पारित किया जाय, तो हमको बड़ी खुशी होगी। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस बिल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : सभापति महोदय, जो हैबीचुअल ऑफेन्डर्स बिल, संशोधन बिल, इस सदन के सामने पेश किया गया है और माननीय तनसिंहजी ने जो प्रस्ताव रखा है कि इसे पब्लिक ओपिनियन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाय, मैं उसके समर्थन में बोल रहा हूं। सभापति महोदय, आज दिन वह बिल मूल रूप से हमारे सामने नहीं है लेकिन फिर भी जो उद्देश्य और कारण में बताया गया है, उसमें साफ लिखा है कि भारत सरकार के कहने से कानून में स्वरूपता लाने के लिए हमने यह संशोधन पेश किया है। सभापति महोदय, वैसे कोई नया काम हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि इस काम से, आया हम जिस उद्देश्य को लेकर चलते हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति होती है या नहीं। जहां तक नये काम का सवाल है, हम कह सकते हैं कि इस काम का अभी पता नहीं चल सकता, इस काम को करने के बाद पता चल सकता है कि इस काम से कितना फायदा हुआ। माननीय सभापति, जो बिल आज नहीं, १९५३ में इस सदन ने, पिछले सदन ने पास किया था, माननीय मंत्री महोदय कम से कम यह बताने की कृपा करें, सभापति महोदय, क्या यह सरकार यह दावा कर सकती है कि १९५३ के बाद में, जिस समय एक बिल हमारे इस सदन के सामने पेश किया, उस बिल से हमने इतने व्यक्तियों की आदत सुधारी या इतने अपराधियों की आदत सुधारी और इतनी सफलता प्राप्त की ? मैं जहां तक सोचता हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह ऐसा बिल है कि जो ऑफेन्डर्स होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उन्हें आदतन अपराधी बनाने वाला है न कि आदतन अपराधियों को सुधारने वाला बिल है। इसके साथ ही एक और चीज है, और वह चीज हम देखते हैं कि आप मनुष्य जाति के इतिहास को पढ़ लीजिये, उसमें मिलेगा कि मनुष्य जन्म से कोई बुरा नहीं होता, मनुष्य आगे बुरा होता है, वह कुछ बड़ा होता है, उसके सामने ज्यों ज्यों कठिनाइयां आती हैं उन कठिनाइयों के द्वारा वह कई चीज़ ऐसी कर बैठता है जो कि

(श्री गिरधारीलाल)

हमारी दृष्टि में अपराध गिनी जाती हैं। सभापति महोदय, जब हम आज दिन देखते हैं तो पता चलता है कि समाज के अन्दर बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीब हैं, जिनके पास मकान नहीं हैं, जिनके पास कपड़ा नहीं है, जिनके पास बाल-बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, अपने खुद के पेट को भरने के लिए अनाज नहीं है। जब मनुष्य भूखा रहता है, तब आप सोच सकते हैं और यह सारा सदन जानता है, सदन के सब माननीय सदस्य जानते हैं कि जब मनुष्य भूखा होता है, जब वह अपने बच्चों को भूख से मरते देखता है, उस हालत में मनुष्य क्या नहीं कर सकता? मनुष्य बुरे से बुरा काम कर सकता है। लेकिन यह कोई इन्सान कहे कि मनुष्य जन्म से बुरा होता है तो यह आज दिन मानने वाली बात नहीं है। कोई समझदार आदमी नहीं मानेगा कि मनुष्य जन्म से अपराधी होता है। आज दिन हमारे सामने इतने बुद्धिमान और पढ़े लिखे आदमियों की किताबें लिखी हुई मौजूद हैं, कुछ आदमियों ने प्रयोग किये हैं और कुछ आदमियों ने, जो खतरनाक आदमी, अपराधी थे, उनको सुधार कर, हमारे सामने साबित कर दिया है कि मनुष्य जन्म से अपराधी नहीं होता है। मनुष्य कुछ परिस्थिति वश अपराध करता है, उसको सुधारा जा सकता है। ऐसी हालत में अगर इस प्रकार का बिल सदन के सामने आता है तो यह सोच कर चलना चाहिए कि मनुष्य जाति ने अपराधियों के सुधारने के लिए काफी प्रयोग किये हैं, उन प्रयोगों को करके, मनुष्य जाति ने मेहनत करके, बड़े-बड़े बुद्धिमान आदमियों ने प्रयोग करके, जो पुस्तकें लिखी हैं, उन पुस्तकों से हम फायदा न उठाकर आज के जमाने में हम पीछे की ओर चलना चाहते हैं। यह दलील कोई अच्छी दलील नहीं है। पुराने जमाने में एक आदमी को मार पीट के द्वारा और सख्त सजा के द्वारा सुधारना एक अच्छी चीज समझी जाती थी, पर आज दिन परिस्थितियों ने हमें बता दिया है कि अगर किसी मनुष्य को सुधारना चाहते हैं तो मार पीट और सख्त सजा की बजाय इन्सानियत का बर्ताव उसके साथ करना पड़ेगा। सभापति महोदय, हम देखते हैं कि ये सारे अपराध, चोरी, डाके और लड़ाई झगड़े तब तक होते रहेंगे जब तक कि हमारा समाज पूंजीवादी समाज रहेगा। अभी कहने को कहते हैं कि हमारी समाजवादी सरकार है और समाजवादी समाज व्यवस्था लाना चाहते हैं, पर है यह सही माने में पूंजीवाद सरकार। जितने भी लड़ाई-झगड़े आज तक हुए हैं उनकी पृष्ठभूमि को देखा जाय वे सब या तो जीवन के लिये हुए है या किसी औरत के लिये हुए हैं या धन के लिए हुये हैं। सब लड़ाई झगड़ों के पीछे जमीन, औरत और धन की पृष्ठभूमि अवश्य मिलेगी। डाकुओं के पिछले जीवन को देखिये, उनमें कहीं भाई भाइयों के आपस में झगड़ा हुआ हो या और किसी से हुआ हो पर उनके पीछे खास कारण औरत, जमीन या धन रहा है और इन जमीन, औरत और धन के कारण उन्होंने डाकू जीवन ग्रहण किया। हर झगड़े के पीछे कोई न कोई आर्थिक पहलू जरूर रहा है कि उस जीवन से मजबूर होकर उन्हें इस डाकू जीवन को ग्रहण करना पड़ा।

उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई गरीब आदमी अमीर आदमी की लड़की से प्रेम करता है

(श्री गिरधारीलाल)

और उस लड़की का पिता उस लड़के के साथ इसलिये अपनी लड़की की शादी नहीं करना चाहता कि वह गरीब है तो वह लड़का उस लड़की के पिता का अगर कुछ बिगाड़ देता है तो इसमें उसका कसूर नहीं है, कसूर उस पिता का है। एक आदमी अपनी बहिन की शादी करना चाहता है और उससे लड़के का पिता दहेज़ मांगता है और अगर वह उसको मार देता है तो इसमें उसका कसूर नहीं। आज कई बी. ए., एम. ए. पास लड़के मारे मारे नौकरी के लिये फिरते हैं, रिक्शे चलाते हैं ऐसी सूरत में एक बी. ए. पास लड़का नौकरी के लिये मारा मारा फिरता है और सरकार उसकी नौकरी के लिये कोई प्रबन्ध नहीं करती ऐसी सूरत में अगर वह खुद–कशी कर लेता है या किसी दूसरे को मार देता है, चोट पहुँचा देता है तो यह कसूर उसका नहीं, इस तरह के कई उदाहरण दिये जा सकते हैं। इसी तरह इस तरह का कानून लाकर एक आदमी को हैबिच्युअल ऑफेन्डर करार देना उस व्यक्ति को हमेशा के लिये अपराधी बना देना है, आज हम देखते हैं कि एक आधा पागल आदमी सड़क पर घूमता है, उसके पीछे लड़के "पागल है", "पागल है" इस तरह चिल्लाते हुए जाते हैं उसे मारते हैं, पीटते हैं, उसको गाली देते हैं तो ऐसी हालत में अगर वह १५ दिन सड़क पर इस तरह घूमेगा तो वह जरूर पूरा पागल हो जायेगा। एक बिल्कुल स्वस्थ आदमी है, उसके पीछे ५० आदमी हो जायं और उसको पागल पागल कहें तो वह जरूर पागल हो जायगा। इसी तरह एक व्यक्ति ने परिस्थितियों से मजबूर होकर १०० रुपये की चोरी की और वह एक साल जेल काट कर आता है, न तो सरकार उसे पनाह देती है और न समाज ही उसे पनाह देता है ऐसी सूरत में वह व्यक्ति मजबूर होकर दुबारा चोरी करना शुरू कर देता है तो ऐसी सूरत में आदतन अपराधियों के लिये रजिस्ट्रेशन का कानून रखा है यह इतना खराब और घातक है कि इससे एक आदमी के मोहर लग जायगी कि एक अपराधी है और इस तरह वह हमेशा के लिये अपराधी बन जायगा।

माननीय सभापति महोदय, ट्रेजरी बैंच पर कोई नहीं है..........।

श्री सभापति : वे अभी आ रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल : तो उस व्यक्ति ने जिस आदमी का कसूर किया है उस कुसूर के लिये वह जिम्मेदार नहीं है। उसका कुसूर नहीं है, वह हमारा कुसूर है हमारी सरकार का कुसूर है, हमारा आर्थिक ढांचा, हमारे समाज का पहलू ऐसा बना हुआ है, हमारा समाज ऐसे ढंग से बना हुआ है कि जो गरीब है, जिसके पास अपने जीवन निर्वाह के साधन नहीं हैं उसे मजबूर होकर अपराध करना पड़ता है। जो आदमी हिम्मत-वाला है, जिसे मर्द कहना चाहिये वह तो इन मजबूरियों पर काबू पा जाता है, वह तो बच निकलता है पर जो कमजोर आदमी होता है वह इन परिस्थितियों से मजबूर होकर अपराध कर बैठता है।

____आज के जमाने में इस तरह का बिल लाना और बिल्ला एक आदमी के सिर पर लगा कर छोड़ देना कि यह चोर है, चोर है, यह कोई अच्छी चीज नहीं है। मैं कहता हूँ कुछ समय के लिये ही क्या सारे जीवन भर इस तरह का तुकमा उस व्यक्ति पर लगाये रखिये, इससे उसका कोई सुधार नहीं होने

Page No.76

(श्री गिरधारीलाल)

वाला है, वह जीवन भर अपराधी ही रहेगा। क्योंकि वह सोचेगा कि मेरे भाई बन्धु मुझे चोर कहते हैं, मेरे परिवार वाले मुझे चोर कहते हैं, मेरे समाज और जाति वाले मुझे चोर कहते हैं तो फिर मैं क्यों साहूकार बनूं, क्यों भला आदमी बनूं ?

ऐसी हालत में हमें इस बिल पर दुबारा विचारा करना चाहिये या इसे पब्लिक ओपिनियन के लिये भेज देना चाहिये। मैं तो कहता हूं इस तरह के बिल की आवश्यकता ही नहीं है; जिस दिन रोटी, रोजी, मकान और कपड़े की समस्या का हल हो जायगा उसी दिन इस प्रकार के अपराध होने बन्द हो जायेंगे। मैं तो यह मानता हूँ कि जन्म से कोई आदमी बुरा नहीं होता, मन्त्री महोदय मानते हों भले ही कि कोई आदमी जन्म से ही बुरा होता है। ऐसी सूरत में मैं यह निवेदन करूंगा कि इस तरह का बिल पास न किया जाय। करना है तो पहले इसे पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्क्युलेट किया जाना चाहिये। सभापति महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(कई माननीय सदस्यों को एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री सोहनलाल भटनागर

श्री सोहनलाल भटनागर : (सलूम्बर) I move that motion be put now.

श्री सभापति : Since a closure has been moved, I request Hon. Members not to continue debate any further. I accept this closure and I request the Hon. Minister to reply to the debate.

श्री गिरधारी लाल : On a point of order. Sir, कुछ माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, उन्हें बोलने दिया जाय।

श्री सभापति : Order ! Order !! मैं माननीय सदस्य का ध्यान रूल नं० २३० की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जिसके अनुसार कोई भी माननीय सदस्य क्लोजर मूव करते हैं तो फिर बाद में वाद विवाद जारी नहीं रखा जा सकता। इस रूल के मातहत मैंने क्लोज़र मोशन को स्वीकार करके मन्त्री महोदय को उत्तर देने के लिये कहा है।

श्री गिरधारीलाल : क्लोज़र किसने मूव किया ?

श्री सभापति : On the amendment that is moved by Hon. Shri Tan Singh, a closure has been moved and now in view of that closure, I have requested the Hon. Minister to reply to the debate.

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : माननीय चेअरमैन महोदय, अभी जब वाद-विवाद इस बिल पर चला तो उसमें मुख्यतः दो बातें सामने आई, प्रस्ताव के रूप में। एक तो यह कि यह बिल पब्लिक ओपीनियन के लिए, जनता की राय के लिए प्रकाशित कर दिया जाय, दूसरी यह कि इसको सिलेक्ट कमेटी यानि प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। इसकी दलीलों में बहुत सारी बातें

(श्री रामकिशोर व्यास)

कही। ज्यादातर बातों का सारांश अगर मैं कहूं तो यह कहा जा सकता है कि अपराध क्यों होते हैं, किन परिस्थितियों में किन कारणों से होते हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन नहीं, इन बातों का आग्रह किया गया है। जो कहा गया है उनमें से बहुत सी बातों से मैं सहमत हो सकता हूं पर क्या आप यह आशा करते हैं कि मैं इन बातों को मान लूं कि आदमी जो अपराध करते हैं वे समाज की असम व्यवस्था के कारण करते हैं, उनका उचित सम्मान नहीं होता इस कारण करते हैं, पर क्या यह आप समझे हुए हैं कि उस हालत में कानून नहीं बनना चाहिये ! समाज की अव्यवस्था की वजह से क्या आप समझते हैं कि पैनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीज़र कोड नहीं रहने चाहियें, और कानून बने हुए हैं वे नहीं रहने चाहिये। आप चाहते हैं और मैं भी चाहता हूं कि एक वह स्टेज आये कि बिल्कुल अपराध मिट जायें और सभी कानून मिट जायें और खुशी होगी मुझे कि वह मुबारिक दिन आये। पर आज की हालत में कानून रखना पड़ता है और कानून रखना जरूरी है। कोई धार्मिक व्यक्ति यह कर सकता है कि कोई आदमी चोरी करे उसे इनाम दे दे पर सामूहिक रूप में, राज्य चलाने की स्टेज में यह नहीं कर सकते कि कोई चोरी करे और उसे हम इनाम दे दें। आज की जो समाज व्यवस्था है उसमें कानून कायदे रखने पड़ेंगे। जब वह स्टेज आ जायगी कि हर व्यक्ति में कर्तव्य पालन की भावना आ जायगी तो फिर इन सब कानूनों को हटा दें, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं। पर आज क्या आप यह कल्पना करते हैं कि किसी भी कारण से अपराध होते हैं तो उनके लिये कानून की जरूरत नहीं ? अगर अपराध होते हैं तो हमको कानून की जरूरत रहती है। अगर अपराध होते हुए भी आप ही सोचिये कि कानून की जरूरत रहती है या नहीं। अगर आप लोगों का यह व्यू हो कि अपराध होते हुये भी कानून न हो तो यह एक अलग बात है। मगर इसके लिए हमको ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये, लोगों के ख्यालात बदलने चाहिये ताकि वे जुर्म कम करें। आप लोग कहते हैं कि वे लोग गरीब हैं, समाज में उनका अनादर होता है, आदि सभी बातें होती हैं मगर यह सब कुछ होते हुए भी हमें कानून की जरूरत होती है। आप जब तक समाज की ऐसी व्यवस्था न कर दें कि अपराध न हो तो ठीक है मगर जब अपराध होते हैं तो उसके लिए कानून बनने ही चाहिए। हमको समाज में उन लोगों को ठीक करना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिये लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी कानून रखना जरूरी है। इसलिए यह दलील जो दी गई है वह उचित नहीं है और दूसरी बात मैं यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल कोई नया बिल नहीं है। जो बहस हुई है उससे ऐसा मालूम होता है कि हैबिचुअल ऑफेन्डर्स बिल कोई नया बिल बनाया जा रहा है। मगर मैं यह कहूंगा कि वह तो आपके यहां पहले से ही अमल में आ रहा है और इसके लिए कानून बना हुआ है। ऐसा लगता है कि जो १६५२ की बहस है उसको दुबारा यहां पर दुहराया जा रहा है। मैं समझता हूं कि कानून भी आज यहां पर मौजूद है। उसी कानून में संशोधन आया है। अगर आपकी यह मर्जी हो कि इसको इस सदन में लाया नहीं जाना चाहिए और यह संशोधन नहीं होना चाहिए तो मैं इसको वापिस लेने को तैयार हूं यदि यह संशोधन इस कानून के पीछे ले जाने वाला हो तो मुझे कोई एतराज नहीं।

(श्री रामकिशोर व्यास)

अगर यह सारा सदन इस राय का हो कि इसको वापिस ले लिया जाय तो मैं वापिस लेने के लिए भी तैयार हूं। मगर मैं यह आपसे निवेदन करूंगा कि यह चीज जो इसमें रखी गई है वह आपको किसी भी हालत में पीछे ले जाने वाली नहीं है। हमने ६ महीनों की सज़ा और २०० रुपयों के जुर्माने को कम किया है और इसके अलावा वह व्यक्ति उम्र भर ऑफेन्डर ही बना रहता उसको भी कुछ राहत दी है। इसके अलावा इस सम्बन्ध में कोर्ट को अधिकार दिये हैं। इसलिये जो सुधार लाये गये हैं उनकी तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया, ऐसा मालूम होता है। क्या क्या बातें हैं जिनसे उनको काफी राहत पहुंचाई गई है उसकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया है। इसके लिए या त आपका इसका पूरा अध्ययन नहीं है या और कोई कारण है। मगर मैं आपसे यह निवेदन करूं कि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यह सब के हित में है और खासकर हैबिचुअल ओफेन्डर के हित में है। इसके अलावा हैबिचुअल ऑफेन्डर के बजाय इस बिल में रजिस्टर्ड ऑफेन्डर रखा गया है। यह सोसाइटी के ध्यान में आया है। मैं समझता हूं कि यह आपकी भावना नहीं होगी कि कोई सुधार नहीं किया जावे। अगर आप यह सोचलें कि पहले का बिल है वहीं रहे तो इसको कन्सीडर करने के बाद इसको वापिस लेने को तैयार हूं। मगर इसके वापिस लेने से आपका पहले का ५३ का जो बिल है वह तो ज्यों का त्यों रहता है। इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वह हट नहीं जाता है। इसलिए आपको उसको हटाने के लिए अलग रास्ता अख्तियार करना होगा, इस बिल के हटने से वह हटेगा नहीं। अगर माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि कुछ सुधार किया जाय तो इसमें संशोधन उपयोगी आते हैं। मगर इसका जो विरोध किया जाता है वह क्यों, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो यह समझता था कि इस संशोधन का जो गवर्नमेंट की तरफ से लाया जा रहा है सभी वेलकम करेंगे।

मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने या पब्लिक ओपीनियन में भेजने की कोई जरूरत नहीं है। यह राय जान चुके हैं। वह तो आपके यहां लॉ बना है। यह जो संशोधन किया गया है वह यह है कि छः महीने की सजा और सौ रुपये जुर्माने को कम किया गया है। यह बेटरमेन्ट के लिए है। इसके अलावा जो व्यक्ति उम्र भर हैबिचुअल ऑफेन्डर रहता था उसके बजाय हमने पांच वर्ष का ही समय रखा है। सेटलमेन्ट के बारे में और कोर्ट को जो पॉवर्स दिये गये हैं उनके बारे में आपने कहा कि उसका दुरूपयोग हो सकता है। मैं कहूंगा कि इस वक्त आप इसका वहम न करें। आप ऐतबार रखें। उनके लिए आप किसी बात की चिन्ता न करें। सेटलमेन्ट के लिए पूरा ध्यान रखेंगे। शिक्षा के लिए प्राइवेट इन्स्टिट्यूट ऐसे हैं जो शिक्षा देते हों उनको भी रिकोग्नाइज किया जायगा और उनके बारे में गवर्नमेन्ट रूल बनावेगी और आपके सामने रखे जावेंगे। अगर आप चाहें तो उनको बदल सकते हैं। बम्बई में ऐसी स्कूलें हैं। आप इसमें डिसबिलीव न करें। रूल्स आपके सामने आने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि इसके सम्बन्ध में सदन पहले फैसला दे चुका है और इसको दुबारा पब्लिक ओपीनियन के

Page No.79

(श्री रामकिशोर व्यास)

लिए या प्रवर समिति के सामने भेजने की आवश्यकता नहीं है। यह तो समाज के हित में है और जहां कहीं पर्टिकुलर क्लॉज़ में आप डिफर करते हैं तो उस पर सोच सकते हैं। आप बेसिक बात मानलें। ज्यादातर बातें इस सम्बन्ध की हैं। मैं आपकी सारी बातें मानते हुए भी यह कहना चाहता हूं कि जहां ऑफेन्स होते हैं वहां कानून रखना पड़ता है।

मैं एक बात आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप इतमिनान रखें। यह उन लोगों के बारे में है जो खास खास जुर्मों में सजा पाते हैं। यह लिस्ट में है। क्या आप यह चाहते हैं कि कोई व्यक्ति तीन दफा सजा पा जाए और फिर भी इस प्रकार के जुर्म करता रहे और उस पर कोई निगरानी नहीं रखी जावे। मैं समझता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है यदि कोई चोरी करता तो उस पर कोई निगरानी नहीं रखी जाए। आप कहते हैं कि चोरियां होती हैं, चोरी बरामद नहीं होती, आप ही कहते हैं कि क्यों नहीं होती, क्या वजह है आप बदमाशों को बुलाते क्यों नहीं! मैं यह कहूंगा कि जब आपके पास कोई रेकार्ड नहीं है तो फिर आप किसको बुला सकते हैं! इसलिए कानून की जरूरत तो है। इसके अलावा आप एक बात और इसमें देखेंगे कि इसमें पुलिस को कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ही अधिकार दिये गये हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसको सुनेगा। उसके बाद उनको अपील के राइट्स भी दिये हैं। मैं समझता हूं इसको सिलेक्ट कमेटी में जाने की कोई जरूरत नहीं है न पब्लिक ओपीनियन के लिए भेजने की जरूरत है।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, जो दलीलें दी गई हैं, वैसे तो इस बिल के खिलाफ शायद ही कोई बोला है और बोला है तो शायद मेरे दाईं ओर बैठने वाले। उन्होंने जो बातें बताई हैं, मैं उनका जवाब दूं। उन्होंने दो बातें बताई हैं। एक तो यह कि यह बिल पहले से है और जो पब्लिक को पहले से कष्ट हो रहा था उसको कम करने के लिये है। हमने कभी यह नहीं कहा है कि जो एमेन्डमेंट आया है वह पहले वाले बिल से ज्यादा एरोक्रेटिक है। लेकिन हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपने सुधार किया है उससे हम इन्कार नहीं करते हुए भी यह कहना चाहते हैं कि ज्यादा तर प्रगति की दिशा में बढ़ने के लिये जो कदम उठाये जा रहे हैं वे धीमे हैं और उसके बारे में ही यह सारी आलोचना थी। हम मान सकते हैं कि एक बार कछुए और खरगोश की दौड़ हुई। कछुऐ ने कुछ दौड़ लगाई लेकिन यदि उसकी जगह जूं जैसी चीज हो वह वर्षों में जा कर पहुंचे उससे कैसे अन्दाजा लगाया जा सकता है? हम चाहते हैं कि जो पहले का बिल है उसको हटाया जाय। इस बिल के द्वारा तो वह हटाया नहीं जा सकता है लेकिन हमको यह अवसर प्राप्त हुआ कि जिससे हम सरकार का इस ओर ध्यान आकृष्ट कर सकें। आज की परिस्थिति में और समय में उस कानून को हटा देना चाहिए और शीघ्रातिशीघ्र रिपीलिंग बिल लाना चाहिए। इसी सदन के प्रांगण में माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा और तत्कालीन होम मिनिस्टर द्वारा यह आश्वासन दिया गया था इस बिल को हम केवल पांच साल के लिए ही रखेंगे। मैं होम मिनिस्टर साहब की इस बात से इत्फाक करते हुए कि क्राइम की स्थिति में सुधार हुआ है, कहूंगा कि अब इस कानून

(श्री तनसिंह)

की ही आवश्यकता नहीं रही है। मेरी बांई ओर बैठे हुए माननीय मित्र ने बताया कि इसमें क्या पशोपेश की बात थी, पहले पीले पास थे और अब पांच वर्ष के लिए रहेगा। मैं निवेदन करूंगा कि मनुष्य समाज में नया जीवन, नयी प्रेरणा और नया भविष्य आ रहा है उसमें इस नाम का पास रहे ही क्यों? अभी गृह मंत्री महोदय ने फरमाया कि क्या कोई अपराध करे तो सजा नहीं देनी चाहिए। मैं मानता हूं कि सजा देनी चाहिये लेकिन इस प्रकार के कानून की आवश्यकता नहीं है। अपराध मानव जीवन के साथ लगे हुए हैं और उसके लिए कानून की आवश्यकता भी होती है लेकिन मैं आपको बताऊं की कानून दो तरह के होते हैं। एक साधारण कानून और दूसरा पीनल साधारण कानून में साधारण सज़ा होती है जुर्माना आदि और पीनल कानून में जेल की सजा। पैनल कोड है उसमें दफा ७५ है उसमें विशेष बात दी हुई है। पहली बार सजा हो गई। दूसरी बार होती है उसमें एन्हान्स के लिए काफी प्रोविज़न है। लेकिन हमारे यहां की स्थिति में अबनोर्मेलिटी है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आज की परिस्थितियों में नये समाज का निर्माण करना है, नये जीवन का निर्माण करना है, उसमें आगे बढ़ कर परिस्थितियों कोइस प्रकार से बनाना है कि जिससे स्थिति उदार बन सके और उसमें सुधार हो सके।

अभी माननीय मंत्री महोदय ने जो बात बतायी है वह मैं मानता हूं कि सन् ५२ के एक्ट की दलील वापिस यहां लायी गई है। लेकिन अभी बताया गया और हम खुद ही कहते हैं कि यह कानून का उसका बच्चा ही है, दरअसल इसका पिता तो वही है और हमारा सारा आक्रमण ही उस पर आधारित है।

श्री रामकिशोर व्यास : इसका इलाज दूसरा है।

श्री तनसिंह : हमारे पास इलाज नहीं है। हमारे पास यदि इलाज है तो केवल इतना ही है कि प्राइवेट मेम्बर्स डेज़ में बिल लावें लेकिन जैसा देखा गया है और अनुभव है कि पांच वर्ष में भी कुलांच खाते खाते समय समाप्त हो जाता है और बिल पास ही नहीं होसकता। हमको पिछला इतिहास मालूम है। दो प्राइवेट मेम्बर्स बिल आये, लेकिन पास ही नहीं हुए। गवर्नमेंट के पास मशीनरी है वो ला सकती है और इसीलिए उस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए यह प्रस्ताव रखा गया है।

श्री रामकिशोर व्यास : ध्यान आकर्षित करने की बात है तो ठीक है।

श्री तनसिंह : ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं उसको मंत्री महोदय भी मानते हैं। अब यह स्थिति यदि इस प्रकार की हो गई है तो इस बिल को पास कर लें। लेकिन मंत्री महोदय इस सदन में यह आश्वासन अवश्य दे दें कि दो तीन साल में इस कानून को हम रिपील करेंगे। मुख्य मंत्री महोदय ने इस सदन के प्रांगण में आश्वासन दिया था, प्रोसिडिंग्स से बताया मैंने आपको। उन्होंने आश्वासन दिया था कि यदि स्थिति सुधर जाय तो उसको पांच साल तो क्या दो साल भी नहीं चलने दिया जावेगा। माननीय मंत्री महोदय इतना तो अवश्य ही कह सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर महोदय ने आखिर आश्वासन दिया तो पीछे उसकी क्या कीमत रही?

श्री रामकिशोर व्यास : वही काफी है। एक ही बहुत है।

श्री तनसिंह : इस प्रकार आश्वासन दिया जाय और फिर उसकी कीमत न रहे तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। दूसरा मंत्री महोदय ने फरमाया कि करेक्टिव सेटलमेन्ट होने चाहिए। मैं मानता हूं। उन्होंने फरमाया कि बहम नहीं होना चाहिए और बहम करने की भी जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि यदि बहम होता भी है गवर्नमेन्ट संस्था के प्रति तो हम एडजोर्नमेन्ट मोशन के जरिये, हाफ आवर डिस्कशन के जरिये और दूसरे तरीकों से गवर्नमेन्ट के किये हुए कार्यों की सदन में आलोचना कर सकते हैं लेकिन जब प्राइवेट संस्थायें होंगी तो गवर्नमेन्ट उस समय कहेगी कि हम तो उनको ग्रान्ट इन एड देते हैं और इस दृष्टि से उनके एक्शन्स के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं होगा। यह बहम है। इस विधेयक के अनुसार जो प्राइवेट संस्थायें करेक्टिव सेटलमेन्ट का काम करेंगी, जिनको मान्यता देने का सवाल है, उनके प्रति बहम है। इसके अतिरिक्त यह बताया कि हम हमदर्दी रखें भले ही लेकिन क्या बुरा है यदि कोई तीन चार बार अपराध करता है तो उसके प्रति निगरानी नहीं रखी जाय ? मैं खुद भी मानता हूं कि रखी जाय। लेकिन यह निगरानी रखने की बात नहीं है लेकिन इस कानून में कई बार हाजरी देने की व्यवस्था है, स्टेट गवर्नमेन्ट उनके मूवमेन्टस को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। अब जो नये क्लॉज़ हैं, नये सिरे से लिखे गये हैं जिनमें कुछ सुधार हुआ है लेकिन तथ्य में वही बात रहती है। हमारी उनके प्रति सहानुभूति नहीं है। जो अपराध करता है उसको सजा न मिले, लेकिन मानवता के नाते मानवीय कृत्यों के अनुसार तो भावना होनी चाहिए। अपराधी और निरपराधी का पता होना चाहिए और न्याय की दृष्टि से मानवता के नाते समान रूप से देखना चाहिए। किसी ने अपराध किया है, जघन्य अपराध किया है लेकिन न्याय की दृष्टि से विचार इतने संतुलित होने चाहिए, हमारा दृष्टिकोण संतुलित होना चाहिए जिससे अपराधी के प्रति दंड देने के अतिरिक्त और कोई अतिरिक्त दंड न दे दें। कानून के अनुसार, न्याय दृष्टि से जो सज़ा मिलनी चाहिए, वह मिलनी चाहिये। मैं खुद मानता हूं इस कानून को इस स्थिति में फायदा है और पहले वाले कानून को अमेन्ड करके पास करने जा रहे हैं। लेकिन अमेन्डमेन्ट इसलिए रखा है कि अब समय आ गया है कि इसमें रद्दोबदल करें। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह एक्सपेक्ट करता था कि वे जवाब देंगे। मैं निवेदन करूंगा कि इसका इम्पलीमेन्टेशन में समान्य नागरिक की तरह ही इन पर भी यह लागू हो यह देखा जाय कि वास्तव में कौन अपराधी हैं ? ये भी समाज के तत्व हैं और उनको भी इस परिधि में देखा जाना चाहिए, इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस लेना चाहता हूं।

श्री सभापति : डॉ० चन्द्रकला।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैंने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने का प्रस्ताव रखा था और अभी माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया उससे मुझे और यह जरूरत मालूम पड़ी कि निश्चय ही इसके ऊपर और थोड़ा विचार करके ही इसे आगे लाना चाहिए था, क्योंकि आपने बताया कि जो अपराधी पांच साल में तीन चार बार रजिस्टर हो चुका है उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने का यह कानून है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने यह नही कहा कि रजिस्टर हो चुके, मैंने कहा था सजा पायेगा।

डॉ० चन्द्रकला : सजा पायेगा । मैं कानून की निन्दा नहीं करती हूं । न मैं यह कहना चाहती हूं कि अपराधी को प्रोत्साहन देना चाहिए लेकिन जब कानून बनाते हैं तो सब ही के लिए बनाते हैं और कानून व्यवस्था और शान्ति के लिए होता है । अपने यहां जो व्यवस्था है, स्थिति है, रजिस्टर तो कम लोग होंगे, सजा कम लोगों को मिलेगी लेकिन बहुत सारे ऐसे अपराधी होंगे जो अभ्यस्त सूची में नहीं होंगे और वे कानून के घेरे में नहीं आवेंगे, बच जावेंगे और समाज को आतंकित करते रहेंगे। एक के लिए कानून बना दिया और उस अपराधी को पकड़ भी लिया, एक साल रजिस्टर्ड हो जावेगा, सजा हो जावेगी लेकिन यह भी देखना है कि समाज में अपराधी क्यों होते हैं, उन अपराधों को जड़ से निकालना है। जिनको पकड़ लिया उनके लिए पूरी की पूरी सजा की तैयारी कर ली लेकिन जिनको नहीं पकड़ पाते उनके लिए अभ्यस्त से अभ्यस्त अपराधी के लिए कानून कुछ नहीं कर पाता । कानून का उद्देश्य है समाज में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखना। यह कानून अभ्यस्त अपराधी के लिए है, न केवल वे अपराधी जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, बल्कि सचमुच जो समाज के प्रति अपराध करने वाले हैं, उन सब को अच्छी तरह से देख रेख में रख सकें और नहीं रख सकते हैं तो उनको दंड देकर नियंत्रित कर सकें, यही इसका उद्देश्य था। तो मैंने इस उद्देश्य से अपना प्रस्ताव रखा था कि अभी जो प्रावधान है उसमें केवल यह है कि जो अपराधी तीन बार दंडित हो चुका है उसके लिए वह लागू होगा। मैं तो यह कहना चाहती हूं उन अपराधियों के लिये भी कुछ न कुछ होना चाहिये जिनको हम पकड़ नहीं पाते हैं जो समाज के लिये उतने ही भयंकर हैं जितने कि ये होते हैं इस बारे में सोच विचार करें। यह मैं मानती हूं कि यह पूर्व कानून का संशोधन है लेकिन फिर भी अगर हम इस प्रकार का संशोधन जिसमें ऐसे अपराधी भी आजायं जिनका मैंने जिक्र किया है तो ठीक रहेगा। जैसा कि मंत्री महोदय ने फरमाया है कि अभी तो इसको लागू कर लें फिर इसके जो फलितार्थ आयेंगे उनके अनुसार संशोधन ला सकते हैं, उसके अनुसार प्राइवेट मेम्बर्स बिल भी आ सकता है इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम इसको लागू करके देखें। मैं ने सिर्फ इन्हीं बातों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये प्रवर समिति का प्रस्ताव रखा था अब मैं सदन से वापिस लेने की आज्ञा चाहती हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री तनसिंह जी और डॉ० चन्द्रकला ने रखे हैं उनको वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई :

श्री तनसिंह : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूँ !

डॉ० चन्द्रकला : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेती हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान हैबिचुअल ऑफेन्डर्स (संशोधन) विधेयक, १६५८ को विचारार्थ लिया जाय ।

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

बिल विचारार्थ लिया जाता है ।

क्लॉज़ २.

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : सभापति महोदय, क्लॉज़ दो में एक संशोधन है वह छपाई की गलती की वजह से है इसमें "Insert 'the' before 'age' occuring in line 6 in newly proposed clause (a)."

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ दो के अन्दर जो संशोधन मिनिस्टर इनचार्ज ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ को, संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २, संशोधनानुसार, विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ ३.

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मेरा इस क्लॉज़ में संशोधन है वह इस प्रकार है :

"Delete part (i)"

मैं समझता हूँ, इसको मूव करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री सभापति : You don't want to move the amendment ?

श्री तनसिंह : जी हां ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान हैबीचुअल ऑफेन्डर्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ का क्लॉज़ ३ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ ४.

श्री तनसिंह : सभापति महोदय, मैंने इसको डिलीट करने का सोचा था क्लॉज़ ४ में: "To allow his finger and palm impressions; footprints, and photograph to be taken..."

इससे ऐसा महसूस होता है कि सरकार चाहती है कि कभी बाद में इम्प्रेशन लेने की जरूरत पड़े तो लिया जा सकता है । मेरे ख्याल से हर कन्वीक्शन के बाद में प्रीन्टस वगैरह लिये जाते हैं दो जगह लेने की जरूरत नहीं, यह संशोधन कोई मेटीरियल है नहीं ।

श्री सभापति : You dont wan't to move it.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ को बिल का अंग रूप स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४, विधेयक का अंग बना ।

Page No.84

(श्री सभापति)

क्लॉज़ ५

श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री तनसिंह (बाड़मेर): सभापति महोदय, मैंने इस क्लॉज पांच की जगह नया सब क्लॉज प्रोपोज़ किया। था पहले वाले क्लॉज़ पांच के सब क्लॉज़ २ की जगह प्रपोज़ किया था, पहले वाले क्लॉज़ में है: 'District magistrate may by order in writing direct that any registered offender shall report himself and so on'...

इसमें रीज़न्स का ज़िक्र नहीं जैसा मैंने निवेदन किया:

'The district magistrate'may for sufficient reasons specified in the order direct that any registered offender shall (a) report himself once each month and (b) Notify any absence or intended absence from his ordinary residence to the aforesaid authority'

बाद में इसमें लिखा हुआ है।

'Provided that the District Magistrate may exempt any such offender from notifying any absence or intended absence from his ordinary residence without any condition or under such conditions as to him may appear reasonable.'

मैंने इस प्रोविज़ो द्वारा यह अमेन्डमेन्ट किया है कि अगर एक महिने को एक दफा किसी को हाज़िरी देनी पड़ती है तो उसके लिए दिया हुआ है, 'Provided that the District Magistrate may exempt any such offender from notifying any absence or intended absence from his ordinry residence without any condition or under such conditons as to him may appear reasonable.'

तो यह विदाउट कन्डीशन देने की जरूरत नहीं, थोड़े समय के लिए दे सकता है ज्यादा समय के लिए दे सकता है। रीज़न्स को स्पेसिफाई करना जरूरी है उसमें मैंने भी लिखा है, सफिशियेन्ट रीजन्स लिखा है। रीजन्स सफिशियेन्ट होने चाहिये। सफिशियेन्ट रीज़न्स है या नहीं, किसी कोर्ट में जाकर चाराजोई की जा सकती है, इसीलिये मैंने संशोधन प्रस्ताव रखा है।

श्री रामकिशोर व्यास (गृहमन्त्री): सभापति महोदय, माननीय सदस्य की ओर से दो संशोधन हैं, पहले वाले की स्थिति यह है कि एक महीने में एक दफा बुलाया जाता है तो उसमें रीज़न्स लिखने की आवश्यकता नहीं है और ज्यादा बार बुलाना हो तो उसमें रीज़न्स लिखने चाहिये कि क्यों बुलाना चाहते हैं।

माननीय सदस्य ने जो तरमीम दी है उसका नतीजा यह निकलेगा कि एक महीने में एक दफा बुलाया जाय तो भी सफीशियेन्ट रीज़न्स देने पड़ेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि महीने में एक दफा बुलाया जाय तो रीज़न्स देने की आवश्यकता नहीं और अगर ज्यादा बार बुलाते हैं तो सफीशियेन्ट रीज़न्स देने चाहिये, as it is accepted किया जाय तो जो ओरीजनल Bill में The District Magistrate may, by order in writing... है वही ठीक रहेगा।

(श्री रामकिशोर व्यास)

आपका अमेन्डमेन्ट स्वीकार किया जायगा तो ओरल हो सकता है और ओरल में कई बातें हो सकती हैं। 'The District Magistrate may for sufficient reasons specified in the order direct...'

वह ऑर्डर लिखित में नहीं है। जो पहले ओरिजिनल बिल में है उसमें भी और नुक्स रहेंगे। इसलिए मैं चाहता था कि एक महीने में एक दिन बुलाने का ऑर्डर राइटिंग में और एक महीने में ज्यादा बुलाना हो तो रीज़न दो कि क्यों बुलाना चाहते हो।

और दूसरा जो है इसका प्रोविज़ो वाला जिसमें आपका अमेन्डमेन्ट है।

इसमें मैं व्यक्तिगत रूप से तो यह समझता हूँ कि आपने जो बात कही है वह इसमें है "...any absence or intended absence from his ordinary residence for such period and under such conditions as to him may appear reasonable."

यह उतने वक्त के लिए जो वह वाजिब समझे उस पीरियड का इसमें शामिल है। पर सदन अगर यह समझता है कि इसमें शामिल नहीं है तो बढ़ा दीजिए। पर्सनली मेरी राय तो यह थी कि इसमें वह इन्क्लूडेड है। रिसेप्सेन्ट इसमें आप कहेंगे तो कर देंगे।

श्री सभापति : Are you satisfied with tne explanation given by the Hon'ble Minister ?

श्री तनसिंह : पर आप करेंगे क्या ? किस तरह से बिठावेंगे। राइटिंग का कर लीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : क्लॉज़ 'ए' यों हो जावेगा।

'(a) report himself once in each month or, where the District Magistrate for sufficient reasons specified in the Order so directs...'

आप देख लीजिये। रीज़न्स के पहले 'सफीशियेन्ट' शब्द एड कर देंगे, That will make it allright.

तो क्लॉज़ २ में 'ए' जो पार्ट है इसमें "डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फोर" के आगे और "रीज़न्स" के पहले 'सफीशियेन्ट' वर्ड एड कर दिया जावे।

श्री सभापति (श्रीसज्जनसिंह) You accept this amendment ?

श्री रामकिशोर व्यास : Yes.

श्री तनसिंह : अमेन्डमेन्ट तो ओरली हो गया। बाकी का मैं विद्ड्रॉ करता हूँ।

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह): Can we defer this clause for final drafting ? The hon'ble. Minister has agreed to accept the amendment.

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो हो गया। खाली एक वर्ड जोड़ना है।

श्री सभापति : Now clause No. 5 is over.

श्री तनसिंह : बाकी के अमेन्डमेन्ट को विद्ड्रॉ करने की इजाज़त मांगता हूँ।

श्री सभापति : कौन सा बाकी है ? प्रोविज़ो ? Proviso to (2) (b) that is withdrawn ?

प्रश्न यह है कि जो अमेन्डमेन्ट श्री तनसिंह जी ने पेश किया है उसमें से क्लॉज़ (बी) के प्रोविज़न को वापिस लेने की अनुमति दी जावे ।

अनुमति दी गई ।

श्री तनसिंह : मैं अपना उक्त संशोधन वापिस लेता हूँ ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ नम्बर ५ के अन्दर सब क्लॉज़ (२) में शब्द 'सफिशियेन्ट' जोड़ने का है, जैसा कि मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है, उसको स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५ संशोधित रूप में, स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५, संशोधनानुसार, विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

श्री रामकिशोर व्यास : क्लॉज़ में एक छोटा सा संशोधन.......

श्री सभापति : What is that ?

श्री रामकिशोर व्यास : क्लॉज़ ६ में अमेन्डमेन्ट है ।

इसमें कुछ प्रिंटिंग की मिस्टेक है :

1. Substitute "where" for "whether" in sub-section (1) of newly proposed section 5 (A).

2. Substitute "5B" for "5C" in sub-section (1) of newly proposed section 5C. "

इसको ठीक कर दें ।

श्री सभापति : क्लॉज़ नम्बर ६ में जो मन्त्री महोदय ने संशोधन पेश किया है वह स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

श्री रामकिशोर व्यास : इस में ५ बी का जो (३) है उसमें श्री पी. के. चौधरी का एक अमेन्डमेन्ट है, क्लॉज़ ६ के अन्दर ही है ।

श्री सभापति : श्री पी. के. चौधरी ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि धारा क्लॉज़ ६, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६, संशोधनानुसार, विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

(श्री सभापति)

क्लॉज़ नम्बर ७, श्री पी. के. चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें एक अमेन्डमेन्ट श्री तनसिंहजी का भी है।

श्री सभापति : जी हां।

श्री तनसिंह : मेरा इसमें एक संशोधन है कि यह जो......

श्री सभापति : Order please! I have to request the hon'ble. Minister to move his amendment.

श्री रामकिशोर व्यास : मेरा संशोधन यह है "Substitute 'offences' 'for offence' in clause (a) of sub-section (b) of newly proposed section 49"

यह संशोधन ग्रामेटिकल करेक्शन का है, इसे स्वीकार किया जाए।

श्री सभापति : श्री तनसिंह।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : (डी) के बाद में सेक्शन६ के सब सैक्शन (२) के अन्दर एक नया पार्ट (ई) जोड़ा जावे और वह यह है :

"(e) the representation and arguments of such offender against the proposed order."

मेरा मतलब यह है कि सरकार जब कभी किसी के मूवमेन्ट को रेस्ट्रिक्ट करने का ऑर्डर देगी उससे पहले उस आदमी को उसके रिप्रेज़ेन्टेशन को सुनने का मौका दिया जाय, वरना यह होगा कि सरकार उसको ऑर्डर सर्व कर देगी और इसके बाद कोर्ट में जायगा ऑर्डर तो यह होगा :

"The State Government may cancel any order made under sub-section (1) or alter any area specified in an order under that sub-section."

मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति किसी विषय में पैदा हो सकती है। इसका दूसरा इलाज यह भी हो सकता है कि उसकी सिक्योरिटी ली जा सकती है और कोर्ट की सारी तवालत से बचा जा सकता है। अगर पहले ही रिप्रेजेन्टेशन सुन लेते हैं तो फिर बाद में सारी लम्बी-चौड़ी कोर्ट की फोर्मलिटीज़ ओब्ज़र्व करने की जरूरत नहीं रहेगी। नहीं तो रिप्रेज़ेन्टेशन तो बाद में भी सुनना पड़ेगा। नोटिस सर्व होगा बाद में पहले तो मूवमेन्ट को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे।

४ म० प०

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : इसमें एक मुश्किल है कि अगर बाज़ वक्त जल्दी होती है और एक्सपीडियेन्सी की वजह से ऑर्डर निकालना होता है और उसको नोटिस सर्व करने का टाइम नहीं है और ऐसे में उसको नोटिस सर्व किया और फिर वह रिप्रेज़ेन्ट करे तो इसमें काफी टाइम लग सकता है। इसलिए प्राइमा-फेसी तो यह रखा है कि जो कन्सीडरेशन्स इस बिल में रखे हैं यह, विचार करके स्टेट गवर्नमेन्ट ऐसे ऑर्डर्स दे सकती है और उसकी एक कॉपी उस रजिस्टर्ड ऑफेन्डर को सर्व करेगी और उसको जो एतराज़ हों वह गवर्नमेन्ट के सामने कर सकता है और गवर्नमेन्ट चाहे तो ऑर्डर

(श्री रामकिशोर व्यास)

को केन्सिल कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है। हम यह कहते हैं कि बाजवक्त केसेज़ हो सकते हैं जिनको हियर करने का पहले टाइम हो सकता है और कई ऐसे केसेज़ हो सकते हैं कि नोटिस देने में समय लग सकता है। इसलिए उन केसेज़ में प्रोवीज़न रखा है। उसमें कोई बैन नहीं है, वह कम्पलसरी नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि आपका जो पर्पज़ है वह पूरा हो जाता है, क्योंकि जैसे ही नोटिस सर्व होगा वह रिप्रेज़न्टेशन कर सकता है और फिर गवर्नमेन्ट को अधिकार दिया है कि उसको केन्सिल कर सकती है।

श्री तनसिंह : किसी ऑर्डर में रेस्ट्रिक्ट कर दिया है तो वह कोई या तो वकील करें।

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसा है कि आर्डर जारी किये उसकी कॉपी उसको सर्व करेंगे फिर उसको अधिकार है कि वह रिप्रेज़ेंट करे। उसके बाद में गवर्नमेन्ट चाहे तो ऑर्डर्स को स्टे भी कर सकती है। इसमें आपके आग्रह करने की कोई बात नहीं है। इससे आपकी चीज़ कवर हो जाती है।

श्री तनसिंह : नहीं, आग्रह की बात नहीं है। इसमें मैं आपको एक एनोलॉजी बताता हूं। मान लीजिए आप एक ऑर्डर देते हैं कि मैं बाड़मेर की सीमा से नहीं जा सकता हूं और वह मुझे सर्व हो गया। तो मुझ पर रेस्ट्रिक्शन तो लग गया। तो मैं उस ऑर्डर को तोड़ कर कैसे जयपुर आ सकता हूं ? या तो मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो पहले से ही आर्ग्युमेन्ट ले लेते हैं तो उस ऑर्डर के बीच के बिना ही पहुंच सकते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : कुछ केसेज़ इस प्रकार के हैं कि जैसे एक गैंग है जो कि बाहर से आया हुआ है और उसने कोई ऑफेन्स कमिट किया तो मतलब यह है कि नोटिस उनको इमीजियेटली सर्व कर दें और उनको हियर करने का मौका बाद में दें, यह उनकेसेज़ से मतलब है।

श्री तनसिंह : अच्छी बात है। तो मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७ में जो संशोधन श्री तनसिंहजी ने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री तनसिंह : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने जो क्लॉज़ ७ में संशोधन पेश किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ७ को संशोधित रूप में……

श्री गिरधारीलाल : On a point of order, sir, माननीय सभापति महोदय, मेरा इसमें एक अमेन्डमेन्ट था उसका क्या हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : सक्युलेट नहीं हुआ ।

श्री गिरधारीलाल : सर्यु लेट तो नहीं हुआ लेकिन मैंने दिया था ।

श्री सभापति : मेरी सूचना ऐसी है कि आपके जो संशोधन पेश किया था वह रिजेक्ट हो गया है । इसलिए इन अमेन्डमेन्ट्स के साथ उसे शामिल नहीं किया गया ।

श्री गिरधारीलाल : आखिर किस कारण हुआ ?

एक माननीय सदस्य : टाइम पर नहीं पहुंचा होगा ।

श्री गिरधारीलाल : नहीं, टाइम पर तो पहुंच गया था ।

श्री सभापति : जैसा आपने अमेन्डमेन्ट पेश किया था वह अमेन्डमेन्ट इस अमेन्डिंग बिल के स्कियर के बाहर था । इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि वह उस से मेल खाता हुआ नहीं था ।

श्री गिरधारीलाल : साहब, हमारा तो मेल कभी नहीं खायेगा ।

श्री सभापति : Well the discretion has been applied to it. When so many other amendments have been accepted there can be no reason that your amendment could be rejected.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७, संशोधनानुसार, विधेयक का अंग बना ।

श्री सभापति : क्लॉज़ ८, श्री पी० के० चौधरी ।

श्री रामकिशोर व्यास : ८ में मेरा अमेन्डमेन्ट है ।

श्री सभापति : I will call you.

(विराम)

श्री पी० के० चौधरी ।

(अनुपस्थित)

श्री मोहरसिंह ।

(अनुपस्थित)

No I, am sorry, the Hon'ble Minister.

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : क्लॉज़ ८ में मेरा अमेन्डमेन्ट है । यह प्रिन्टिंग मिस्टेक की वजह से ही है :-

"In Sub-section (4) of newly proposed Section 7 substitute 'term' for 'terms' in the 3rd line from the last."

Page No.90

श्री सभापति : श्री तनसिंह ।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : मेरे इस क्लॉज़ में दो संशोधन हैं, पहला तो यह है कि सब क्लज़ २ जो है यह हटा दिया जायः—

"(1) Delete sub-section (2) of newly proposed Section 7."

दूसरा यह है, "Insert the word 'for a term of two years' after the word 'imprisonment' occurring at the end of clause (a) of sub-section (4) of the newly proposed section 7." पहले संशोधन के विषय में मुझे निवेदन करना है कि यह प्राइवेटली मेनेज्ड इन्स्टिट्यूशन्स हैं, यह खामख्वाह झमेला है। क्योंकि सारे हिन्दुस्तान में इस तरह का प्राइवेटली मेनेज्ड इन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक बॉम्बे में बताया जाता है। मैं नहीं समझ सकता हूं कि कोई भी इन्स्टिट्यूशन राजस्थान में प्राइवेटली मेनेज्ड होगा। मैं तो कहता हूं कि इस कानून को देखकर कई लोगों के मुंह से राल टपकेगी और गवर्नमेंट का पैसा हथियाने का रास्ता निकाल लेंगे। हम निश्चित प्रणाली द्वारा किसी मानव मस्तिष्क का विकास करना चाहते हैं तो उस पर आप रूल्स बनायेंगे। लेकिन फिर भी मुझे भय है कि जिस योग्यता से और जिस तरह डाइरेक्ट कन्ट्रोल गवर्नमेंट का रहता है या सुपर्वीज़न रहता है वहां मान्यता की जा सकती है कि वहां नीति ठीक रहेगी। लेकिन प्राइवेटली मेनेज्ड इन्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे इस पर मतभेद हो सकता है। ऐसी अवस्था में यह बिल्कुल बेकार है और कभी ऐसी स्थिति आ जाय जिसकी कोई सम्भावना नहीं हो। अव्वल तो आयेगी नहीं और यदि आ सकती है तो कोई हर्ज नहीं कि हम उसमें चेन्ज करें या कोई अमेन्डमेन्ट करें मगर इस समय तो यह बिल्कुल सुपरफ्लुअस लगता है और यह भय लगता है कि यह प्राइवेटली मेनेज्ड इन्स्टिट्यूशन्स कैसे होंगे। लोगों को बहकाने के लिए हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो Two year's का है वह मैंने इसलिए रखा है कि कोई भी मजिस्ट्रेट, कोई भी व्यक्ति को जो सजा बोले या उसको दफा ११० के अन्दर जमानत पर ले ले तो बजाय जमानत लेने के और दो साल की सजा देने के लिए कम से कम दो साल की करेक्टिव ट्रेनिंग के लिए भेज सकता है। मैंने निवेदन किया है कि जब तक सजा दो साल की नहीं मिले तो दो साल तक की ट्रेनिंग में भेजना पड़े। मानलो कि किसी को ५ दिन के इम्प्रिज़नमेन्ट की सजा मिलती है तो क्या उसको भी दो साल की करेक्टिव ट्रेनिंग का अमल रखते हैं। यह हो सकता है अगर मेरा यह एमेंडमेन्ट मन्जूर नहीं हो तो आखिर की जो लास्ट से थर्ड लाइन है :-

"that he shall receive corrective training for such terms of not less than two or not more than five years."

अगर इसमें दो साल की टाइम लिमिट रख दी है तो कोर्ट के सामने कोई डिस्क्रीशन नहीं रहता है कि दो साल की कम की ट्रेनिंग दे। उसको दो साल से ज्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और ५ साल से कम। यदि two years शब्द हटाकर "Corrective training for a period as the Court or Magistrate may determine." का करें इस तरह से कि "upto the extent of 5 years, he may be sent to training". तो उस सूरत में उसके साथ न्याय होगा और

(श्री तनसिंह)

किसी को ५-१० दिन या एक-दो महीने या ६ महीने की सज़ा मिले तो उतने ही अरसे तक उसको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सजा से ट्रेनिंग देने की सजा ज्यादा मंहगी पड़ेगी। इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है वह मेरे खयाल से ज्यादा मौज़ू होगा।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आपके दो संशोधन हैं इसमें एक तो यह है कि सब क्लॉज़ (२) को डिलीट करने के बारे में, जोकि प्राइवेटली मेनेज्ड इन्स्टिट्युशन के बारे में है। उसके बारे में यही अर्ज़ करना चाहता था कि कुछ आपको शक है कि कोई ऐसी बात हो जाय कि न मालूम उसका क्या दुरुपयोग हो जायगा, वर्ना यह एक सुविधा थी जो कि उन लोगों को मिलती थी। पोजीशन यह है कि करेक्टिव इन्स्टिट्युशन्स को बनती है प्राइवेटली, पब्लिक का कोई आदमी बनता है जैसे कि जुवेनाइल बच्चों की इस प्रकार से खुलती है और अगर वे सेटिस्फेक्टरी हैं तो वे भेजे जा सकते हैं। इस फेसिलिटी को एक्सटेन्ड करने में बहुत ज्यादा आपत्ति की बात नहीं मालूम होती है कि न मालूम उसका क्या दुरुपयोग हो जायगा या किन्हीं कांग्रेस-वालों को पैसा मिल जायगा। यह केवल कल्पना की बातें हैं। मैं तो यही कह सकता हूं कि इस फेसिलिटी को अगर आप एक्सटेन्ड करते हैं तो यह पोसिबिलिटी है कि इससे रजिस्टर्ड ऑफेन्डर्स को फायदा हो सकता है।

दूसरे इसका सेफगार्ड जरूरी है और जो इस सम्बन्ध में रूल्स बनाये जायेंगे वे हाउस के सामने आयेंगे और सदन में डिस्कस हो सकते हैं और चेन्ज भी हो सकते हैं। जिनके तहत वह किया जायगा वे सदन के सामने आयेंगे और तरमीम भी आप उनमें कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि प्राइवेट इन्स्टिट्युशन में किसी को भेजते हैं तो यह पूछ नहीं सकते प्राइवेटली मेनेज्ड संस्थाओं के बारे में सरटेन पाबन्दी हो। सरटेन रूल्स बना रखे हैं और विदइन देट स्कोप कह सकते हैं, वहां इसकी बात हो सकती है। रूल्स बनाये जायेंगे वे इस प्रकार के बनेंगे कि उनमें गवर्नमेंट का कन्ट्रोल रहेगा। वे आपके सामने आने वाले हैं। इसलिए इस पर पुनर्विचार करने के लिए निवेदन करता हूं। इस पर विचार करें और इससे कोई हानि हो वह बात नहीं मालूम होती है।

दूसरी बात जो आपने फरमाई है वह एक तरह से ठीक है। आपका फरमाना है कि जो पीरियड रखा है 'for such term not less than 2 years,' मगर मैं समझता हूं कि एक जो आपका है Impsion ment for a term of two years वह हटा लेंगे और यहां से वे लफ़्ज़ हैं Less than two or इसको कम कर दें तो आपका परपज़ सर्व हो जायगा। इसमें जो टाइम लिमिट का रिडक्शन कर देते हैं तो Your purpose will be served.

श्री तनसिंह: माननीय सभापति महोदय, मैं इस उत्तर के फलस्वरूप अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री तनसिंह ने क्लॉज़ ८ में पेश किये हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री तनसिंह : मैं अपने संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : (श्री रामकिशोर व्यास से) You have moved your amendment.

श्री रामकिशोर व्यास : कोई मेरा भी एमेंडमेंट था क्या ?

श्री तनसिंह : वह स्वीकृत होना चाहिए हाउस के द्वारा।

श्री गिरधारीलाल : माननीय सभापति महोदय, क्लॉज़ ८ पर मेरा एक अमेंडमेंट है। क्या वह भी इस प्रकार से खारिज कर दिया गया है ? मुझे ऐसा लगता है कि वह खारिज कर दिया गया है।

श्री सभापति : मेरी सूचना ऐसी ही है। मुझे अभी ऐसा मालूम हुआ है कि आपका ८ नम्बर के क्लॉज़ पर जो संशोधन है वह डिस्एलाउ कर दिया गया है।

श्री गिरधारीलाल : आखिर उसका कारण क्या है ? वह करेक्टिव सेटलमेंट के बारे में था।

श्री सभापति : मैं आपकी सूचना के लिए अर्ज़ कर दूं कि क्लॉज़ ७ पर जो संशोधन पेश किया गया था उसमें कारण दिया गया है कि किस कारण से वह डिस्एलाऊ किया गया है। एक्सप्लेन कर देता हूं सारी पोजीशन, अमेंडमेंट बिल के स्कोप और इस अमेंडमेंट की क्या पोज़ीशन है। इससे दोनों किलयर हो जायेंगे।

आपने अपने एमेंडमेंट में क्लॉज़ ७ के बाद क्लॉज़ ७-ए के नाम से एक नया क्लॉज़ एड करने का अमेंडमेंट पेश किया था उसमें आपने सजेस्ट किया था :—

"Add the following new clause as 7 A :—

After Section 6 of the Principal Act, the following new Section 6 A shall be added :—

6 A-Probation officers : (1) The Government shall appoint at least one or more probation officers in every district.

(2) The Probation officer shall watch the registered habitual offenders with a view to help them in their reformation and shall submit monthly report to the District Magistrate."

तो मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका जो सजेशन है वह बिल्कुल निराधार है। यह केवल एमेंडमेंट बिल है। अगर आप उस संशोधन को पास कराना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि आप ओरीजिनल बिल में एमेंडमेंट लावें। इसी वास्ते इस कारण से वह रिजेक्ट कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि यही कारण क्लॉज ८ के ऊपर आपके एमेंडमेंट के रिजेक्शन के बारे में भी होगा।

श्री गिरधारीलाल : कोई एक खुलासा बताना चाहिए कि करेक्टिव सेन्टर्स कैसे होंगे। वह इसमें दिया गया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य माइक से मुंह दूर रख कर बोलें। वह आपकी आवाज रिसाउन्ड होकर मुझ तक नहीं आती है।

Page No.93

श्री गिरधारीलाल : मेरा मतलब यह है कि करेक्टिव सेटलमेंट के बारे में मेरा सुझाव है कि करेक्टिव सेटलमेंट किस प्रकार के होंगे। गवर्नमेंट ने इसमें नहीं लिखा है और मैंने सुझाव दिया है।

श्री सभापति : I am sorry. You are still not audible. Will the Hon'ble Member please be little more clear.

थोड़े से साफ शब्दों में फरमावें तो मेरी समझ में आवे, आप क्या फरमा रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल : ये मेरे एमेंडमेंट्स सुधार गृह के बारे में हैं। इसके बारे में इस क्लोज के अन्दर जिक्र किया गया है। तो मेरा इसमें आशय यह है कि करेक्टिव सेटलमेंट किस प्रकार के होंगे और उनमें सुधार किस प्रकार से होगा ? आज दिन की जिस प्रकार की जेलें हैं वैसी होंगी, यह कोई इस प्रकार का खुलासा इसमें नहीं किया गया है। इसमें...

श्री सभापति : I am sorry, since this has been rejected by the Hon'ble Speaker, I shall not be able to allow this at such a stage.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ८ के सब क्लॉज (४) (बी) के अन्तिम से तृतीय पंक्ति के शब्द 'not less than two or' पृथक किये जावें।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ८, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ८, संशोधनानुसार विधेयक का अंग बना।

(विराम)

I would request the Hon'ble Minister and the parties to speak loudly. There comes a feable voice.

क्लॉज ६, श्री पी. के. चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री तनसिंह।

श्री तनसिंह : मैं अपने संशोधन को मूव नहीं करना चाहता।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज ६ स्वीकृत किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ६ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज १०

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : सभापति महोदय, क्लॉज़ नं० १० में मेरा जो संशोधन है वह यह है कि यह जो सजा है वह ६ महीने के बजाय १ महीने की हो जाय और १ साल की बजाय ६ महीने की हो जाय।

मुझे दूसरा अमेन्डमेन्ट मूव नहीं करना है।

Page No.94

(श्री तनसिंह)

निवेदन यह है कि जब आपने ऊपर रूल को इन्फ्रिन्ज करने वाले के लिये १०० रु० के जुर्माने का प्रावधान रखा है और यहां आकर फिर बढ़ा कर ६ महीने कर दिये तो कुछ बराबरी का मामला होना चाहिये; वहां १०० रू. का जुर्माना है तो यहां भी ६ महीने के बजाय १ महीना कर दीजिये और जहां १ साल का प्रावधान रखा है उसके बजाय ६ महीने कर दीजिये। १०० रु० का ही जुर्माना रखा है इसलिये फर्स्ट को १ महीना कर दिया जाय और सेकन्ड को साल भर के बजाय ६ महीने कर दिये जांय, यह मेरा सुझाव है।

श्री रामकिशोर व्यास (गृहमन्त्री) : आप का आधे का सुझाव है। साल भर के बजाय ६ महीने करना चाहते हैं, मैं इसको मान लेता हूं और जहां ६ महीने रखे हैं वहां उसको आधा कर के ३ महीना कर दिया जाय।

श्री तनसिंह : ठीक है, एग्रीड। ऐसा कर लिया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह कि क्लॉज़ १० में जो प्रथम संशोधन श्री तनसिंह ने रखा है उसमें से एक पार्ट, साल भर के बजाय ६ महीना करने का, स्वीकार किया जाय, जैसा कि मंत्रीजी ने स्वीकार किया है।

श्री रामकिशोर व्यास : जहां पर ६ महीने रखे हैं उसके बजाय ३ महीने कर दिये जांय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मंत्रीजी ने जो संशोधन पेश किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १०, संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १०, संशोधित रूप में, बिल में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ेज ११ व १२

(विराम)

श्री सभापति : प्रश्न यह है क्लॉज़ेज ११ और १२ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज ११ और १२ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ १३,

श्री पी. के. चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री तनसिंह : इसमें बार ऑफ जुरिस्डिक्शन है।

श्री सभापति : Your amendment is but to delete the clause.

श्री तनसिंह : क्लॉज़ है "No court shall question the validity of any direction or order issued under this Act."

मैं समझता हूं इसमें कोई डर नहीं है इसलिये इसको मंजूर करना चाहिये। कोर्ट के प्रति विश्वास और आस्था रखनी चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री): कोर्ट के प्रति विश्वास करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन सुविधा के लिये ऐसा करना जरूरी है, नहीं तो थोड़ी-थोड़ी और छोटी-छोटी बात के लिये सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा जैसे रजिस्ट्रेशन किया है तो सिविल कोर्ट में जाओ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर दिया है तो भी भागे सिविल कोर्ट में तो इससे असुविधा रहती है। जरा जरा से ऑर्डर के खिलाफ सिविल कोर्ट में जायेंगे तो दिक्कत होगी। अगर कोई खिलाफ बात करते हैं तो रिट् हो सकती है। रेमेडी रिट् के जरिये हो जायगी।

श्री तनसिंह : रिट् में भी पैसा खर्च होता है।

श्री रामकिशोर व्यास : सूट से कम होता है।

श्री सभापति : Will the Hon'ble Member say whether he is satisfied by the reply given by the Minister?

श्री तनसिंह : सेटिस्फाइड तो नहीं हूं लेकिन इसके सिवाय चारा नहीं कि इसको विद्ड्रा करूं।

श्री सभापति : So you withdraw it?

श्री तनसिंह : Yes.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३ में जो संशोधन श्री तनसिंह ने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

तनसिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ १४

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १४ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १४ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ १५

श्री तनसिंह : मैंने सिड्यूल में अमेन्डमेन्ट रखे हैं कई सेक्शन्स के सिलसिले में, लेकिन मैं दफा ३२४ और दफा ३३२ के लिए आग्रह कर रहा हूँ। वह इसलिये कि दफा ३२४ मामूली है और छोटा सा अपराध है जो बेलेबल और कंपाउन्डेबल है। इसलिये कहीं किसी मामूली चीज जैसे पेन होल्डर से लग जाय तो भी ३२४ में आ जाता है। धारदार औज़ार कई हो सकते हैं। दफा ३२५ संगीन चोट है लेकिन यह तो सिंपल हर्ट है और ३३२ से राजनैतिक तौर पर लाभ उठाया जा सकता है। हमारे हर आदमी के खिलाफ यह लगाया जा सकता है, क्योंकि जुलूस में जते

(श्री तनसिंह)

समय थोड़ा सा भी अटेटमेंट चिप गया तो २ साल की सजा दे दी जायगी और जेल में बैठे रहेंगे इसलिये हैबिच्युल ऑफेन्डर बना कर करेक्टर ट्रेनिंग में भेजने के बजाय डेढ़ दो साल की सजा दे दीजिये।

श्री श्रीभानसिंह: मेरा भी अमेन्डमेन्ट है।

श्री सभापति: Let the section fifteen come.

श्री तनसिंह: यह सेक्शन फिफ्टीन ही है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि एक तो अमेन्डमेन्ट आपका लेट स्टेज पर आया है और मंत्रीजी, जो इसे पायलोट कर रहे हैं, वे, इसको स्वीकार करने में ऐतराज कर रहे हैं, ऐसी हालत में सिवाय मतदान हेतु रखने के कोई चारा नहीं है। यदि मंत्रीजी स्वीकार करें तो मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह: मूव तो हो जाय।

श्री सभापति: क्योंकि मन्त्रीजी की अस्वीकृति आ गई थी इसलिये इसको रिजेक्ट कर दिया।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री): ३३२ और ३२० के लिये आपने कहा है। ३३२ में सरकार से डर लग रहा है शायद पब्लिक सर्वेन्ट्स के मामले में जबर्दस्ती कर लेंगे, यदि ऐसा ख्याल है तो इसे मैं मंजूर कर लेता हूं। ३२४ को रहने दीजिये।

श्री सभापति: यह तो बहुत ही आसान है।

श्री रामकिशोर व्यास: गुन्डा गर्दी का एलिमेन्ट वगैरा हैं उनके लिये रहने दीजिये। किसी ने किसी को छुरा मार दिया और तीन दफा मार दिया और उनको सजा नहीं देंगे तो ठीक नहीं रहेगा। डेन्जरस वेपन्स हैं उनमें तलवार, बंदूक, छुरा आदि आ जाते हैं इसलिये बात है, ३२४ को रहने दें। इस लिये आपसे अर्ज करता हूं कि गुंडागर्दी करते हैं वे हाथ से निकल जायेंगे।

श्री सभापति: So what position now?

श्री रामकिशोर व्यास: I think the Hon'ble Member will agree to me.

श्री सभापति: So how does it stand now? You accept that 332 may be deleted?

श्री तनसिंह: ३२४ तो ३३२ से भी आसान है। सिंपल हर्ट और धारदार औजार, कभी कैंची से भी लगती है तो ३२४ में आ जायगा। थोड़ासा कन्साइज्ड वूंड है तो भी आ जायगा। इसमें मोरल टरपिट्यूड का सवाल नहीं रह कर ग्रीवियस हर्ट हो जाता है। हड्डी कट जाती है, कभी कभी मर जाते हैं। ऐसी बात है तो दूसरी बात है, लेकिन ३२४ एक साधारण और सरल है, इसलिए इसे मंजूर कर लेना चाहिए।

श्री रामकिशोर व्यास: मैंने इसलिए कहा कि ३३२........

श्री तनसिंह: That is quite innocent......

श्री रामकिशोर व्यास : इसका स्कोप लिमिटेड है। यह पब्लिक सर्वेन्ट्स के सिलसिले में आता है, वाइडर नहीं है, इसलिए मैंने मंजूर कर लिया है। लेकिन इसका जनरल पब्लिक से ताल्लुक है, कोई छुरा भोंक दे, इसमें डेन्जरस वेपन को यूज़ करता है तो इसमें क्यों ऐग्ज़ेम्पशन दें। पहले का लिमिटेड स्कोप था, पब्लिक सर्वेन्ट्स तक ही रहता है लेकिन दूसरा जनरल पब्लिक से ताल्लुक रखता है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि आप इसे मंजूर करलें और विद्ड्रॉ कर लें।

श्री तनसिंह : विद्ड्रा करने में ज्यादा टाइम लगता है।

श्री सभापति : What is the position now ?

श्री तनसिंह : Yon can put the question, sir. In withdrawing it takes......

श्री सभापति : I am sorry, but it seems the Hon. Member has not been able to prevail upon the Hon. Minister to accept his viewpoint, excepting one Section.

श्री रामकिशोर व्यास : I am requesting......

श्री तनसिंह : That is not my fault, Sir.

श्री सभापति : I do not say anybody's fault, but the position as it stands, as it looks to me...

श्री तनसिंह : I may explain...

श्री रामकिशोर व्यास : I am requesting him.

श्री तनसिंह : The request is going on......

श्री भानसिंह : I object to this requesting, Sir. No viewpoint is placed before the House excepting these mutual requests.

श्री सभापति : Do you say that tihs amendment should be put to vote or you withdraw it ?

श्री तनसिंह : मैंने तो ३२४ की बात रख दी है, वह सरल सा, साधारण सा अपराध है और चलते-चलते कभी भी हो जाता है, अनायास ही राइट ऑफ सेल्फ डिफेन्स में हो जाता है। चक्कू से वार करने का, गुंडागर्दी करने का सवाल है, अगर भरपूर हाथ पड़े, तो ३०७ में आ जाता है, ३०२ में भी केस बन जाता है, साधारणतया ३२४ है, उसमें इतना खतरनाक अपराध है। अब पार्लियामेंट ने उसे भी बेलेबल कर दिया है। पहले शायद बेलेबल था या नहीं, अब बेलेबल कर दिया है, ३२४ को बेलेबल कर दिया है, उसमें कम्पाउन्ड हो सकता है....

श्री पुरुषोत्तमलाल : कोर्ट की इजाजत हो तो।

श्री तनसिंह : कोर्ट की इजाजत से होगा। ऐसी सूरत में यह माइनर ऑफेन्स है। मेरे खयाल से इसमें खतरा नहीं है ...

श्री सभापति : Do you withdraw or it should be put to vote?

श्री तनसिंह : अब तो वोट ले लें।

श्री रामकिशोर व्यास : इतनी बात मान लें।

श्री तनसिंह : इतनी बात मान ली कि बहस नहीं हुई।

श्री सभापति : Order, order please.

श्री रामकिशोर व्यास : एक तो स्वीकार कर लिया, दूसरे पर वोट ले लीजिये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री तनसिंह ने पेश किया है, उनमें से एक संशोधन (३३२ को ओमिट करने का) मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है, क्या यह सदन को स्वीकार है।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि '३२४' वाला संशोधन स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है....

(एक माननीय सदस्य के खड़े होने पर)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५, संशोधित रूप में, (पुनः अल्प विराम के अनन्तर) क्लॉज़ १५, विधेयक का अङ्ग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज १, प्रिएम्बल वगैरह

(विराम)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज १, प्रिएम्बल वगैरह स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, प्रिएम्बल वगैरह विधेयक के अंग बने।

श्री रामकिशोर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिल को पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि विधेयक पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान हेबिच्युअल (संशोधन) विधेयक, १९५८ पारित किया गया।

श्री अनूपसिंह : It is 4. 30. now, Sir...

श्री तनसिंह : कल टाइम चैंज हो रहा है ?

श्री सभापतिः श्री रिखबचन्द धारीवाल

४' ३६ म. प.

राजस्थान बाट और माप (प्रवर्तन) विधेयक, १९५८।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उप उद्योग एवं वाणिज्य मन्त्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान वेट्स एन्ड मेज़र्स (एन्फोर्समेंट) बिल, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री तनसिंह: माननीय सभापतिजी, एक तो मुझे निवेदन करना है कि इस टाइम में कुछ रद्दोबदल हो रही है या नहीं?

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि पहले प्रस्ताव पेश कर दिया गया है, उसका डिस्पोज़ल होना चाहिए।

श्री तनसिंह: अभी मूव नहीं कर रहे हैं।

श्री सभापति: He has already moved it for consideration...

श्री तनसिंह: I think you are not putting the question.

श्री सभापति: I definitely put the question that the bill be taken into consideration.

श्री तनसिंह: But if somebody wants to talk on it......

श्री सभापति: Certainly; if anybody wants to,......

श्री तनसिंह: मैं इसलिए खड़ा हुआ कि कोई बोल नहीं रहे हैं, आप प्रश्न पुट कर रहे हैं?

श्री सभापति: आपके सिवाय कोई नहीं बोल रहा था।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वेट्स एन्ड मेज़र्स (एनफोर्समेंट) बिल, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

बिल विचारार्थ लिया गया।

श्री रिखबचन्द धारीवाल: उप मंत्री सभापति महोदय, क्लॉज़ २ में मैं निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं:

1. In part (b), substitute "15" for "14".
2. In part (c), substitute "15" for "12".
3. In part (g), insert "and" before "includes"
4. In part (h), insert '(Central Act 89 of 1956)' after 1956".

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ में जो संशोधन श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने पेश किया है, उसे स्वीकार किया जाय।

श्री श्रीभानसिंह: नहीं किया जाय।

श्री सभापति: क्यों?

श्री श्री भानसिंह: संशोधन पेश दूसरे मंत्री महोदय ने किया है आपने नाम दूसरे मंत्री महोदय का लिया है।

Page No.100

श्री सभापति : श्री रिखबचन्द धारीवाल। जी ने संशोधन पेश किया है।

I am sorry, I correct myself.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री धारीवाल-जी ने पेश किया है, वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्योंकि क्लाज़ ३ में अमेंडमेंट नहीं है, इसलिए वोट के लिए पेश किया जाता है।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ेज नं० ४ व ५

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ४ और ५ स्वीकार किये जांय।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ४ व ५ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज़ ६

श्री रिखबचन्द धारीवाल : (उपमंत्री) सभापति महोदय, क्लॉज़ ६ में निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

"In sub-clause (3), the word 'Standard' be in tbe plural number".

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज ६ में जो संशोधन उप मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ को संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ेज ७ से ६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ७, ८ और ६ स्वीकार किये जांय।

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ७, ८ और ९ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज़ १०

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उप वाणिज्य मंत्री) : सभापति महोदय, क्लॉज १० में मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

"Insert 'a' before 'Stamp".

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री धारीवालजी ने रखा है वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १० को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ११

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ११ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ १२

श्री दयाकृष्ण विजय !

(अनुपस्थित)

श्री पी. के. चौधरी !

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १२ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ेज १३ से १५

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज १३, १४ और १५ को स्वीकार किये जांय।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ १३, १४ व १५ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

(श्री सभापति)

क्लॉज़ १६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ १७

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सभापति महोदय, ...

(एक माननीय सदस्य के खड़े होने पर)

श्री सभापति : Order I am callig the names.

श्री पी. के. चौधरी !

(अनुपस्थित)

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Yes. सभापति महोदय, क्लॉज़ १७ में मैं निम्न संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं :

"In sub-clause (5), the word "reasons" be in the singular number".

श्री अनूपसिंह : On a Point of order, Sir, क्या मन्त्री महोदय पान खा रहे हैं।

श्री सभापति : मैं समझता हूं कि अगर बाहर खा कर यहां च्यु (Chaw) करते हैं तो इसमें कोई अपत्ति नहीं है। सदन में पान खाने की मनाई है........

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं पान नहीं खा रहा हूं........

श्री सभापति : च्यु करने की मनाही नहीं है....मन्त्री महोदय जो बोल रहे हैं वे पान खाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १७ में जो संशोधन उप मन्त्री महोदय द्वारा पेश किया गया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १७ को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना

(विराम)

क्लॉज़ १८, श्री पी॰ के॰ चौधरी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १८ स्वीकार किया जाय।

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १८ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ १९

(विराम)

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १९ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १९ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ २०

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २० स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २० विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ २१,
श्री पी० के० चौधरी।
(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २१ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ २२,
श्री रिखबचन्द धारीवाल।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उपमन्त्री) सभापति महोदय, मैं क्लॉज़ २२ में निम्न लिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

"In line 4, the word 'instruments' should be in the singular number."

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री धारीवाल द्वारा पेश किया गया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया जाता है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २२, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय।

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २२, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉजेज़ २३ व २४

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २३ और २४ स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २३ और २४ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज़ २५,
श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपथित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २५ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २५ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉजेज़ २६ से २८

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २६, २७ और २८ स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ २६, २७ व २८ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज़ २९, श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २९ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २९ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ३०,
श्री पी०के० चौधरी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३० स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३० विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ३१,
श्री पी०के० चौधरी

(अनुपस्थित)

क्लॉज ३२ पर कोई अमेण्डमेण्ट नहीं है इसलिये वह भी साथ में ले लिया जाता है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३१ और ३२ स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

क्लॉज ३१ और ३२ विधेयक के अङ्ग बने ।

(विराम)

अब क्लॉज ३३ और ३४....

श्री श्रीमानसिंह : On a point of information, Sir, has the Hon. Member occupying the chair in the Treasury Benches been sworn in as Minister or Deputy Minister ?

श्री सभापति : I am sorry there is no point of order.

श्री श्रीमानसिंह : On a point of information.

श्री सभापति : The information is that he is not a Member of the Treasury Benches.

श्री श्रीमानसिंह : He is a member of the Treasury Benches by all means, Sir.

श्री सभापति : क्लॉज़ ३३, श्री पी. के. चौधरी ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३३ स्वीकार किया जाए ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३३ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ ३४, श्री रिखबचन्द धारीवाल ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : क्लॉज़ ३४ में मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूँ :

"In part (b), substitute 'refuses' for 'refused' and 'or' for 'on'."

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री धारीवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाए ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

श्री पी. के. चौधरी ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३४, संशोधित रूप में, स्वीकार की जाए ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ ३५

श्री पी. के. चौधरी ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३५ और ३६ स्वीकार किये जाएं ।

श्री श्रीभानसिंह : क्लॉज़ ३६ पर बोलना है।

श्री सभापति : What is the object of the Hon. Member ?

श्री श्रीभानसिंह : क्लॉज़ ३६ पर तो बोल ही सकते हैं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३५ को स्वीकार की जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३५ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ३६

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय चेयरमैन महोदय, राजस्थान सरकार जितने भी बिल बनाती है उनके अन्तर्गत एक इस प्रकार Saving क्लॉज़ रखा करती है और जैसा कि मैंने पिछले बिल के विरोध के समय जिक्र किया कि इस सेक्शन में जो गुड फेथ में ऑफिसर होता है वह काम करता हैं उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। उसको प्रोटेक्शन देने की दलील यह दी जाती है कि अगर उसको प्रोटेक्शन नहीं दिया जावे तो वह ठीक तरह से काम नहीं कर सकता और इसके अलावा कोई दूसरी दलील गवर्नमेंट के पास नहीं है। मगर इस दलील को हम देखें और सारे तरीकों को हम देखें कि इस क्लॉज़ को रखने से जो प्रोटेक्शन रखने से और इसके एक्शन को फोर्स में लाने से वह अधिकारी बेड फेथ में तो काम नहीं करता है, इसको देखने के लिये या स्कुटिनाइज़ करने के लिये वैसा कोई प्रोविज़न हम नहीं रखते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऑफिसर कोई भी कितना ही हाइ हैंडेड्नेस का कार्य करेगा मगर वह यह कह कर बच जाता है कि उसने गुड फेथ् में काम किया।

श्री सभापति : I think the time is up.

श्री श्रीभानसिंह : A few minutes only.

श्री सभापति : Yes continue.

श्री श्रीभानसिंह : (जारी) तो क्लॉज़ ३६ में जो यह Saving लगाते हैं कि अधिकारी जो कोई कार्य करता है गुड फेथ् में करता है इसलिये उसको माफ कर दिया जावे। जब आप यह जानते हैं कि वह अधिकारी गुड फेथ् में काम करता है तो फिर आप उसके खिलाफ जुडिसियरी में जाने से क्यों रोकते हैं? अगर उसने गुड फेथ् में वर्क किया है तो फिर उसको डरने की किसी प्रकार से जरूरत नहीं है। जिसके खिलाफ वह अधिकारी करता है वह गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकता। होना तो यह चाहिये इस डेमोक्रेसी के समय में कि इस प्रकार का Saving Clause नहीं रखते और जो कार्य उसने गुड फेथ् में किया है उसको लेजिस्लेचर के सामने रखते कि फलां अधिकारी ने गुड फेथ् में यह एक्शन लिया है। इससे एफिशियेंसी बढ़ती मगर यह नहीं रखा गया है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जितना डेमेज यह क्लॉज़ करता है दूसरा नहीं करता। इसमें मैं यह निवेदन करूंगा कि यह सबजेक्ट टु जुडिशियल इन्क्वायरी होना चाहिये। क्योंकि गवर्नमेंट के अधिकारी हैं

Page No.107

(श्री भीमानसिंह)

जितने भी आर्डर देते हैं कभी-कभी सारे रूल्स को बलाये-ताक रख कर आॅर्डर दे देते हैं। चाहे वह हेपहेज़ार्ड-वे में हों चाहे उस व्यक्ति को हेरास करने के लिए हों। रूथलेस ऑर्डर होते हैं और गवर्नमेंट उन अफसरों को शील्ड करती है और उनके कार्य पर स्टेम्प लगाती है और उसको जस्टीफाइ करती है और उस पर जो कोई एक्शन लिया जाता है वह सिक्रेटली लिया जाता है। जब कोई व्यक्ति गुड फेथ् में कार्य करता है तो फिर उसको पब्लिक से सिक्रेट रखने की क्या जरूरत है? होना तो यह चाहिए कि उसको पब्लिक स्टेम्प करे कि यह कार्य जो किया गया है वह गुड फेथ् में किया गया है। जब तक जुडिशियरी इसको जस्टीफाइ नहीं कर दे तो किसी तरह से वह एक्शन गुड फेथ् में एक्शन लिया गया नहीं कहा जा सकता। उस एक्शन की अपील जुडिशियरी में नहीं कर सकते।

इसके अलावा पहले आपको इस बात को पब्लिक ओपीनियन के लिये गजट में छाया कराना चाहिए कि फलां अधिकारी ने जो कार्य किया है वह गुड फेथ् में किया गया या नहीं। पब्लिक की ओपीनियन आ जाय कि वास्तव में उसने गुड फेथ् में काम किया है तो आपको उसे केन्डोन करना चाहिये। आप मजिस्ट्रेट को एसोशियेट नहीं करते, लेजिस्लेचर में ले जाना नहीं चाहते। आप सिक्रेटली यह कह देना चाहते है कि जो कुछ किया गया है वह गुड फेथ में किया गया है। मगर जब तक इस प्रकार आप नहीं करेंगे तो उसके कार्य को गुड फेथ् में किया गया नहीं कहा जा सकता। गुड फेथ् में जब कार्य किया गया है तो फिर जुडिशियरी में जाने से क्या डर है? यही मेरा निवेदन है। आज जितने भी लाॅ बनते हैं, एडजस्ट इसी तरह से करें सिक्रेटली नहीं लिया जाय, आप पब्लिक ओपीनियन इन्वाइट करें और तभी आपको उसके एक्शनों का पता लग सकता है कि आया किसी ने गुड फेथ् में वर्क किया है या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिये कि कोई मिनिस्टर या डाइरेक्टर ही उसको कन्सीडर करे। यह गुड एक्शन नहीं होता। यही मेरा निवेदन है कि यदि गुड फेथ् को सिक्रेटली रखेंगे तो लोगों को फायदा नहीं होगा। आप यदि लेजिस्लेचर को किसी स्टेज पर रेफर नहीं करते तो आपको जुडिशियरी को एसोशियेट करना चाहिये। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं यह कहूँगा कि ये सिटिज़नशिप के राइट्स के अगेन्स्ट है और ऐसा होना नहीं चाहिये। अगर उसने गुड फेथ् में वर्क किया है तो वह उसको जस्टिफाई करेगा कि उसने यह एक्शन गुड फेथ् में लिया है और वह आदमी भी अपनी इस बात को साबित करेगा कि जो एक्शन लिया गया है वह गुड फेथ् में नहीं लिया गया है, बेड फेथ् में लिया गया है। जब दोनों को मौका दिया जावेगा अपनी-अपनी बातें सामने रखने का और उस समय जब जुडिशियल ऑफीसर उसको कन्डोन करेगा तो यह कहा जा सकेगा कि एक्चुअली उसने गुड फेथ् में ही वर्क किया।

Do you give the othet man a chance to prove his mala-fides ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुझाव प्रस्तुत किये हैं उसके लिये मैं यही निवेदन करूं कि जो कोई भी ऑफिसर इस एक्ट की तहत में काम करते हैं तो उनके खिलाफ कोई सूट, "Provided he does in good faith."

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

नहीं किया जा सकता। अगर कोई बेड फेथ साबित करेगा तो सूट बराबर होगा। इसलिये यह कहना कि गुड फेथ् में ऐसा होना चाहिये कि पब्लिक ओपीनियन बनाई जावे या लेजिस्लेचर में आए, यह सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री सभापति : समय हो चुका है। सभा की कार्यवाही कल दिनांक ८-४-५८ को ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

डॉ० चन्द्रकला : कल ८ बजे से नहीं।

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही आज ५.१ बजे सायं दिनांक ८ अप्रेल १६५८, के ११ बजे तक केलिये स्थगित हुई।]

संक्षिप्त–विवरण

(सोमवार–७ अप्रैल, १९५८)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर ६३३७

महिला शिक्षण संस्थायें।

जागीरदारों से जागीरों के सेटलमेंट के खर्च की वसूली।

तकावी की बकाया रकम।

रिटायर्ड कर्मचारियों की नियुक्ति।

प्रशासन सेवा-अधिकारियों के स्थानान्तरण।

औद्योगिक योजनायें।

जोहड़ों के ताल तहसील नोहर, भादरा व सूरतगढ़।

जिला हैडक्वाटर सवाई माधोपुर।

सचिवालय में दलित-वर्ग की नियुक्ति।

खुदकाश्त जमीन, टौंक।

पाठशाला भवन का निर्माण, जैतारण।

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र।

हाईस्कूल कोटपुतली।

अध्यापकों व सहायक उप निरीक्षकों, शिक्षा विभाग, की पद-निवृत्ति हेतु निर्धारित अवस्था।

बीगोड़ी की वसूली आबूरोड तहसील

राजकीय बालिका विद्यालय, किशनगढ़।

जनता-कॉलेज।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड, करनपुर।

पाठशाला शुल्क।

स्कम्भ

कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के स्थानान्तर ज़िला टोंक।

कोर्ट फीस स्टाम्प्स का विक्रय।

विकास खण्ड; खारची।

अग्नि पीड़ितों को दी सहायता—शेरगढ़ तहसील।

प्राइमरी सिन्धी स्कूल टीचर्स, कोटा।

आबकारी विभाग की स्थापना।

संस्कार केन्द्र।

बंजड़ जमीन; कोटपुतली।

अग्नि क्षत ग्रस्त, पुरुषार्थी बाज़ार, गंगानगर।

भूमि आवंटन।

आदिवासियों हेतु नई बस्तियों का निर्माण।

छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग, नागौर।

ठिकाना लिंबाड़ा तहसील देसूरी. (जोधपुर)।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति। ६३६२

निम्नलिखित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई:—

१ श्री शंकरलाल दिनांक ४-४-५८ व ५-४-५८।

२. श्री मोतीचन्द दिनांक ५-४-५८ से ८-४-५८।

स्कम्भ

३. श्री रामेश्वरदयाल दिनांक ७-४-५८ से १५-४-५८ ।

आश्वासन समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। ६३६३

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी, सभापति, ने आश्वासन समिति (१९५७-५८) का प्रतिवेदन उपस्थापन किया।

१. राजस्थान अभ्रक विधेयक, १९५८ (अग्रेतर खंडशः विचार एवं पारित)। ६३६३

उपरोक्त विधेयक पर आज खण्ड १८ से विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड १८, २० व २२ बिना संशोधन के स्वीकार किये गये तथा खण्ड १९, २१, १ आदि संशोधित रूप में स्वीकृत हुए। खण्ड १७ पर श्री तनसिंह का संशोधन प्रस्ताव पुनः विचारार्थ लिया जाकर स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

२. राजस्थान अभ्यस्त अपराधी (संशोधन) विधेयक, १९५८ ६४०३
(खंडशः विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री रामकिशोर व्यास, गृह मंत्री, ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जिस पर—

(१) श्री तनसिंह ने विधेयक को जनमत के हेतु प्रसारित करने, तथा

(२) डॉ० चन्द्रकला ने विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये।

इन पर की गई बहस में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :—

स्कम्भ

१. श्री बहादुरसिंह
२. श्री पी० के० चौधरी
३. श्री अनूपसिंह
४. श्री श्रीमानसिंह
५. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा
६. श्री नरायवसिंह मसूदा
७. श्री मोहरसिंह
८. श्री भैरवलाल 'काला बादल'
९. श्री हीरा भाई
१०. श्री गिरधारीलाल

गृह मंत्री के उत्तर के पश्चात् श्री तनसिंह एवं डॉ चन्द्रकला ने अपने अपने संशोधन प्रस्ताव वापिस ले लिये। तत्पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर, विधेयक पर खंडशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड २, ५, ६, ७, ८, ९, १० एवं १५ संशोधित रूप में स्वीकार किये गये तथा खण्ड ३, ४, ११, १२, १३, १४, १ आदि बिना संशोधन के स्वीकृत हुए। विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

३. राजस्थान बाट और माप (प्रवर्तन) विधेयक, १९५८ ६५३३

(खंडशः विचार-विमर्श)

श्री शिवचरण धारीवाल, उपमन्त्री ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड २, ६, १०, १७, २२ व ३४ संशोधित रूप में स्वीकृत हुए

स्कम्भ

तथा खण्ड ३, ४, ५, ७, ८, ६, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १८, १६, २०, २१, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २६, ३०, ३१, ३२, ३३ व ३५ बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

मंगलवार ८ अप्रेल, १६५८ की का कार्य सूची।

स्कम्भ

(१) राजस्थान बाट और माप (प्रवर्तन) विधेयक, १६५८।
(विचार विमर्श एवं पारित)

(२) राजस्थान प्रेमिसेज़ (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड एविक्शन) संशोधन विधेयक, १६५८। (पारित)

(३) राजस्थान गोदाम विधेयक, १६५८। (प्रवर समिति को)

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ११२६ का उत्तर देखिये)

(1) N,C.C. traning is being imparted in the following Colleges/ Schools :—

1.	Maharani College Jaipur.	2
2.	Maharani Inter.College Kotah.	1
3.	Rajmahal Girls Inter College Jodhpur.	2
4,	Savitri Girls College Ajmer.	3
5.	Maharani Sudershan College for Women, Bikaner.	2
6.	Central Girls H. S. Ajmer.	1
7.	Beawar Girls H. S. Beawar.	1
8.	Sophia Girls College Ajmer.	1
9.	M.G.D Girls Public School Jaipur.	1
10.	Mahila Vidaylaya Udaipur.	2
11.	Maharani H. S. Jaipur,	2
12.	Maharajas MPHS Girls H. S. Jaipur.	3
13.	Birla Balika Vidya Peeth. PILANI	2
14.	Govt. Inter College; for Girls Udaipur.	1
15.	Rajmahal Girls, R. S. Jodhpur.	2
16.	Maharani Govt. H. S. Bikaner.	–
17.	SBK Girls R.S. Bharatpur,	1
18.	Govt. Girls H.S. Bundi.	1
19.	Govt. Girls H.S. Jhalawar.	1
20,	Darbar Howson's H.S. Jodhpur.	1
21.	Govt. Girls H.S. Ganganagar.	–
22.	SMD H.S. Alwar.	1

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ११३३ का उत्तर देखिये)

फहरिस्त तकावी आसामीयान मौजा हमीरवास बड़ा तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राजस्थान)

नं० शु० १	नाम आसामी २	तादाद संख्या तकसीम तकावी ३	तारीख तकसीम तकावी ४
१	लिखमा पुत्र चतरू सुनार	१५ रुपये	१६-६-५२
२	रामवास पुत्र पीला नाई	१५ ,,	,,
	,,	११ ,,	२७-६-५३
३	श्योचन्द पुत्र हरफूल जाट	१५ ,,	१६-६-५२
	,,	४५ ,,	२७-८-५३
	,,	१५ ,,	२७-६-५३
४	हरफूल पुत्र मनीराम चमार	३० ,,	२७-६-५२
	,,	५० ,,	१५-८-५२
	,,	२५ ,,	२७-८-५३
५	उमराव वल्द श्योनारायन जाट	२५ ,,	२७-६-५२
	,,	५० ,,	१५-८-५२
	,,	४५ ,,	२७-६-५३
६	रिछपाल खाती	२५ ,,	,,
७	मनीराम सुनार	२५ ,,	,,
	,,	२० ,,	२७-८-५२
८	मु० श्रवण बेवा मंगला चमार	२० ,,	२७-६-५२
९	गंगाराम चमार	२५ ,,	,,
	,,	२३ ,,	२७-६-५३
१०	धणीया पुत्र गंगाचमार	२० ,,	२७-६-५२
	,,	५० ,,	२८-७-५२
	,,	२५ ,,	२७-८-५३
११	हीरा पुत्र गोमन्द कुम्हार	२० ,,	२७-६-५२
	,,	२५ ,,	२७-८-५२
१२	धूड़नाथ जोगी	२५ ,,	२७-६-५२
१३	मु० दाना जीजा माहसुखधानक	१५ ,,	,,
	,,	३५ ,,	२७-८-५३

१	२	३	४
१४	मंगला पुत्र हेता	२० ,,	२७-६-५३
	,,	२५ ,,	२७-८-५३
	,,	२४ ,,	२७-६-५३
१५	सुना सुनार	२५ ,,	२७-६-५२
	,,	२० ,,	२८-७-५२
	,,	२० ,,	,,
	,,	२२ ,,	
१६	श्रीचन्द वल्द नसूनाई	२० ,,	२७-६-५३
१७	तोता धानक	२० ,,	२७-६-५२
१८	पह्लाद धानक	२० ,,	,,
१९	भगवाना तारग	२५ ,,	
	,,	२० ,,	२८-७-५२
२०	सुरजा वल्द असा जाट	५० ,,	२७-८-५३
२१	आसराम वल्द हीरासिंह	५० ,,	१५-८-५२
२२	सीधा वल्द मामचन्द कुम्हार	५० ,,	,,
	,,	१३ ,,	,,
२३	नौरंग वल्द इशर चमार	५० ,,	२७-६-५३
	,,	५० ,,	१५-८-५२
	,,	२० ,,	२८-७-५२
	,,	३० ,,	२७-८-५३
२४	रीछपाल वल्द जीराम चमार	५० ,,	२७-६-५३
२५	ज्ञाना वल्द मलू चमार	२० ,,	१५-८-५२
	,,	२५ ,,	२७-८-५२
२६	लालजी वल्द किशना चमार	१०० ,,	२७-८-५३
	,,	३० ,,	२८-७-५२
	,,	१६ ,,	२७-८-५३
२७	तुलसी वल्द नानग जाट	१०० ,,	२७-६-५३
२८	मूला वल्द लेखु चमार	२०० ,,	२८-७-५२
२९	शयोदान लालचन्द जाट	१०० ,,	,,
	,,	६२ ,,	,,
३०	रंगलाल तारग	७५ ,,	२७-६-५३
३१	माह सुख वल्द राजेराम जाट	४० ,,	२८-७-५२
	,,	२० ,,	२८-७-५२
	,,	२१ ,,	२७-८-५३
			२७-६-५३

Page No.115

परिशिष्ठ

१	२	३	४
३२	गोपी वल्द पाला तारग	५० ,,	२८–७–५२
	,,	२५ ,,	२७–८–५२
	,,	२८ ,,	२७–६–५३
३३	मामचन्द वल्द चतर सुनार	५० ,,	२६–७–५२
	,,	२८ ,,	२७–६–५३
३४	सुरजा वल्द श्रीसुख धानक	४० ,,	२६–७–५२
	,,	२५ ,,	२७–८–५३
	,,	२६ ,,	२७–६–५३
३५	माला सुनार	५० ,,	२६–७–५२
३६	छैलू वल्द गंगाराम	२०० ,,	,,
	,,	१५ ,,	२७–८–५३
३७	सरूपा वल्द मामचन्द कुम्हार	२५ ,,	२७–८–५२
३८	सुलतान वल्द मीनाताराम	२५ ,,	,,
	,,	४६ ,,	२७–८–५३
३९	ख्याली वल्द मुला चमार	३० ,,	,,
४०	काना वल्द ईशर चमार	१० ,,	,,
	,,	१६ ,,	१७–६–५३
४२	गोरधन वल्द मंगला चमार	२० ,,	२७–८–५३
	,,	२५ ,,	२७–६–५३
४३	मूलचन्द वल्द जैसा खाती	१०० ,,	२७–८–५३
४४	नानड़ा वल्द टंड चमार	६८ ,,	२७–६–५३
४५	रूपचन्द ईशर चमार	३० ,,	,,
४६	किशनलाल खाती	३८ ,,	,,
४७	सोहन वल्द पूबा चमार	३६ ,,	,,
४८	गिरधारी वल्द जैयकिशन	२१ ,,	२७–६–५३
४९	चुनीलाल स्वामी	४७ ,,	,,
५०	श्योबक्स वल्द हरफूल जाट	४४ ,,	,,
	,,	२० ,,	२७–६–५२
	,,	३५ ,,	२८–७–५२
५१	रामचन्द्र वल्द चतरू सुनार	५८ ,,	२७–६–५३

नोट :—उपरोक्त आसामीयान गांव में हाजर है और मतालबा तकावी काविल वसूल है ।

हस्ताक्षर

तहसीलदार, राजगढ़ ।

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ११३४ का उत्तर देखिये)

ऐसे रिटायर्ड कर्मचारियों की सूची, जो कि १-११-१९५६ से अब तक पुनः नियुक्त किये गये हैं ।

क्रम संख्या १	नाम २	पद जिस पर पुनः नियुक्ति की गई । ३
१.	श्री अवतार नारायण, आर ए.एस. (रिटायर्ड)	ओ०एस०डी० एरियर्स (जागीरदार)
२.	श्री दौलतराम	ओवर सीयर ।
३.	श्री भंवरलाल सनाढ्य	खालसा ऑफिसर, उदयपुर ।
४.	श्री रामरतन अग्रवाल	हैड ऑफ डिगरी डिपार्टमेंट ।
५.	श्री चिरन्जीलाल	सुपरिन्टेन्डेन्ट, पॉवर हाउस, भरतपुर ।
६.	डॉ० एन०एस० कटरे	सी०ए०एस० क्लास II
७.	डॉ० आर०डी० पन्चोली	सी०ए०एम० क्लास II
८.	डॉ० राधाकिशन	सी०ए०एस० क्लास II
९.	डॉ० हरशिव लाल	सी०ए०एस० क्लास I
१०.	डॉ० मिसेज कोरनेक्स	सी०ए०एम० क्लास II
११.	श्री रतनलाल	कम्पाउन्डर ।
१२.	श्री हिम्मतसिंह मेहता, आर०ए०एस० (रिटायर्ड)	फोरेस्ट सैटिलमेंट ऑफिसर ।
१३.	श्री हरसुखराय	एल० डी० सी०
१४.	डॉ० हिम्मतसिंह	ओपेथलमोलोजिस्ट ।
१५.	मिसेज़ एस०एम०एन० जोन्सन	मिड वाइफ ।
१६.	श्री रामकिशोर माथुर	एल० डी० सी०
१७.	डॉ० सुन्दरलाल	डी० एम० एच० ओ०
१८.	डॉ० सी०एम० शर्मा	प्रिन्सिपल मेडीकल एण्ड हैल्थ ऑफिसर, अलवर ।
१९.	श्री आर०के० त्रिपाठी	प्रिन्सिपल, एस०एम०के० कॉलेज, जोधपुर ।
२०.	श्री बाबा हरिकिशन	एग्ज़ीक्युटिव एक्स इन्जीनियर, इलैक्ट्रिकल एण्ड मिकेनीकल ।
२१.	श्री नारायण दत्त	कम्पाउन्डर ।
२२.	श्री मोहनचंद	कम्पाऊन्डर ।
२३.	श्री ई०एच० इकबोटे	हैड ऑफ डिगरी डिपार्टमेंट ।

Page No.117

१	२	३
२४.	श्री डी०एन० मेहरा	एडीशनल अकॉउन्ट्स ऑफिसर आर० एन्ड आर० विभाग।
२५.	श्री एस०डी० अरोरा	प्रिन्सीपल, महाराजाज् कॉलेज, जयपुर।
२६.	श्री एम०आर० गोयल	अकॉउन्ट् ऑफिसर, बन विभाग।
२७.	श्री भगवानदास	सुपरिन्टेडिंग इन्जीनियर, इर्रिगेशन।
२८.	श्री मुसद्दीराम	डिप्टी कलेक्टर (चम्बल प्रोजेक्ट)
२९.	श्री भगवानदास	एल० डी० सी०
३०.	श्री रामदत्त शर्मा, आर०ए०एस० (रिटायर्ड)	म्युनिसिपल कमिश्नर, जयपुर।
३१.	श्री पी०सी० दास	हैड ऑफ डिगरी डिपार्टमेंट, राजमहल गर्ल्स कॉलेज, जोधपुर।
३२.	श्री गंगाराम	ड्राफ्टस मैन।
३३.	श्री मोहम्मद इकरामखां	ड्राफ्टस मैन।
३४.	डॉ० आर०पी० सिंह	सी० ए० एस० क्लास II
३५.	श्री गंगाकिशन	कम्पाउन्डर।
३६.	श्री कालूराम सिंघवी	एल० डी० सी०।
३७	डॉ० मिसेज एक्वीनो	रीडर, एस० एम० मेडीकल कॉलेज।
३८	श्री के०एन० राधाकृष्णन्	एडीशनल अकॉउन्ट्स ऑफिसर, बिल्डिंस एण्ड रोड्स।
३९	डॉ० गोपीवल्लभ गुप्ता	सी० ए० एस० क्लास II
४०.	डॉ० जी०डी० पारीख	असिस्टेन्ट डाइरेक्टर ऑफ हैल्थ सर्विसेज़, जयपुर।
४१.	डॉ० एच०पी० गुप्ता	सी० ए० एस० क्लास II
४२.	श्री नन्दकुमार साहित्याचार्य	लेक्चरार, संस्कृत कॉलेज, जयपुर।
४३.	श्री सी०बी० लाल	अकॉउन्ट्स ऑफिसर, इलैक्ट्रिक एन्ड मिकेनिकल विभाग।
४४.	श्री एच०एन० पांडे	एग्जीक्युटिव इन्जीनियर।
४५.	डॉ० बी०एच० पुरोहित	सी० ए० एस० क्लास II
४६.	श्री मुरलीधर वैक्सीनेटर	वैक्सीनेटर।
४७.	डॉ० चिरन्जीलाल	डॉक्टर (होमियोपैथी)।
४८.	श्री छोटुसिंह	कम्पाउन्डर।
४९.	श्री यू०सी० भट्याचार्य	क्यूरेटर।
५०.	श्री के०जी० माथुर	ट्रेजरी ऑफिसर।

१	२	३
५१.	श्री आनन्दनारायण कौल, आर०एच० जे० एस० (रिटायर्ड)	जज, इन्डस्ट्रीयल ट्रिबूनल ।
५२.	श्री के०एस० पुरोहित	असिस्टेन्ट इन्जीनियर (इर्रिगेशन) ।
५३.	श्री मूलसिंह	स्पेशल ऑफिसर, विलेज वाटर सप्लाई, जोधपुर ।
५४.	श्री राम रघुनाथ	लैक्चरार, राज कृषि कॉलेज, अलवर ।
५५.	श्री पी० एन कौल, आर० ए० एस० (रिटायर्ड)	ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, इर्रिगेशन ।
५६.	श्री आर०पी० श्रीवास्तव	जोइन्ट डाइरेक्टर, एजूकेशन विभाग ।
५७.	श्री पी०आर० बोटरा	अकॉउन्टस ऑफिसर, चम्बल प्रोजेक्ट, कोटा ।
५८.	हकीम याहयां मियां	हकीम, टौंक ।
५९.	डॉ० (मिसेज़) मंगलादेवी तलवार	जूनियर स्पेसिएलिस्ट ।
६०.	श्री रामनारायण	पटवारी तहसील बयाना ।
६१.	श्री रूपलाल	ज़िलेदार (चम्बल प्रोजैक्ट)
६२.	डॉ० एस०एन० असोपा	सीनियर स्पेसिएलिस्ट ।
६३.	श्री शिवप्रताप	ड्राफ्ट्स मैन, सैटिलमैंट विभाग ।
६४.	श्री हनुमान सहाय पुरोहित	असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाक्फ विभाग ।
६५.	श्री बी०एन० खत्री	सैकिन्ड चीफ इन्जीनियर (इर्रिगेशन)
६६.	श्री गौरीशंकर	पटवारी ।
६७.	श्री जहीरउद्दीन फारूकी	यू० डी० सी०, वक्फ विभाग ।
६८.	श्री तेजराम सिंघी	ट्रैजरी ऑफिसर ।
६९.	श्री रामनारायण	अकॉउन्ट्स ऑफिसर प्रोजेक्ट ।
७०.	श्री आर०सी० मेहरा	अकॉउन्ट्स ऑफिसर, सीविल सप्लाईज़ ।
७१.	डॉ० रामस्वरूप माथुर	सी० ए० एस० क्लास II
७२.	श्री भोलानाथ	ड्राफ्ट्स मैन ।
७३.	श्री मुरलीधर	एल० डी० सी०
७४.	श्री एम० एफ० सोनावाले	हैड ऑफ डिगरी डिपार्टमैन्ट ।
७५.	श्री आर० सी० गुप्ता	हैड ऑफ डिगरी डिपार्टमैन्ट ।
७६.	श्री महेशनारायण माथुर	सुपरवाईज़र, ट्यूरिस्ट फैसिलीटीज़ ।
७७.	श्री बी०जी०.माथुर	डिप्टी डाइरेक्टर ऑफ टैक्निकल एजूकेशन ।
७८.	श्री रामगोपाल गुप्ता	डिप्टी डाइरेक्टर, बेसिक एजूकेशन ।
७९.	श्री टी०सी० मेथ्यू	प्रिंसिपल, डूंगर कॉलेज, बीकानेर ।
८०.	श्री श्रीराम शर्मा	सुपरिन्टेन्डेन्ट, गवर्नमेन्ट प्रेस ।
८१.	श्री रामचन्द	ड्राफ्ट्स मैन वन विभाग ।

१	२	३
८२.	श्री लालस्वरूप	रीडर।
८३.	श्री बी०सी० पांडे	एग्जीक्युटिव इन्जीनियर।
८४.	श्री एम०एम० वशिष्ट	ऑकउन्टस ऑफिसर (इन्स्पेक्शन) सचिवालय
८५.	श्री रामगोपाल	इन्सपेक्टर, लैन्ड रैकॉर्डस।
८६.	डॉ० के०एल० भाटी	सी० ए० एस० क्लास II
८७.	श्री हरिश्चन्द्र, राज० अकॉ० सर्विस (रिटायर्ड)	अकाउन्ट्स ऑफिसर, रिलीफ एन्ड री है—बीलीटेशन।
८८.	डॉ० (मिसेज़) बी०एल० देवी	सी० ए० एस० क्लास II
८९.	श्री मनोहरलाल	कम्पाउन्डर।
९०.	गणेशमल	कम्पाउन्डर।
९१.	श्री जेठमल	कम्पाउन्डर।
९२.	श्री देवीसिंह	इन्चार्ज, एसटैबलिशमेन्ट एन्ड अकॉउन्ट्स ब्रान्च, कमिश्नरी, जोधपुर।
९३.	श्री रामनारायण सक्सेना	ट्रेनिंग इन्स्पेक्टर (बिजली विभाग)
९४.	श्री तख्तसिंह यारू	इन्सपेक्टर (जागीर)
९५.	श्री मोहनलाल मिश्रा	असिस्टेन्ट इन्जीनियर, स्टेट कोटन फैक्टरी, कपासिन।
९६.	श्री मगतराय	असिस्टेन्ट इन्जीनियर, इलैक्ट्रिक एन्ड मिकेनिकल (सीविल)।
९७.	श्री बरकतराम	असिस्टेन्ट टीचर, सादूल मल्टीपर्पज़ स्कूल, बीकानेर।
९८.	श्री सी०बी० देसाई	एग्जीक्युटिव इन्जीनियर, बिल्डिंग्स एन्ड रोड्स।
९९.	श्री रामनिवास	नाजिर, कलैक्टर, झुन्झुनू।
१००.	श्री औलियाबक्स	प्रोसेर्स सरवर, सीविल एन्ड एडिश्नल सेशन्स कोर्ट किशनगढ़।
१०१.	श्री कन्हैयालाल	बस ड्राईवर।
१०२.	डॉ० छोटेलाल	सी० ए० एस० क्लास II
१०३.	से १५३	१–११–५६ से ३१–१०–५९ तक की अवधि के लिए ५१ लोअर डिविज् क्लर्क आबकारी व कर विभाग में काम को समाप्त करने के लिए पुनः नियुक्त किये गये।
१५४.	श्री हेतुदान उज्जवल, आई० ए० एस०, (रिटायर्ड)	प्रिन्सिपल, आर० ए० एस०, ट्रेनिंग स्कूल, जोधपुर।

—०—

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या ११३६ का उत्तर देखिये)

उन आई. पी. एस. और आर. ए. एस. अफसरों के नामों की सूची, जिनका सन् १९५०-५१ से अब तक प्रतिवर्ष, वर्ष में तीन या उससे अधिक बार तबादले हुए हैं।

आई. पी. एस. (१९५४)

१. श्री वी. आर. बिशनोई, आई. पी. एस.

आर. ए. एस. (१९५०)

१. श्री दौलतसिंह कोठ्यारी।
२. श्री भंवरलाल भटनागर।

१९५१

३. श्री जोधसिंह।
४. श्री हिम्मतसिंह सरूपरिया।
५. श्री गजानन्द।
६. श्री बद्रीदास।

१९५२

७. श्री सोहनलाल सुराणा।
८. श्री जैशंकर श्रीमाली।
९. श्री हुकमराज भंडारी।
१०. श्री हिम्मतसिंह सरूपरिया।
११. श्री गणेशसिंह।
१२. श्री घेहरालाल माथुर।
१३. श्री बैरीसालसिंह।

१९५३

१४. श्री किरण बाबू।
१५. श्री माधोसिंह।
१६. श्री प्रभुशरण।

१९५७

१७. श्री गंगाप्रसाद बिसा।

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न सख्या ११६८ का उत्तर देखिये)

२१००) बरियों पोशाक ३ तिमणिया ३ तोला मेंद
१५००) ६००)
२७२०) बाजरी १०० गवार २० मोठ २५
२०००) ३२०) ४००)
६००) नोट रोकड़ा रूपीयारा
४२००) चांदी करोणा रजाईया १०० घासिया १००
१२००) ३०००)
१६००) माचा १०० रालिया ६०
१०००) ६००)
६००) गदा ३ बोरा १ पीलंक १ बेटी के रोकड़ा
१५०) ५०) १००) ३००)
१५००) उसकी पोशाक उसका चांदीरा
५००) १०००)
१०००) बरतन कांसी पीतलरा
२७६५) फुटकर सामान

१७१८५) रुपया
८००) तीमणिया ३ तोला रजाइयां ३५
३००) ५००)
८५०) घासिया ३५ गुदड़िया ओडनबीछाने की ४५
४००) ४५०)
१६००) रोकड़ रुपया के नोट माचा ४० बाजरी २०
८००) ४००) ४००)
३६१) मोठ १३ मन गवार १४ मन पिलाण सजाई
६१) १००) २००)
११५०) कांसी के बरतन गेदे चांदी ५०० तोला
४००) ५०) ७००)
८४) फुटकर सामान

४८७१) रुपया

परिशिष्ट ६

(कृपया प्रश्न संख्या ११३७ का उत्तर देखिये)

सूची काश्तकारान जिन्होंने जमीन सरकारी नम्बर २०१३ में बिना इजाजत काश्त की तहसील कोटपुतली

क्र० सं०	नाम आसामी	नाम ग्राम	तादाद रकबा
१	मूंथा बिड़दा रामसहाय वगैरा	मांजूकोट	१६ विस्वा
२.	मूला परमाल गणपत	,,	४ ,,
३.	मांगू अहीर	,,	३ ,,
४.	मूला रामजीलाल जाट	पंडितपुरा	१ बी० ५ वि०
५.	जवाहरसिंह	,,	१ बी०
६.	ग्यारसा/चमार	,,	२ बी० ६ वि०
७.	स्योनाथ गूजर	रामपुरा	२ बी० १० वि.
८.	रिछपाल गूजर	गोनेडा	१२ ,,
९.	दीना गूजर	,,	१० ,,
१०.	प्रहलाद सुलतान रामनाथ	पेशवानागुजर	१ बी०
११.	बाला गूजर	,,	१ बी० १ वि०
१२.	स्योनारायण रामेश्वर हरफूल	,,	८ विस्वा
१३.	अरजन गूजर	नांगल चेचीका	५ विस्वा
१४.	भगवाना	सिगला ,,	१ विस्वा
१५.	गुलसिंह राजपूत	केशवाना राजपूत	१५ वि०
१६.	बिशना	मलपुरा ,,	१३ वि०
१७.	चिमनसिंह राजपूत	,,	८ वि०
१८.	नन्दामहाबीर	,,	८ वि०
१९.	चिमनसिंह	,,	३ बी० १९ वि०
२०.	परभातगूजर	मक्लपुरा	१ बी० १७ वि०
२१.	रामकर गूजर	,,	२ बी० ७ वि०
२२.	नारायण गूजर	,,	२ बी० १ वि०
२३.	गोविन्दा गूजर	मक्लपुर	१३ वि०
२४.	केसरा गूजर	,,	२ बी० ६ वि०
२५.	स्योकरण गूजर	,,	२ बी० ६ वि०
२६.	नानू गूजर	,,	१ बी० ८ वि०
२७.	मांग्यानाई	,,	२० बी
२८.	रिछपाल गूजर	,,	२ बी० ८ वि०
२९.	नन्दा गूजर	,,	२ वि०
३०.	हरनाथ गूजर	,,	१ बी० ३ वि०
३१.	रामस्वरूप गूजर	,,	५ बी०
३२.	स्योनाथ गूजर	,,	१४ बी० ६ वि०
३३.	बोदू गूजर	,,	१८ वि०
३४.	तुलस्या बावरा	,,	४ बी०
३५.	भगवाना गूजर	मलपुरा	७ बी० १० वि०
३६.	मामराज चमार	,,	१ बी० १६ वि०
३७	हरिनाथ गूजर	,,	१ बी० २ वि०
३८.	पोखर गूजर	,,	२ बी० ८ वि०
३९.	नाथा गूजर	,,	१ बी० ३ वि०
४०.	जवारा गूजर	,,	७ वि०
४१.	गाड़ा गूजर	,,	२ वि०
४२.	रामनाथ गूजर	,,	१३ बी० १७ वि०
४३.	स्योसहाय गूजर	,,	१८ वि०
४४.	गुलसिंह राजपूत	केशवाना	६ वि०
४५.	चन्दा केश्या मीणगान पांचू	पाथरेडी	१ बी० ८ वि०

४६. चन्दा परभात ग्यारसा
मीणगानपांचू पाथरेडी ३ बी० १० वि०
४७. रामचन्द्रसिंह ,, १५ वि०
४८. सांवतागुहानामीना ,, ५ वि०
४९. हरसहाय अहीर ,, २ बी० १० वि०
५०. लादू रामलाल ,, ४ बी० ५ वि०
५१. सुला मीना दादूका १ बी० ६ वि०
५२. गैंदी ब्राह्मण राजनोता ७ वि०
५३. दुर्गा ,, ,, १ बी० २ वि०
५४. महादेव मीना ,, १ बी० १२ वि०
५५. आनन्दी डाकोत ,, ३ बी० १८ वि०
५६. रामस्वरूप ब्राह्मन ,, ४ बी० १० वि०
५७. मामराज वगैरा ,, २ बी० १० वि०
५८. सूरजमल रघुवीर ,, ६ बी०
५९. मामराज गंगाधर ,, २२ बी०
६०. करीमा रामेश्वर ,, १० बी०
६१. रामेश्वर खाती ,, ५ बी०
६२. महादेव भगवाना ,, १० बी०
६३. शंकर रामधन चमार ५ बी०
६४. जगदीश परसा ,, ३ बी०
६५. महादेव लछमन खुमार ३ बी०
६६. हरसाय उपासरा ,, १० बी०
६७. साडानाथ लादू ,, १५ बी० १२ वि०
६८. किशनसिंह सरग्यानी ३६ बी०
६९. रामसहाय चन्दा लादु दादूका २२ बी.
७०. महादेव नारायण ,, २बी.५वि,
रामचन्द्र
७१. भूरा चमार ,, १बी १५वि.
७२. सुरजा मीना ,, १ बी ८वि.
७३. शहजादसिंह लछमणफूथा ,, १४वि.
७४. मामला प्रभु प्रहलाद ,, २० बी.
७५. लछमन सोसहाय खूबा ,, १७ बी.
७६. खूशला चमार ,, ५ बी.
७७. परभाती नाथा ,, ६ बी,
७८. सोमहाय गुलिया ,, १०बी.
७९. फूला घीस्या सोसहाय वगैरा ,, १बी ५वि,
८०. मामला भूरा ग्यारसा सुडा दादूका २० बी.
८१. समदा सूंडा प्रहलादसिंह ,, ६बी.४वि.
८२. ओंकारघीसी लालसिंह ,, १२बी.११वि.
८३. लालसिंह ,, १बी.
८४. नानिग नाथा ,, १२बी.
८५. भूरादास फतहपुरा ८बी. १० वि.
८६. लादूरेगर ,, १५ वि.
८७. रामदेव ,, १बी. ६वि.
८८. मगलया रेगर ,, १बी. ३वि.
८९. सीतासिंह ,, ५बी. २वि.
९०. कालू ,, १बी. ४वि.
९१. भूथाहीर ,, १बी. ८वि
९२. जालिम अहीर ,, १० वि.
९३. रामचन्द्र ,, ३बी. ८वि.
९४. जालिम हीर ,, १२ वि.
९५. गंगू ,, १६ वि.
९६. सेडू ,, १९ वि.
९७. लादू ,, १ बी.
९८. गोदू ,, १२ वि.
९९. भरतसिंह ,, १ बी.
१००. गोमला हीर ,, २बी. ५ वि.
१०१. फूला ,, ५बी ६ वि.
१०२. नाथू ,, १बी. ५ वि.
१०३. घीसा ,, २बी. १२वि.
१०४. रामकुमार ,, ३ बी० १९वि०
१०५. मोहनदास ,, ६ बी०
१०६. हरदेव गूजर ,, १ बी० ८ वि०
१०७. भूरा खाती फतहपुरा १० वि०
१०८. रामकुवार ,, ३बी०१०वि०
१०९. बालू दरोगा ,, १६ वि०
११०. मोहनदास ,, १बी० ४ वि०
१११. गणपत ,, ३बी० १७वि०
११२. नारायण दरोगा ,, ८ वि०
११३. तेजा रेगर ,, ३ वि०
११४. परभाती स्यामी ,, २बी० ७वि०
११५. स्योरामदास स्यामल,, २ बी०

११६. गोमला अहीर फतहपुरा १० वि०

११७. मोला हीर ,, १बी० २ वि०

११८. रामदेवा ,, १बी० १६वि०

११६. सादू दरोगा ,, १५ वि०

१२० रूड़ा ,, ७ वि०

१२१. शिशपाल ,, ५ वि०

१२२. सुलतान ,, १२ वि०

१२३. गुलजी ,, ११ वि०

१२४. फूला ,, ५ वि०

१२५. सेडा हीर ,, ३ बी०

१२६. हरसहाय बालासूगंना,, ४ बी०

१२७. हरसहाय झमना टापरी ५बी० ११वि०

१२८. स्योनाथ गूजर ,, १८ वि०

१२६. कालू भरता ,, १८ वि०

१३०. पन्ना गूजर ,, ७ बी०

१३१. महादेव शंकर रवाला चतुर्भुज १बी२वि

१३२. उमराव ,, ८ वि०

१३३. नागा स्यामी ,, ५ वि०

१३४. सूडा भूरा कालूनाथा,, ४ बी०

१३५. चीमाकालू अहीर ,, २ वि०

१३६. रामजीलाल छोटेलाल,, ४ बी० ४वि०

१३७. परसादी ब्राह्मण ,, १३ वि०

१३८. रामजीलाल ब्राह्मण ,, १२ वि०

१३६. भौंरा ,, १६ वि०

१४०. परभाती नरपत ,, ३ वि०

१४१. शंकर वाला ,, १ बी० १८ वि०

१४२. गोदा अहीर ,, २ बी० १६ वि०

१४३. झूंथा मांगी बद्रीवास ३ बी० १० वि०

१४४. मोतीकीर बड़ावास ३ बी. १० वि.

१४५. बुलालादू गूजर ,, १ बी. ७ वि.

१४६. प्रभु सागा ,, ७ वि.

१४७. झूंथा मौंरा ,, ५ वि.

१४८. खेमा भागीरथ गूजर ,, १० बि.

१४६. ओमकारवास ,, १ बी. १० वि.

१५०. छाजू गूजर बासड़ी ४ बी. ५ वि.

१५१. मोतीकीर ,, ८ वि.

१५२. घीसा गूजर बासड़ी ५ वि.

१५३. घीसा माली ,, ३ बीघा०

१५४. जयसिंह गोशाला ,, ६ वि०

१५५. लादू भगवाना ,, १ बी० ३ वि०

१५६. भगवाना गूजर ,, १ वि०

१५७. लादू स्योसहाय खेड़ानी दालपुरा २ बी०

१५८. प्रह्लादसिंह ,, १८ वि०

१५६. मूला गूजर ,, १ बी० ५ वि०

१६०. उधाराम ,, १६ बी० १७ वि०

१६१. मोदीया जाट क.स १२ वि०

१६२. स्योलाटा जाट ,, ५ बी०

१६३. कालू जाट ,, २ वि०

१६४. चेता अहीर फतहपुर ३ बी० २ वि०

१६५. लादू हीर ,, १० वि०

१६६. रूड़ा ,, १ बी० १३ वि०

१६७. भोलाही ,, १ बी० २ वि०

१६८. मोमला ,, ४ वि०

१६६. चन्दर ,, ३ वि०

१७०. रमस्या ,, ६ वि०

१७१. प्रभात ,, ५ वि०

१७२. छोटूहीर ,, ३ वि०

१७३. बिड़दाग्रहीर ,, ६ वि०

१७४. नेता ,, ३ वि०

१७५. नारायण ,, १८ वि०

१७६. रामनाथ ,, २ वि०

१७७. ओंकार ,, ३ वि०

१७८. जालिम ,, ६ वि०

१७६ पालीम गूजर मोलाहेगा सेखुपर १२ वि०

१८०. उदमी जाट ,, ५ वि०

१८१. रामचन्दर गुजर ,, २ बी०

१८२. सोनिया ,, २ बी०

१८३. परमातामहादेव ,, ५ वि०

१८४. रामनारायणजाट सांगटेड़ा २ वि०

१८५. सेडियाजाट ,, ३ वि०

१८६. रामलाल ,, २ वि०

१८७. सून्डा	सांगटेडा	३ वि०
१८८. जीवन	,,	३ वि०
१८९. सून्डा	,,	२ वि०
१९०. रामलाल	,,	३ वि०
१९१. मांग्या जाट	,,	१० वि०
१९२. सीताहीर	फतेहपुर	४ बी० ११ वि०
१९३. विडददरोगा	,,	१ बी० १५ वि०
१९४. घीसा	,,	१० वि०
१९५. बिडदाहीर	,,	१५ वि०
१९६. जमन	,,	२ वि०
१९७. कालू	,,	३ वि०
१९८. रुगसिंग	,,	३ वि०
१९९. कला	,,	७ वि०
२००. रामचन्द्र	,,	४ वि०
२०१. तारा	,,	३ वि०
२०२. मुक्ता	,,	२ वि०
२०३. चन्दर	,,	१ वि०
२०४. सेडू	,,	७ वि०
२०५. भवरा	,,	१२ वि०
२०६. सूरजा	,,	६ वि०
२०७. लादू	,,	६ वि०
२०८. मोहनदास	,,	१ वि०
२०९. रामसथा	,,	१ बी० ५ वि०
२१०. किशना	,,	३ वि०
२११. रामकुंवार	,,	३ वि०
२१२. गणपत	,,	७ वि०
२१३. भूंथा हीर	,,	१६ वि०
२१४. दीनागोपी	,,	६ वि०
२१५. जगन्नाथ	,,	१४ वि०
२१६. नन्दामीना	,,	२ वि०
२१७. ओनकाहीर	,,	७ वि०
२१८. भंवराहीर	,,	४ वि०
२१९. चेता	,,	३ वि०
२२०. भोलाहीर	,,	१ बी० १३ वि०
२२१. गोविन्दा	,,	२ वि०
२२२. प्रभाती	फतेहपुर	२ वि०
२२३. लादू	फतहपुर	२ वि०
२२४. बोदू	,,	५ वि०
२२५. सादू	,,	३ वि०
२२६. रामेश्वर स्वामी	,,	२ वि०
२२७. तेजा	,,	१ बी० ३ वि०
२२८. नाथू	,,	६ वि०
२२९. स्योलाल	,,	३ बी०
२३०. मेहामेरमा	जगदीशपुरा	३ बी० ७ वि०
२३१. ईशरगूजर	,,	५ वि०
२३२. ,,	,,	४ वि०
२३३. श्योबक्ससिंह	नारेडा संरुंड	१ बी० ११ वि०
२३४. सूरजा हनुमान	,,	८ वि०
२३५. परभात सूरज	,,	२ बी० ३ वि०
२३६. फता माली	,,	१ बी० ६ वि०
२३७. लादू	,,	१ बी० १७ वि०
२३८. छोटा माली	नारेडा	१७ वि०
२३९. छीतरसिंह	,,	२ वि०
२४०. भौंरा चमार	,,	१४ वि०
२४१. गोपीचन्दसिंह कालूसिंह	टोरडा	११ वि०
२४२. मोधसिंह गणपतसिंह	,,	७ वि०
२४३. नोथूलसिंह	,,	३ बी० ६ वि०
२४४. हनुमान बीला मीना	,,	११ वि०
२४५. नाथा मीना	,,	७ वि०
२४६. नारमा	,,	१ बी० ८ वि०
२४७. माधोसिंह	,,	१६ वि०
२४८. ग्यारसीलाल	,,	१ बी० ५ वि०
२४९. चन्दरसिंह	,,	१३ वि०
२५०. गाडा सुगडा	,,	१३ वि०
२५१. गोविन्दसिंह	,,	१९ वि०
२५२. कराणा चमार	,,	१० वि०
२५३. रामसहाय माली	,,	६ वि०
२५४. गाडा	,,	४ वि०
२५५. झाबर	नवलमुखालपुरा	५ वि०
२५६. खूबा रामकरण	पवाना	१८ वि०
२५७. राघू गूजर	,,	३ वि०

२५८. मनूडा पवाना ३ वि०
२५९. महादेवनाराण ,, २ वि०
२६०. गोकलसिंह नारेडा १० वि०
२६१. रामकुवारसिंह ,, २बी० १५ वि०
२६२. श्योदयाल ,, ८ वि०
२६३. नरसा ,, १ बी० १ वि०
२६४. चन्दरसिंह सांवतसिंह ,, ७ वि०
२६५. छोटू माली अपारोद ५ वि०
२६६. हीरा भोपतपुरा ७ वि०
२६७. स्योदान पूतली १७ वि०
२६८. भुवा गूजर ,, ६ बी० ७ वि०
२६९. गूलाबा मरता बमेरा
ठीकरिया १६ वि०
२७०. कन्हैयाब्राह्मण ग्यारसा खाती
,, ११ बी० ३ वि०
२७१. रुडसिंह ,, ८ बी०
२७२. छुगला भवरिया रूडा हीराजन
,, ३१ बी० १६ वि०
२७३. गजरला तेली, महादेव दरोगा
छोटू दरोगा, पीसा जाट
,, ५२ बी० ११ वि०

२७४. जैसिंह ठीकरिया ४ बी० ७ वि०
२७५. प्रभाता धनिका ,, १ बी० १८ वि०
२७६. छोटया दीनातेली ,, १ बी० १२ वि०
२७७, सूलतान तेली ,, ११ वि०
२७८. छोटीया मोमिया तेली
,, १ बी० १९ वि०
२७९. ,, ,, १ बी० ७ वि०
२८० टछुज्या तेली ,, २ बी० ३ वि०
२८१. नन्दा कामदार ,, ११ बी० ४ वि०
२८२. सगरा कूमदार ,, ४ बी० ३ वि०
२८३. श्योनाथ कूमदार ,, १ बी० ११ वि०
२८४. नाथा रेगर, लादू रेगर
नन्दा भूरा ,, १ बी० १५ वि०
२८५. चन्दर धानका ,, ४४ बी० ४ वि०
२८६. ,, ,, ५ बी० ४ वि०
२८७. श्योदिन अहीर ,, १ बी० ५ वि०
२८८. श्योदिना, सूलतान दरोगा
गणपतसिंह ,, ५ बी० १३ वि०
२८९. सेडिया अहीर ,, ४१ बी० १० वि०
२९०. ,, ,, १३ बी० ५ वि०

शुद्धि-पत्र

(कार्य विवरण दिनांक ७ अप्रेल, १९५८)

कालम संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
६३४५	अंतिम से ६	हिम्मत सिंह	हिम्मत सिंह जी
६३५१	,, ४	इन पोसों पर	इन पोस्टों पर
६३५२	,, ७	तहसीलदार ब्यौरा	तहसीलवार ब्यौरा
६३५३	१३	सवाल	सवाल
६३५६	अंतिम से ७	वेतन समय से	वेतन समय से
६३५८	,, १४	एक्ट्रा	एक्स्ट्रा
६३७२	११	डेवलप मेन्ट	
६३७५	अंतिम से १३	दिसम्बर	दिसम्बर
६३८०	५	शिड्यूड कास्ट	शिड्यूल्ड कास्ट
६३८४	१	सहा	सहायता
६३९५	अन्तिम से १८	प्रोप	प्रोपर्टी
,,	,, ५	सीस्यस	सीरियस
६३९६	,, १७	रे स्ट्रीक्शंस	रे स्ट्रिक्शंस
६४००	,, ११	इलेक्टिंग	इनेक्टिंग
६४०८	४	गौरन्वा न्वित	गौरन्वा चित
६४१२	अंतिम से १७	अने लोजी	अनोलोजी
६४१५	,, ११	हुये	हुए
६४३०	८	प्रो वीजन	प्रोविज़न
,,	१५	जरायम देशा	जरायम पेशा
६४३९	अंतिम से १२	वजह	वज़ह
६४४३	६	सोहाइ टीज	सोसाइटीज़
६४४५	अंतिम से २	Approch	approach
,,	१४	Indicias	Judiciary
६४४६	३	Approoch	approach
६४४५	अंतिम से १४	onwership	ownership
६४४८	,, २२	Iudividyl	Individual
६४४९	,, २२	Instify	Justify
६४५७	६ २	परिस्थित	पीरस्थिति
६४६०	१२	छुटजारा	छुटकारा
६४६५	अंतिम से ४	जाया होगा	गया होगा
६४६५	अंतिम से १४	मीने	मौठो
६४७७	,, ६	श्री श्रीमानसिंह	श्री श्रीमान सिंह

१	२	३	४
६४८६	१४	उस कसूर	उत कसूर
६४८८	अंतिम से २	यानि	यानी
६४९१	,, १९	यात	यातो
६५०५	,, ५	with tne	with the
६५१३	५	सयु'लेट	सक्यु'लेट
६५१५	३	सब कलज	सब क्लाज
६५४०	३	अपत्ति	आपत्ति
६५४३	९	स्वीकार	स्वीकार
६५५०	अंतिम से ९	othet	other
६५५३	५	महिल शिक्षण	महिला शिक्षण
,,	७	खर्चें की	खर्च की
,,	९	रिटायड	रिटायर्ड
,,	अंतिम से १०	हाईस्कूल	हाईस्कूल
६५५६	७	श्री नारायव सिंह	श्री नारायण सिंह
५५६२	अंतिम से ७	चुनीलाल स्वामी	चुन्नीलाल स्वामी
६५६५	२	(इर्रिगेशन)	इर्रिगेशन
,,	६	इरिगेश्न	इर्रिगेशन
,,	६	स्पेश्ल	स्पेशल
,,	७	एजूकेश	एजूकेशन
,,	अंतिम से ४	एजूकेश्न	,,
,,	,, ५	,,	,,
६५६७	६	बिशनोई	बिश्नाईं